आईना-ए-नमाज़

Maktabe Ashraf

लेखक
मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्द शहरी

وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

'और क़ायम करो नमाज़ और अदा करो ज़कात और रुकूअ करो रुकूअ करने वालों के साथ'

तब्लीगुस्सलात

यानी

आईना-ए-नमाज़

जिस में

नमाज़ की शर्तें, फ़र्ज़ और उसके फ़ज़ाइल, मसअलें, तफ़्सील के साथ आसान हिंदी ज़ुबान में दर्ज कर दिए गये हैं, साथ ही नमाज़ के अलावा रोज़ा, हज, ज़कात के मस्अले और ज़रूरी बातें इसमें शामिल कर दी गई हैं। यह किताब तमाम मुसलमानों के पढ़ने की चीज़ है।

लेखक :

मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्द शहरी

فرید بکڈپو (پرائیویٹ) لمٹیڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Maktabe Ashraf

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

तब्लीग़ुस्सलात

यानी

आईना-ए-नमाज़

लेखक

हज़रत मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलंदशहरी

प्रस्तुत कर्ता

(अल-हाज) मुहम्मद नासिर ख़ान

فرید بکڈپو (پرائیویٹ) لمٹیڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off : 2158, M.P. Street, Pataudi House, DaryaGanj, New Delhi-2
Phone : (011) 23289786, 23289159 Fax : +91-11-23279998
E-mail : faridexport@gmail.com - Website : www.faridexport.com

Tableeghus Salat
Yani Aaina-e-Namaz

Author:
Maulana Muhammad Aashiq Ilahi Bulandshehri

Edition: **2014** *Pages:* **136**

Our Branches:

Delhi : Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.
422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6
Ph.: 23256590

Mumbai : Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.
216-218, Sardar Patel Road,
Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009
Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at : Farid Enterprises, Delhi-2

विषय-सूची 'आईना-ए-नमाज़'

क्या ?	कहां ?
१. कुछ किताब की तर्तीब के बारे में	६
२. दीबाचा	१२
३. दीनी तालीम की ज़रूरत	१३
४. अर्काने इस्लाम	१४
ईमान का बयान	
५. कलिमा तैयबा	१५
६. कलिमा शहादत	१५
७. ईमाने मुफ़स्सल	१६
८. ईमाने मुज्मल	१६
नमाज़ की फ़ज़ीलत व अहमियत	
९. बे-वक्त नमाज़ पढ़ना	१८
१०. एक नमाज़ की क़ीमत	१९
११. नमाज़ की चोरी	१९
१२. इस्लाम में नमाज़ का मर्तबा	२०
१३. बच्चों को पढ़ाना मां-बाप के जिम्मे	२०
१४. ज़रूरी तंबीह	२०
तहारत व नजासत का बयान	
१५. नजासते हुक्मी और उस की दो क़िस्में	२१
१६. नजासते हक़ीक़ी और उसकी दो क़िस्में	२१
१७. नजासते ग़लीज़ा	२२
१८. नजासते खफ़ीफ़ा	२२
१९. मुताल्लिक़ मसअले	२३
२०. पाक करने का तरीक़ा	२३
२१. मुताल्लिक़ मसअले	२५
२२. इस्तिंजे का बयान	२६
२३. कुएं का बयान	२७

Maktabe Ashraf

क्या ?	कहां ?
२४. जूठे का बयान	२७
२५. मुताल्लिक़ मस्अले	२८
२६. पानी का बयान	२९
२७. मुताल्लिक़ मस्अले	२९
२८. खाल का बयान	३०
वुज़ू, ग़ुस्ल और तयम्मुम का बयान	
२९. वुज़ू के फ़र्ज़	३१
३०. वुज़ू की सुन्नतें	३१
३१. वुज़ू की मुस्तहब चीज़ें	३२
३२. वुज़ू की मकरूह चीज़ें	३२
३३. वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें	३२
३४. वुज़ू के बाद की दुआ	३३
३५. तयम्मुम का बयान	३३
३६. तयम्मुम का तरीक़ा	३४
३७. तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें	३४
३८. ग़ुस्ल का बयान—ग़ुस्ल के फ़र्ज़	३५
३९. ग़ुस्ल की सुन्नतें	३५
४०. ग़ुस्ल का मस्नून तरीक़ा	३५
४१. जुमे का ग़ुस्ल	३६
४२. मोज़ों का मसह	३६
४३. मुतफ़र्रिक़ मस्अले	३७
४४ हैज़ व निफ़ास के मस्अले	३८
नमाज़ का बयान	
४५. नमाज़ के वक़्तों का बयान	३९
४६. नमाज़ के फ़र्ज़	४०
४७. नमाज़ के वाजिब	४०
४८. नमाज़ ख़राब करने वाली चीज़ें	४१

Maktabe Ashraf

क्या ?	कहां ?
४९. नमाज़ की सुन्नतें	४२
५०. नमाज़ की मुस्तहब चीज़ें	४३
५१. नमाज़ की मक्रूह चीज़ें	४३
५२. अज़ान का बयान	४४
५३. अज़ान का जवाब	४५
५४. इक़ामत या तक्बीर	४६

नीयत का बयान

५५. अरबी में नमाज़ की नीयत	४८
५६. ज़ुहर की चार सुन्नतें	४८
५७. ज़ुहर के चार फ़र्ज़	४८
५८. ज़ुहर की दो सुन्नतों की नीयत	४८
५९. ज़ुहर की दो नफ़्लों की नीयत	४९
६०. अस्र के चार फ़र्ज़ों की नीयत	४९
६१. मग़रिब के तीन फ़र्ज़ों की नीयत	४९
६२. इशा के चार फ़र्ज़ों की नीयत	४९
६३. फ़ज्र के दो फ़र्ज़ों की नीयत	५०
६४. जुमा के फ़र्ज़ों की नीयत	५०
६५. वित्र की नीयत	५०
६६. पांचों वक्तों की नमाज़ों की रक्अतें और उर्दू में नीयतें	५१
६७. ज़ुहर की नमाज़	५१
६८. अस्र की नमाज़	५२
६९. मग़रिब की नमाज़	५२
७०. इशा की नमाज़	५३
७१. फ़ज्र की नमाज़	५४
७२. नमाज़ पढ़ने की पूरी तर्कीब	५४
७३. सना	५४
७४. सूर: काफ़िरून	५६

Maktabe Ashraf

क्या ?	कहाँ ?
७५. रुकूअ की तस्बीह	५७
७६. तस्मीअ	५७
७७. क़ौमा की तह्मीद	५७
७८. सज्दे की तस्बीह	५७
७९, सूरः इख्लास	५८
८०. दरूद शरीफ़	५९
८१. दुआ-ए-मासूरा	६०
८२. आयतुल कुर्सी	६२
८३. कुछ क़िरात के बारे में	६३
८४. सूरः नास	६४
८५. सूरः फ़लक़	६४
८६. मर्द और औरत की नमाज़ का फ़र्क़	६५
८७. वित्र की नमाज़	६७
८८. दुआ-ए-कुनूत	६७
८९. क़स्र की नमाज़	६८
९०. मुताल्लिक़ मस्अले	६९
९१. जुमा की नमाज़	६९
९२. जमाअत का बयान	७१
९३. मस्जिद में क्या पढ़ें ?	७३
९४. बहुत ज़रूरी मस्अले	७३
९५. मस्जिद में दाखिले की दुआ	७४
९६. मस्जिद से निकलने की दुआ	७५
९७. इमामत के बारे में	७५
९८. सज्दा-ए-तिलावत का बयान	७७
९९. सज्दा सह्व का बयान	७८
१००. मुताल्लिक़ मस्अले	७९
१०१. सज्दा सह्व कब वाजिब होता है ?	७९

Maktabe Ashraf

क्या ?	कहां ?
१०२. सज्दा सह्व का तरीक़ा	८०
१०३. मरीज़ की नमाज़	८०
१०४. मुताल्लिक़ मस्अले	८१
१०५. तरावीह का बयान	८४
१०६. ईदैन का बयान	८५
१०७. ईदुल अज़्हा के खास अहकाम	८६
१०८. ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा	८६
१०९. क़ज़ा नमाज़ों का बयान	८८
११०. जनाज़े की नमाज़	८९
१११. जनाज़े की दुआएं	९१
११२. नाबालिग़ लड़का-लड़की की दुआएं	९१

नफ़्लों का बयान

११३. नफ़्लों की फ़ज़ीलत और अहमियत	९३
११४. तहीयतुल वुज़ू	९३
११५. तहीयतुल मस्जिद	९४
११६. इशराक़ की नमाज़	९५
११७. हदीसे क़ुद्सी	९५
११८. चाश्त की नमाज़	९६
११९. फ़ज़ीलत पर हदीसें	९६
१२०. अव्वाबीन की नमाज़	९७
१२१. तहज्जुद की नमाज़	९८
१२२. तहज्जुद के फ़ज़ाइल	९९
१२३. तौबा की नमाज़	९९
१२४. हाजत की नमाज़	१००
१२५. इस्तिखारे की नमाज़	१०१
१२६. चांद गरहन और सूरज गरहन की नमाज़	१०३
१२७. सफ़र की नफ़्लें	१०५

क्या ?	कहां ?
१२८. सलातुत्तस्बीह	१०५
१२९. इस्तिस्क़ा की नमाज़	१०८
१३०. हर मुश्किल के लिए नमाज़	११०
ज़कात का बयान	
१३१. ज़कात की अहमियत व फ़ज़ीलत	१११
१३२. ज़कात रोक लेने का बयान	११३
१३३. ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?	११३
१३४. ज़कात किसे दी जाए ?	११४
१३५. ज़रूरी तंबीह	११५
बैतुल्लाह का हज	
१३६. हज की फ़ज़ीलत	११६
१३७. हज किस पर फ़र्ज़ है ?	११७
१३८. मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत	११८
रमज़ान शरीफ़ के रोज़े	
१३९. रोज़े की अहमियत और फ़ज़ीलत	११८
१४०. शबे क़द्र	१२०
१४१. एतिकाफ़	१२०
१४२. ज़रूरी मसअले	१२२
१४३. सद्क़ा-ए-फ़ित्र का बयान	१२४
१४४. क़ुर्बानी का बयान	१२६
१४५. क़ुर्बानी की दुआ	१२६
१४६. आख़िरत के मुसाफ़िर का बयान	१२९
१४७. ग़ुस्ल व कफ़न और दफ़न	१२९
१४८. मय्यत को नहलाना	१३०
१४९. कफ़नाना	१३१
१५०. दफ़नाना	१३२
१५१. तंबीहें	१३४

Maktabe Ashraf

कुछ किताब की तर्तीब के बारे में

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الرَّءُوۡفِ الرَّحِیۡمِ الۡمَجِیۡدِ الۡحَمِیۡدِ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ ؕ سُبۡحَانَہٗ
مَا اَعۡظَمَ شَانَہٗ ؕ ھُوَ الۡاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیۡ لَمۡ یَلِدۡ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ؕ
اَشۡھَدُ اَنَّہٗ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ وَاَشۡھَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَسَنَدَنَا
مُحَمَّدًا عَبۡدُہٗ وَرَسُوۡلُہُ الَّذِیۡ اُرۡسِلَ اِلَی النَّاسِ کَآفَّۃً بَشِیۡرًا وَّنَذِیۡرًا
وَّدَاعِیًا اِلَی اللّٰہِ بِاِذۡنِہٖ وَسِرَاجًا مُّنِیۡرًا ؕ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَعَلٰٓی اٰلِہٖ
وَصَحۡبِہٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ تَسۡلِیۡمًا کَثِیۡرًا کَثِیۡرًا ؕ

अम्मा बअ्द—इस किताब 'तब्लीग़ुस्सलात' को एक साहब के तवज्जोह दिलाने पर लिखना शुरू किया था और पहले इस पर बहुत ज़्यादा लिखने का इरादा भी न था, मगर ज्यों-ज्यों काम करता गया, नमाज़ के मस्अले और ज़रूरतें ज़ेहन में आती चली गयीं और किताब मोटी होती चली गयी, मगर फिर भी यह किताब न बहुत बड़ी किताब बनी है और न नमाज़ की इतनी मुकम्मल किताब ही हुई है कि इस के बाद अब किसी किताब की ज़रूरत ही न रहेगी और न ऐसी जामेअ् है कि इस में तमाम मस्अले जमा हो गये हों। बस इतनी बात ज़रूर है कि बाज़ार में आम तौर से नमाज़ की जो नाक़िस और न एतबार किए जाने लायक़ किताबें मिलती हैं, उन के मुक़ाबले में यह किताब जामेअ् भी है सही भी है, और एतबार के क़ाबिल भी। इस में नमाज़ के फ़ज़ाइल भी लिख दिए गये हैं और मस्अले भी।

इस किताब के लिखने-छापने का जहां यह मक़्सद है कि रोज़-रोज़ के पेश आने वाले ज़रूरी मस्अले हर नमाज़ी के सामने मुख्तसर तरीक़े पर आ जाएं, वहां यह मक़्सद भी है कि दुनियादार बुकसेलरों ने जो नमाज़ की किताबें उलटे-सीधे मज़्मूनों और बनाये हुए फ़ज़ाइल और अपनी ही तज्वीज़ की हुई नफ़्लों के बयान से भर कर छाप दी है, उन से बे-नियाज़ी की फ़िज़ा बन आए।

इस मक़्सद को देखते हुए ज़ुबान सादा, साफ़ और आसान रखी गयी है। नफ़्लों का बयान तफ़्सील से लिख दिया है, साथ ही कफ़न-दफ़न का तरीक़ा भी लिख दिया है और नमाज़ की नीयतें भी अरबी और उर्दू में लिखी हैं ताकि चालू किताबों की नीयतें भी याद करने के लालच में ख़रीद कर ग़लत मस्अलों और नफ़्लों के तरीक़ों की लपेट में आने से बच जाएं, जो उन किताबों में लिखी होती हैं।

आम तौर से नीयत करने में सब यह कहते हैं कि 'मुंह मेरा काबे की तरफ़' मैंने हर जगह बजाए 'मुंह' के लफ़्ज़ 'रुख़' लिख दिया है, क्योंकि काबे की तरफ़ मुंह होना नमाज़ सही होने की शर्त नहीं है, बल्कि सीना क़िब्ले की तरफ़ होना चाहिए। 'रुख़' लफ़्ज़ इतना आम है कि इस में सीना और मुंह दोनों आ जाते हैं। अवाम चूंकि नीयत में कहते हैं कि 'मुंह मेरा काबे की तरफ़,' इस लिए यह समझते हैं कि अगर नमाज़ में काबे से चेहरा फिर जाए तो नमाज़ टूट जाती है, हालांकि यह ग़लत है।

इस किताब के मस्अले हनफ़ी मज़हब के मुताबिक़ हैं और वही हैं, जिन पर फ़त्वा है और जो 'बहिश्ती ज़ेवर और बहिश्ती गौहर' से लिए गये हैं। इस की शक्ल यह हुई कि वक़्त न मिल पाने की वजह से कुछ दोस्तों से नक़ल करा दिए और फिर उसे देख कर जो कुछ घटाना-बढ़ाना या बदलना ज़रूरी समझा, अपनी तरफ़ से कर दिया।

लोगों के फ़ायदे के लिए हज व रमज़ान और ज़कात के मसाइल

व फ़ज़ाइल भी थोड़े में लिख दिए हैं। इसी वजह से यह किताब न सिर्फ़ 'तब्लीगुस्सलात' (यानी नमाज़ की तब्लीग़), बल्कि 'तब्लीगुल अर्कान' बन गयी है। हर नमाज़ी के पास, चाहे इमाम हो या मुक़्तदी, इस किताब का होना बहुत ज़रूरी है। मस्जिदों में तालीमी हल्क़े बना कर इन को पढ़ें और सुनाएं, मदरसों और स्कूलों में निसाब में दाखिल करें, तो बड़े अज्र के हक़दार होंगे।

—मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलंदशहरी

सफ़र १३७१ हि०,

कलकत्ता

आईना-ए-नमाज़

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम० नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमि०

अम्मा बअ्द, दीन इस्लाम अल्लाह तआला के उन हुक्मों का नाम है, जो उसने अपने हबीबे पाक, नबी-ए-अरब व अजम, फ़ख्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के और अपनी किताब 'क़ुरआन मजीद' के वास्ते से हम तक भेजे हैं। अल्लाह के ये हुक्म अक़ीदों से भी मुताल्लिक़ हैं और इबादतों से भी, रहन-सहन, खान-पान से भी और तिजारत और खेती से भी, ज़ाहिर से भी और बातिन से भी, जिस्म से भी और माल से भी। मतलब यह कि इंसानी ज़िंदगी का हर हिस्सा, हर शोबा अल्लाह के हुक्मों में जकड़ा हुआ है।

सिर्फ़ मुसलमान का बेटा होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। उन हुक्मों और मस्अलों का जानना हर शख्स पर फ़र्ज़ है, जो अमीर व ग़रीब के फ़र्क़ के बग़ैर सब के लिए बराबर और ज़रूरी हैं। जैसे, अक़ीदों का ठीक होना और नमाज़, रोज़ा, वुज़ू, ग़ुस्ल, हराम, हलाल का जानना। फिर अगर मालदार है तो ज़कात व हज के मस्अले मालूम करना फ़र्ज़ होगा। औरतों पर औरत के खास हुक्मों का जानना ज़रूरी होगा। ताजिर को तिजारत के हुक्म और खेती करने वाले को खेती के हुक्म सीखने ज़रूरी होंगे। इसी तरह औरों के बारे में भी सोचा जा सकता है।

आजकल के मुसलमान अक्सर नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम को

न खुद सीखते हैं, न अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाते हैं, हालांकि यह बहुत बड़ी कोताही है। जब इल्म न होगा तो अमल कैसे सही होंगे और अक़ीदे कैसे ठीक होंगे। फ़ख्रे आमल नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि—

'इल्म तलब करना मुसलमान औरत व मर्द पर फ़र्ज़ है।'

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ

इस ज़माने के मुसलमान अपनी औलाद की ग़ैर-दीनी तालीम को फ़ख्र समझते हैं और इस्लामी तालीम को ऐब जानते हैं, हालांकि फ़ख्रे कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि—

'इल्म कहलाने के लायक़ तीन इल्म हैं—१. क़ुरआनी आयतों का इल्म, २. नबी सल्ल० की सुन्नतों का इल्म, ३. दीनी फ़र्ज़ों का इल्म और इन तीन के अलावा सब ज़रूरत से फ़ाज़िल हैं।'

اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَّمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ

(مشكوة)

देखिए, तीन इल्म को असली इल्म क़रार दिया और इन के अलावा दुनिया भर के इल्मों को इन्सानी ज़रूरत से फ़ाज़िल बतलाया और इस की वजह यह है कि इंसान की असल ज़रूरत आख़िरत है और वहां काम आने वाले वही तीन इल्म हैं, जिन का ज़िक्र हदीस शरीफ़ में हुआ और इन तीन इल्मों के अलावा जितने इल्म हैं, चाहे उन से कभी दुनिया की ज़रूरतें निकल जाती हों, मगर चूंकि उन से आख़िरत की कामियाबी नहीं हो सकती, इस लिए असल ज़रूरत से फ़ाज़िल है।

इस किताब में हमने इस्लाम के अर्कान के मुताल्लिक़ ज़रूरी जानकारियां और मस्अले जमा किए हैं, इस को पढ़िए, समझिए, मुसलमानों को सुनाइए, समझाइए, अगर कोई बात समझ में न आए, तो किसी अच्छे लायक़ मुस्तनद आलिम से तहक़ीक़ कर लीजिए।

Maktabe Ashraf

अर्काने इस्लाम

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि—

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ
إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَ
إِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَ
صَوْمِ رَمَضَانَ. (مشکوٰۃ از بخاری و مسلم)

'इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गयी है—१. यह गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं, २. नमाज़ का क़ायम करना, ३. ज़कात देना, ४. हज करना, ५. रमज़ान के रोज़े रखना।

ईमान का बयान

इस हदीस पाक में पांच चीज़ों को इस्लाम की बुनियाद फ़रमाया है। पहली चीज़ ईमान है और ईमान का मतलब भी इसी हदीस पाक में बता दिया है कि अल्लाह तआला को सच्चा माबूद और एक-अकेला यक़ीन करे और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का बन्दा और पैग़म्बर यक़ीन के साथ जाने और समझे। कलिमा तैयबा और कलिमा शहादत में इसी इक़रार का एलान है। जब आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया तो उन्होंने जिन-जिन बातों पर यक़ीन करने को बताया है, उन सब का यक़ीन करना ज़रूरी हो गया।

Maktabe Ashraf

कलिमा तैयबा या कलिमा तौहीद

(ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्म-दुर्रसूलुल्लाह० لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं । मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं ।'

कलिमा शहादत

अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन-न मुहम्मद न अब्दुहू व रसूलुहू० اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ

'मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के बंदे और उस के रसूल हैं ।'

इन दोनों कलिमों का मतलब यही है कि अल्लाह तआला सच्चा माबूद है और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस के सच्चे रसूल हैं । उन के तरीक़े पर चलना कामियाबी और निजात है । उन्होंने जो अक़ीदे इर्शाद फ़रमाए हैं, उन अक़ीदों का मामना फ़र्ज़ है ।

एक हदीस में है कि एक आदमी ने हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से अर्ज़ किया कि 'आप मुझे बता दें कि ईमान क्या है ? आपने जवाब में फ़रमाया—

'ईमान यह है कि तू ईमान लावे अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उस की किताबों पर और उसके पैग़म्बरों पर और आख़िरत के दिन पर और अच्छी-बुरी तक़्दीर पर ।' اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِكَتِہٖ وَكُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِہٖ وَشَرِّہٖ (مشكوٰة)

ईमाने मुफ़स्सल

ईमाने मुफ़स्सल में इन्हीं बातों का इस तरह इक़रार करते हैं—

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِكَتِہٖ وَكُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۔

आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल् योमिल आख़िरि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल् बअ्सि बअदल मौति०

'मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उस के फ़रिश्तों पर और उस की किताबों पर और उस के रसूलों पर और आख़िरत के दिन पर और इस पर कि अच्छी-बुरी तक़्दीर अल्लाह की तरफ़ से है और मौत के बाद ज़िंदा होने पर।'

ईमाने मुज्मल में अल्लाह की तौहीद का इक़रार है और उस के तमाम हुक्म अपने ऊपर जारी करने का एलान है—

ईमाने मुज्मल

آمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ ۔

आमन्तु बिल्लाहि कमा हु-व बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिल्तु जमी-अ अह्कामिही०

'मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने उस के सब हुक्म क़ुबूल किए।'

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ भी फ़रमाया और बताया, सब हक़ है, उस का मानना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। आपने जो ग़ैब की बातें बतायी हैं, जैसे जन्नत और दोज़ख़ के हालात, क़ियामत के दिन के वाक़िआत, क़ब्र का अज़ाब व सवाब, जिस्मानी मेराज शरीफ़ का होना वग़ैरह-वग़ैरह, सब हक़ है।

नमाज़

नमाज़ इस्लाम का दूसरा रुक्न है। ईमान के बाद नमाज़ ही का दर्जा है, क़ुरआन शरीफ़ में इर्शाद है—

Maktabe Ashraf

'नमाज़ क़ायम करो और मुश्रिकों में से न बनो।'—सूरः रूम

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

और सैंकड़ों जगह क़ुरआन शरीफ़ में नमाज़ का ज़िक्र है, कहीं नमाज़ क़ायम करने का हुक्म है, कहीं नमाज़ियों की तारीफ़ है, कहीं नमाज़ को बुरी तरह पढ़ने की बुराई है।

हदीस शरीफ़ में है कि बेशक क़ियामत के दिन बन्दे के आमाल में सब से पहले नमाज़ का हिसाब होगा, पस अगर उस की नमाज़ ठीक निकली तो कामियाब और बा-मुराद होगा और अगर नमाज़ खराब निकली तो नुक़सान में पड़ेगा और कामियाबी से महरूम होगा।

साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि पांच नमाज़ें अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ की हैं, जिसने इन नमाज़ों का वुज़ू अच्छी तरह किया और उन को वक़्त पर पढ़ा और रुकूअ व सज्दा पूरी तरह अदा किया, तो उस के लिए अल्लाह तआला के ज़िम्मे यह अह्द है कि अल्लाह उस को बख़्श देगा और जिसने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए अल्लाह के ज़िम्मे कोई अह्द (बख़्शिश) का नहीं, चाहे बख़्शे, चाहे अज़ाब दे।—मिश्कात शरीफ़

एक बार हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्दी के ज़माने में आबादी से बाहर तशरीफ़ ले गये, उस वक़्त पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे। आपने एक पेड़ की दो टहनियां पकड़ लीं तो (और भी ज़्यादा) पत्ते झड़ने लगे, वहीं आप के एक ख़ास सहाबी हज़रत अबू-ज़र रज़ि० भी थे। आपने उन को आवाज़ दी कि ऐ अबूज़र! उन्हों ने जवाब दिया कि जी, मैं हाज़िर हूं। आपने फ़रमाया कि यक़ीन जानो मुसलमान बन्दा अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए नमाज़ पढ़ता है, तो उस के (छोटे) गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते इस पेड़ से झड़ रहे हैं। —मिश्कात शरीफ़

एक बार हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने अपने सहाबियों रज़ि० से फ़रमाया कि बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहर हो, जिस में वह रोज़ाना पांच बार गुस्ल

करता हो, क्या उसके बदन का मैल-कुचैल ज़रा-सा भी बाक़ी रहेगा? सहाबियों ने अर्ज़ किया, ज़रा भी बाक़ी न रहेगा। आप सल्ल० ने फ़रमाया, यही पांच नमाज़ों का हाल है, इनके ज़रिए अल्लाह तआला (छोटे) गुनाहों को मिटा देते हैं। —बुख़ारी शरीफ़

एक बार हुज़ूर सल्ल० ने नमाज़ का ज़िक्र फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि जिसने नमाज़ की, पाबंदी की उस के लिए क़ियामत के दिन नमाज़ नूर होगी और (उसके ईमान की) दलील होगी और (उस की) निजात (का सामान) होगी और जिसने नमाज़ की पाबंदी न की, उस के लिए नमाज़ न नूर होगी न (उस के ईमान की) दलील होगी, न निजात (का सामान) होगी और क़ियामत के दिन यह शख़्स क़ारून और फ़िरऔन और (उस के वज़ीर) हामान और (मशहूर मुश्रिक) उबई इब्ने ख़ल्फ़ के साथ होगा। —बैहक़ी

बे-वक़्त नमाज़ पढ़ना

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि यह मुनाफ़िक़ की नमाज़ है, जो बैठे हुए सूरज का इन्तिज़ार करता रहता है, यहां तक कि जब सूरज में पीलापन आ जाता है और सूरज शैतान के दोनों सींगों के दर्मियान आ जाता है तो खड़े होकर (अस्र की नमाज़ के नाम से मुर्ग़ की तरह) चार ठोंगें मार लेता है (और इन ठोंगों में जो हल्के सज्दों की सूरत में मारी हैं) बस अल्लाह को ज़रा बहुत याद करता है। —मुस्लिम शरीफ़

शैतान के दोनों सींगों के दर्मियान होने का मतलब यह है कि जब सूरज निकलता या डूबता है, तो शैतान उस के सामने खड़े होकर अपने सींगों को हिलाता है, जिस से जगमगाहट महसूस होती है और उस की इबादत करने वाले उसे पूजते हैं।

एक नमाज़ की क़ीमत

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस की एक नमाज़ जाती रही, उस का इतना बड़ा नुक़सान हुआ जैसे

किसी के घर के लोग और माल व दौलत सब जाता रहा।

—तर्ग़ीब व तर्हीब

जो मर्द व औरत बच्चों की परवरिश के ख़्याल में या तिजारत या मुलाज़मत के धंधों में नमाज़ छोड़ देते हैं, इन मुबारक हदीसों पर ग़ौर करें।

नमाज़ की चोरी

एक बार आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सब लोगों से ज्यादा बड़ा चोर वह है, जो अपनी नमाज़ में से चोरी करता है। यह सुन कर सहाबियों ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! नमाज़ की चोरी कैसी ? आपने फ़रमाया, (नमाज़ की चोरी यह है कि) उस का रुकूअ व सज्दा पूरा अदा न करे।

—मिश्कात शरीफ़

दीने इस्लाम में नमाज़ का मर्तबा

आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि उस का कोई दीन नहीं, जिस की नमाज़ नहीं। नमाज़ का मर्तबा दीने इस्लाम में वही है, जो सर का मर्तबा (इंसान) के जिस्म में है (यानी जिस तरह कोई शख़्स बग़ैर सर के ज़िंदा नहीं रह सकता, उसी तरह नमाज़ के बग़ैर आदमी ठीक तरह मुसलमान नहीं हो सकता। यह हदीस अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब की है।

बच्चों को पढ़ाना मां-बाप के ज़िम्मे है

आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि अपनी औलाद को नमाज़ का हुक्म दो, जबकि सात वर्ष के हो जाएं और नमाज़ न पढ़ने पर उन को मारो जबकि दस वर्ष के हो जाएं और दस वर्ष की उम्र हो जाने पर उन के बिस्तर भी अलग कर दो (एक को दूसरे के साथ न सुलाओ।

—अबूदाऊद शरीफ़

ज़रूरी तंबीह

नमाज़ में जो कुछ पढ़ा जाता है यानी अल्हम्दु शरीफ़ और दूसरी

सूरः और अत्ताहीयात और दुआ-ए-क़ुनूत वग़ैरह उस को खूब अच्छी तरह सही कर के याद कराना ज़रूरी है, जिसे ठीक याद हो उसे सुना दो। हर्फ़ों की अदाएगी के फ़र्क़ को खूब मेहनत कर के ठीक कर लो और खूब दिल लगा कर अच्छी से अच्छी नमाज़ पढ़ा करो।

नमाज़ सही होने के लिए बहुत सी शर्तें और ज़रूरी चीज़ें हैं। एक शर्त नमाज़ सही होने के लिए यह है कि नमाज़ी आदमी नजासते हक़ीक़ी और नजासते हुक्मी से पाक हो, इस लिए अब हम तहारत व नजासत का बयान शुरू करते हैं।

तहारत व नजासत का बयान

तहारत यानी पाकी का दीने इस्लाम में बड़ा मर्तबा है। क़ुरआन शरीफ़ में इर्शाद है—

'बिला शुब्हा अल्लाह दोस्त रखता है बहुत तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है खूब पाक रहने वालों को।'

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

और हदीस शरीफ़ में है—

'पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है' —मुस्लिम शरीफ़

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ. (مسلم شریف)

और हदीस शरफ़ में यह भी है कि 'कोई नमाज़ बग़ैर पाकी के क़ुबूल नहीं होती और कोई सद्क़ा हराम माल से क़ुबूल नहीं होता।' —मुस्लिम

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُوْلٍ. (مسلم شریف)

नजासत दूर करने को तहारत कहते हैं। नजासत की दो किस्में हैं—

१-नजासते हुक्मी—नजासते हुक्मी उसे कहते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर देखने में न आए, लेकिन शरीअत का हुक्म होने की वजह से नापाकी मान कर पाकी हासिल करना फ़र्ज़ होता है। इस की दो क़िस्में हैं—

Maktabe Ashraf

(क) ह्-द-से अक्बर--यानी ग़ुस्ल फ़र्ज़ होना,

(ख) ह्-द-से अस्ग़र--यानी वुज़ू फ़र्ज़ होना।

नमाज़ दुरुस्त होने के लिए ह्-द-से अक्बर और ह्-द-से अस्ग़र दोनों से पाक होना फ़र्ज़ है।

२. नजासते हक़ीक़ी--नजासते हक़ीक़ी वह है जो देखने मे अल्लाह और शरीअत ने उस को नापाक क़रार दिया है और ऐसी चीज़ों को आम तौर से इंसान भी नापाक और गंदी समझते हैं, जैसे पेशाब, पाख़ाना, मनी व मज़ी वग़ैरह। नजासते हक़ीक़ी की भी दो क़िस्में हैं—नजासते ग़लीज़ा, नजासते ख़फ़ीफ़ा।

१. नजासते ग़लीज़ा—ख़ून और आदमी का पाख़ाना, पेशाब, मनी, शराब, कुत्ते, बिल्ली का पाख़ाना, सुअर के जिस्म का हर हिस्सा यहां तक कि उसके बाल भी और घोड़े, गधे, ख़च्चर की लीद, गाय, बैल, भैंस का गोबर, बकरी, भेड़ की मेंगनी, मुर्ग़-बत्तख़, मुर्ग़ाबी की बीट, गधे, ख़च्चर और तमाम हराम जानवरों का पेशाब, ये सब चीज़ें नजासते ग़लीज़ा हैं और छोटे दूध पीते बच्चों का पेशाब भी नजासते ग़लीज़ा है।

२. नजासते ख़फ़ीफ़ा—हराम परिंदों की बीट और हलाल चौपायों जैसे बकरी, गाय, भैंस, बैल, ऊंट और घोड़े का पेशाब नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मस्अला—मुर्ग़ी, बत्तख़ और मुर्ग़ाबी के अलावा हलाल परिंदों की बीट पाक है, जैसे कबूतर, गौरय्या यानी चिड़िया वग़ैरह।

मस्अला—मछली का ख़ून नजिस नहीं। अगर कपड़े या बदन में लग जाए, चाहे जितना हो, बग़ैर धोए नमाज़ हो जाएगी, मक्खी, खटमल, मच्छर का ख़ून भी नापाक नहीं।

मस्अला—हलाल जानवर को शरीअत के मुताबिक़ ज़िब्ह करने के बाद जब उस का ख़ून बह कर निकल जाता है, तो बोटियों में थोड़ा-बहुत जो ख़ून लगा रह जाता है, वह भी पाक है।

मस्अला—नजासते ग़लीज़ा में से अगर पतली और बहने वाली

चीज़ कपड़े या बदन में लग जाए, तो अगर फैलाव में रुपए के बराबर हो या उससे कम हो, तो माफ़ है, उस के धोए बग़ैर अगर नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन न धोना और इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहना मक्रूह है। अगर रुपए से ज़्यादा हो तो वह माफ़ नहीं। उसके धोए बग़ैर नमाज़ न होगी। अगर नजासते ग़लीज़ा में से गाढ़ी चीज़ लग जावे, जैसे पाख़ाना और मुर्ग़ी वग़ैरह की बीट, तो अगर वज़न में साढ़े चार माशा या उस से कम हो तो बग़ैर धोए दुरुस्त है और अगर इस से ज़्यादा लग जाए तो बग़ैर धोए नमाज़ दुरुस्त नहीं।

मस्अला—अगर नजासते ख़फ़ीफ़ा कपड़े या बदन में लग जाए, तो जिस हिस्से में लगी है, अगर उस के चौथाई से कम हो, तो बग़ैर धोए नमाज़ हो जाएगी और अगर पूरा चौथाई या उस से ज़्यादा भर गया हो तो माफ़ नहीं। अगर आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई से कम हो। अगर कली में लगी है तो उस की चौथाई से कम हो, तब नमाज़ दुरुस्त होगी। इसी तरह अगर नजासते ख़फ़ीफ़ा हाथ में लगी हो तो अगर चौथाई हाथ से कम में लगी हो तो माफ़ है। इसी तरह अगर टांग में लग जाए, तो उस की चौथाई से कम हो, तब माफ़ है।

मस्अला—थोड़ा पानी जो बहता हुआ नहीं है और वह दह दर दह (दस-दस हाथ लंबा, चौड़ा) से कम है तो नापाकी पड़ने से नापाक हो जाता है। अगर पानी में नजासते ग़लीज़ा गिर जाए तो वह पानी भी नजासते ग़लीज़ा हो जाता है। अगर नजासते ख़फ़ीफ़ा गिर जाए तो नजासते ख़फ़ीफ़ा हो जाता है।

पाक करने का तरीक़ा

नजासत अगर कपड़े या बदन में लग जाए, चाहे गाढ़ी नजासत हो जैसे पाख़ाना, चाहे पतली बहने वाली नजासत हो जैसे पेशाब

ओर नापाक पानी, बहरहाल धोने से पाक हो जाता है।

मस्अला—अगर दलदार[1] नजासत लग जावे जैसे पाखाना, खून तो इतना धोए कि नजासत छूट जाए और धब्बा जाता रहे चाहे जितनी बार में छूटे। जब नजासत छूट जाएगी तब कपड़ा पाक हो जाएगा और अगर बदन में लग गयी हो, तो उस का भी यही हुक्म है, हां अगर पहली ही बार में नजासत छूट गयी तो दोबारा और धो लेना बेहतर है और अगर दो बार में छूटी तो एक बार और धोए, ग़रज़ यह कि तीन बार पूरा कर लेना बेहतर है।

मस्अला—अगर कई बार धोने और नजासत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गयी या कुछ धब्बा रह गया, तब भी कपड़ा पाक हो गया। साबुन वग़ैरह लगा कर धब्बा छुड़ाना और बदबू दूर करना ज़रूरी नहीं।

मस्अला—अगर पेशाब जैसी कोई नजासत लग गयी, जो दल-दार यानी जिस्म वाली नहीं है, तो तीन बार धोए और हर बार निचोड़े और तीसरी बार अपनी ताक़त भर खूब ज़ोर से निचोड़े तब पाक होगा।

मस्अला—अगर नजासत ऐसी चीज़ में लगी है, जिस को निचोड़ा नहीं जा सकता जैसे लिहाफ़, तोशक, चटाई वग़ैरह, तो उस के पाक करने का तरीक़ा यह है कि एक बार धोकर ठहर जावे। जब पानी टपकना बंद हो जावे तो फिर धोए, फिर जब पानी टप-कना बन्द हो तो फिर धोए, इसी तरह तीन बार धोए तो वह चीज़ पाक हो जाएगी।

मस्अला—जूते और चमड़े के मोज़े में अगर दलदार नजासत लग कर सूख जाए जैसे गोबर, पाखाना, खून वग़ैरह तो ज़मीन पर खूब घिस कर नजासत छुड़ा डालने से पाक हो जाता है, ऐसे ही खुरच डालने से भी पाक हो जाता है और अगर सूखी न हो तो भी अगर इतना रगड़ डाले और घिस देवे कि नजासत का नाम व निशान

१. दलदार यानी जिस्म वाली, गाढ़ी नजासत।

बाक़ी न रहे तो पाक हो जाएगा।

मस्अला—और अगर पेशाब की तरह की नजासत जूते में या चमड़े के मोज़े में लग गयी, जो दलदार नहीं है, तो धोए बग़ैर पाक न होगा।

मस्अला—आईने का शीशा और छुरी-चाक़ू, चांदी-सोने के ज़ेवर, तांबे, लोहे, गिलट, शीशे वग़ैरह की चीजें अगर नजिस हो जावें तो खूब पोंछ डालने और रगड़ देने या मिट्टी से मांझ डालने से पाक हो जाती हैं, लेकिन अगर नक़्शीन चीज़ें हों, जिन में फूल-पत्ती के गढ़े हों, तो बे-धोए पाक न होगी।

मस्अला—ज़मीन पर नजासत पड़ गयी, फिर ऐसी सूख गयी कि नजासत का निशान बिल्कुल जाता रहा, न तो नजासत का धब्बा है, न बदबू आती है, तो इस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो जाती है, लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, हां, नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, जो ईंटें या पत्थर, चूने या गारे से ज़मीन में खूब जमा दिए गये हों, उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाने और निजासत का निशान न रहने से पाक हो जाएंगे।

मस्अला—जो ईंटें ज़मीन पर सिर्फ़ बिछा दी गयी हों, चूना या गारे से उनकी जुड़ाई नहीं की गयी हं, वे सूखने से पाक न होंगी, उन को धोना पड़ेगा।

मस्अला—नजिस चाक़ू, छुरी या मिट्टी-तांबे वग़ैरह के बर्तन अगर दहकती आग में डाल दिए जाएं तो भी पाक हो जाते हैं।

मस्अला—नजिस मिट्टी से जो बरतन कुम्हार ने बनाए तो जब तक वे कच्चे हैं, नापाक हैं। जब पका लिए गए तो पाक हो गये।

मस्अला—शहद या शीरा या घी या तेल नापाक हो गया तो जितना तेल वग़ैरह हो उतना या उससे ज्यादा पानी डाल कर पकावे जब पानी जल जाए तो फिर पानी डाल कर जलावे। इसी तरह तीन बार करने से पाक हो जाएगा या यों करो कि जितना घी या तेल हो, उतना ही पानी डाल कर हिलाओ। जब वह पानी के ऊपर आ जाए तो किसी तरह उठा लो। इसी तरह तीन बार पानी मिला

कर उठाओ तो पाक हो जाएगा।

मस्अला—रूमाली गीली हो तो हवा निकलने से कपड़ा नजिस नहीं होता।

इस्तिंजे का बयान

पाखाना और पेशाब के बाद जो नापाकी बदन में लगी रहे, उसके दूर करने को इस्तिन्जा कहते हैं। पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक ढेले या पत्थर से पेशाब के क़तरों को सुखा लिया जाए, फिर पानी से धोया जाए। पाखाने के बाद मिट्टी या पत्थर के तीन या पांच या सात ढेलों से पाखाने की जगह को साफ़ करे, फिर पानी से धोए, जब पखाना जाने का इरादा हो, तो बिस्मिल्लाह कह कर यह पढ़े—

'मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं नर व मादा शैतानों से'। أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. (مشکوٰۃ شریف)

इस के बाद बायां पांव बैतुलखला में रखे और इस तरह बैठे कि न क़िब्ले की तरफ़ मुंह हो और न पीठ हो, बाएं पांव पर बोझ दे कर बैठे। अपनी शर्मगाह और निजासत की तरफ़ न देखे और फ़ारिग़ होकर बाएं हाथ से इस्तिन्जा करे, फिर बैतुलखला से अव्वल दाहिना पांव बाहर निकाले, फिर बायां और बाहर आने के बाद 'ग़ुफ़रा-न-क' (ऐ अल्लाह! मैं तुझ से मग़फ़िरत का सवाल करता हूं) कहे, फिर पढ़े—

'सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिस ने मुझ से दूर कर दिया गन्दगी को और मुझे आराम दिया'। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ ہ (مشکوٰۃ)

मस्अला—दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करना, पाखाना करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ या मुंह करना, हड्डी से इस्तिन्जा करना मना है।

मस्अला—सूराख़ में पेशाब करना, तालाब और तालाब के घाट पर या साए में जहां लोग उठते-बैठते हो, पेशाब या पाखाना करना

भी मना है।

मस्अला –जिस चीज़ को आदमी या जानवर खाते हों, उस से इस्तिन्जा न करे।

मस्अला—पाखाना, पेशाब करते वक्त बात करना मना है।

कुएं का बयान

कुएं में अगर नजासते ग़लीज़ा या ख़फ़ीफ़ा गिर जाए या कोई ख़ून वाला जानवर गिर कर मर जाए या ऐसा जानवर गिर जाए, जिस का जूठा ना-पाक हो तो कुवां नापाक हो जाएगा और कुएं का तमाम पानी निकाल देने से पाक हो जाएगा। अगर आदमी या बकरी या इन से बड़ा कोई जानदार कुएं में गिर कर मर जाये या बहते ख़ून वाला कोई जानदार कुएं में मर जाए और फूल जाए या फट जाए, अगरचे छोटा जानवर हो, जैसे चूहा हो या कुत्ता-बिल्ली, आदमी, गाय, बकरी कुएं में पेशाब करदे तो इन तमाम शक्लों में तमाम पानी निकाला जाए। तमाम पानी निकालने का यह मतलब है कि इतना पानी निकालें कि पानी टूट जाए और आधा डोल भी न भरे।

मस्अला—कबूतर, बिल्ली, मुर्ग़ी या इतना ही बड़ा कोई जान-दार कुएं में गिर कर मर गया, लेकिन फूला-फटा नहीं तो चालीस डोल पानी निकाला जाए और साठ डोल निकाल दें तो बेहतर है।

मस्अला—और अगर चूहा या चिड़िया या इतना ही बड़ा कोई जानदार कुएं में गिर कर मर जाए तो बीस डोल पानी निकाला जाए और अगर तीस डोल निकाल दें तो बेहतर है। यह इस शक्ल में है जबकि वह फूला-फटा न हो, अगर फूल गया हो या फट गया हो तो तमाम पानी निकाला जाएगा।

तंबीह—जितना पानी निकालना हो, पहले नजासत को निकाल लें, अगर नजासत निकालने से पहले पानी निकाल दिया तो कुंवा

Maktaba Ashraf

पाक नहीं हुआ।

फ़ायदा—जिस कुएं में जो डोल पड़ा रहता है, उसी के हिसाब से गिनती की जाए और जितना पानी निकालना ज़रूरी हो, उस से निकालने से कुंआ, डोल, रस्सी सब पाक हो जाएंगे।

जूठे का बयान

हर आदमी का जूठा पाक है, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे मुसलमान हो या काफ़िर, चाहे हैज़ व नफ़ास वाली औरत हो, चाहे वह मर्द व औरत हो, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो। इसी तरह इन सब का पसीना भी पाक है। हां, अगर मुंह में कोई ज़ाहिरी नजासत, जैसे, ख़ून, शराब, क़ै लगी हो, तो जब तक ये चीज़ें कुल्ली कर के पाक करने या लुआब से साफ़ करने से ख़त्म न हो जाएं, उस वक़्त तक जूठा पाक न होगा।

मस्अला—कुत्ता, सुअर, शेर, बन्दर, भेड़िया, गीदड़, और जितने चीड़-फाड़ कर खाने वाले जानवर हैं, उन सब का जूठा ना-पाक है।

मस्अला—बिल्ली और चूहे का जूठा पाक तो है, लेकिन मक्रूह है। हां, अगर बिल्ली ने चूहा खाया और फ़ौरन आ कर बर्तन में मुंह डाल दिया, तो नापाक हो जाएगा और अगर थोड़ी देर ठहर कर ज़ुबान से मुंह चाट कर बर्तन में डाल दिया, तो ना-पाक नहीं होगा। बल्कि मक्रूह ही रहेगा।

मस्अला—खुली हुई मुर्ग़ी, जो इधर-उधर फिरती है और हर तरह की पाक व नापाक चीज़ें खाती है, उस का जूठा मक्रूह है, बशर्ते कि उस की चोंच पर नापाकी का यक़ीन हो और अगर उसकी चोंच के ना-पाक होने का यक़ीन हो, तो चोंच डालने से पानी, सालन वग़ैरह ना-पाक हो जाएगा और जो मुर्ग़ी बन्द रहती हो, उसका जूठा मक्रूह भी नहीं, बिला कराहत पाक है।

मस्अला—शिकार करने वाले परिंदे, जैसे शकरा, बाज़ वग़ैरह इन का जूठा भी मक्रूह है, लेकिन इन में से जो पालतू हो और बन्द

रहता हो, मुर्दार न खाता हो और उस की चोंच में नापाकी न होने का यक़ीन हो, तो उसका झूठा पाक है।

मस्अला—जानवर जैसे मेंढा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हिरन वग़ैरह और हलाल परिन्दे जैसे फ़ाख़्ता, तोता, मैना, चिड़िया, इन सब का जूठा पाक है, और घोड़े का भी जूठा पाक है।

मस्अला—अगर कहीं गधे या ख़च्चर का जूठा पानी मिले और उस के सिवा पाक पानी न हो तो ऐसी हालत में वुज़ू और तयम्मुम दोनों करे।

मस्अला—जिन जानवरों का जूठा पाक है, उन का पसीना भी पाक है और जिन का जूठा नजिस है, उन का पसीना भी नजिस है और जिन का जूठा मक्रूह है, उन का पसीना भी मक्रूह है।

पानी का बयान

आसमान से बरसे हुए पानी और नदी-नाले, चश्मे और कुंए और तालाब और दरियाओं के पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल करना दुरुस्त है, चाहे मीठा पानी हो या खारी हो।

मस्अला—किसी कुएं वग़ैरह में पेड़ के पत्ते वग़ैरह गिर पड़ें और पानी में बदबू आने लगे और रंग व मज़ा भी बदल गया तो भी उस से वुज़ू दुरुस्त है, जब तक कि पानी उसी तरह पतला बाक़ी रहे।

मस्अला—जिस पानी में नजासत पड़ जाए, उस से वुज़ू-ग़ुस्ल कुछ दुरुस्त नहीं, चाहे वह नजासत थोड़ी हो, या बहुत हो, हां, बहता हुआ पानी हो तो वह नजासत के पड़ने से नापाक नहीं होता, जब तक कि उस के रंग या मज़े या बू में फ़र्क़ न आए, जब नजासत की वजह से रंग या मज़ा बदल गया या बू आने लगी तो बहता हुआ पानी भी नजिस हो जाएगा, इस से वुज़ू और ग़ुस्ल दुरुस्त न होगा और जो पानी घास के तिनके, पत्ते वग़ैरह को बहा कर ले जाए, तो वह बहता पानी समझा जाएगा, चाहे कितना ही धीरे-धीरे बहता हो।

मस्अला—बड़ा भारी हौज़, जो दस हाथ लंबा और दस हाथ चौड़ा हो और इतना गहरा हो कि अगर चुल्लू से पानी उठाएं, तो ज़मीन न खूले, यह भी बहते हुए पानी की तरह है। ऐसे हौज़ को देह दर देह कहते हैं। अगर इस में ऐसी नजासत पड़ जाए, जो पड़ जाने के बाद दिखलायी नहीं देती है, जैसे पेशाब-खून, शराब वगैरह तो चारों तरफ़ वुज़ू करना दुरुस्त है। जिधर चाहे, वुज़ू कर ले और ऐसी नजासत पड़ जाए जो दिखलायी देती है जैसे मुर्दा कुत्ता, तो जिधर पड़ा हो, उस तरफ़ वुज़ू न करे, उस के सिवा जिस तरफ़ चाहे, वुज़ू कर ले, हां, अगर हौज़ में इतनी नजासत पड़ जाए कि रंग या मज़ा बदल जाए या बदबू आये तो नजिस हो जाएगा।

मस्अला—देह दर देह हौज़ में जहां पर धोवन गिरा है, अगर वहीं से फिर पानी उठा लेवे तो भी जायज़ है।

मस्अला—अगर कोई काफ़िर या बच्चा पानी में हाथ डालदे तो पानी नजिस न होगा और अगर यह मालूम हो जाए कि उस के हाथ में नजासत लगी थी, तो ना-पाक हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों का कुछ एतबार नहीं, इस लिए जब तक कि और पानी न मिले, उस के डाले हुए पानी से वुज़ू न करना बेहतर है।

मस्अला—जिस पानी में ऐसी जानदार चीज़ मर जाए जिस का बहता हुआ ख़ून नहीं होता या बाहर मर कर गिर पड़े तो पानी नजिस नहीं होता, जैसे, मक्खी, मच्छर, भिड़, ततैया, बिच्छू, शहद की मक्खी या इसी क़िस्म की और जो चीज़ हो।

मस्अला—जिस जानदार की पैदाइश पानी ही हो और पानी ही में रहता हो जैसे मछली, समुद्री मेंढक, कछुआ, केकड़ा वगैरह, अगर पानी में मर जाए तो पानी ना-पाक नहीं होता।

खाल का बयान

मस्अला—मुरदार की खाल को जब धूप में सुखा डालें या कुछ

दवा वग़ैरह लगा कर दुरुस्त कर लें, जिस से सूख जाए और नापाक तरी ख़त्म हो जाए और रखने से ख़राब न हो तो खाल इस तरह से पाक हो जाती है, इस पर नमाज़ पढ़ना और उस की मशक बना कर पानी भर कर रखना और उससे वुज़ू करना, पीना, पकाना सब दुरुस्त है, लेकिन इंसान और सुअर की खाल किसी तरह भी पाक नहीं हो सकती और सब खालें पाक हो जाती हैं और इंसान की खाल को काम में लाना, इस्तेमाल करना सख़्त गुनाह है।

मस्अला—ऊपर ज़िक्र किए हुए तरीक़े से जिन जानवरों की खाल पाक हो जाती है, अगर इन जानवरों को 'बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर' कह कर कोई मुसलमान ज़िब्ह कर दे, तब भी पाक हो जाती है। इस शक्ल में सुखाना दवा लगाना, पाक होने के लिए शर्त नहीं है, चाहे हलाल जानवर हो, चाहे हराम हो।

मस्अला—मुर्दार के बाल और सींग और हड्डी, ये सब चीज़ें पाक हैं। अगर पानी में गिर जाएं तो नापाक न होगा, बशर्ते कि इन चीज़ों पर चिकनाई, ख़ून न लगा हो।

मस्अला—सांप की केंचुली पाक है।

वुज़ू, ग़ुस्ल और तयम्मुम का बयान

वुज़ू

वुज़ू में चार फ़र्ज़ हैं—

१. पेशानी के बालों से ठोढ़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक मुंह धोना,

२. दोनों हाथ कुहनियों समेत धोना,

३. चौथाई सर का मसह करना,

४ दोनों पांव टख़नों समेत धोना।

वुज़ू की सुन्नतें

१. नीयत करना, २. शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, ३. पहले दोनों

कलाई तक धोना, ४. कुल्ली करना, ५. मिस्वाक करना, ६. नाक में पानी डालना, यानी सांस के साथ ऊपर को पानी लेना, जहां तक नर्म जगह है, ७. हर उज्व तीन-तीन बार धोना, ८. सारे सर और कानों का मसह करना, ८. दाढ़ी और उंगलियों का खलाल करना, १०. लगातार इस तरह धोना कि पहला उज्व खुश्क न होने पाए और दूसरा उज्व धुल जाए, तर्तीबवार धोना कि पहले मुंह धोए, फिर कुहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसह करे, फिर पांव धोए।

फ़ायदा—सुन्नत छोड़ने से वुज़ू तो हो जाता है, मगर सवाब कम मिलता है।

फायदा—वुज़ू में कोई वाजिब नहीं है।

वुज़ू की मुस्तहब चीज़ें

ये चीज़ें वुज़ू में मुस्तहब हैं—

१. क़िब्ला रुख होकर बैठना, २. मल-मल कर धोना, ३. दाहिनी तरफ़ से शुरू करना, ४. बचा हुआ पानी खड़े हो कर पीना, ५. गरदन का मसह करना, ६. दूसरे से मदद न लेना।

वुज़ू की मकरूह चीज़ें

वुज़ू में ये चीज़ें मक्रूह हैं—

१. ना-पाक जगह वुज़ू करना, २. सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, ३. वुज़ू करते वक्त दुनिया की बातें करना, ४. सुन्नत के खिलाफ़ वुज़ू करना, ५. पानी ज्यादा बहाना, ६. ज़ोर से छपक्के मारना।

मस्अला—वुज़ू में गरदन का मसह मुस्तहब है और गले का मसह बिद्अत है।

वुज़ू तोड़ने वाली बातें

इन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है—

पाखाना-पेशाब, मज़ी, हवा का निकलना, खून या पीप निकल

कर बह जाना, मुंह भर कर क़ै हो जाना, टेक लगा कर सो जाना, मस्त या बेहोश हो जाना, रुकूअ व सज्दा वाली नमाज़ में खिलखिला कर हंसना।

वज़ू करने का मस्नून तरीक़ा

जब नमाज़ पढ़ने का इरादा हो तो दिल में नीयत करो कि मैं वुज़ू करता हूं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीन बार दोनों हाथों को पहुंचों तक धोओ। फिर तीन बार कुल्ली और मिस्वाक करो। इसके बाद तीन बार नाक में पानी डालो। और बाएं हाथ से नाक साफ़ करो। फिर तीन बार मुंह धोओ, पेशानी से लेकर ठोढ़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर दाढ़ी घनी हो, तो जो बाल चेहरे की हद में हैं, उन का धोना फ़र्ज़ है और जो बाल चेहरे की हद से बढ़े हों, उन का धोना ज़रूरी नहीं, हां, ऐसी दाढ़ी का ख़लाल करना सुन्नत है और जो हल्की दाढ़ी हो, जिस में नज़र आता हो, उस के नीचे ठोढ़ी तक धोना फ़र्ज़ है। इस के बाद दोनों हाथ कुहनियों समेत तीन बार धोओ, पहले दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ धोओ, फिर सर का और उंगलियों के पिछले हिस्से से गरदन का मसह करना। मसह का तरीक़ा यह है कि पानी से दोनों हाथों को तर कर के सब उंगलियां बराबर मिला कर पेशानी के बालों पर रख कर गुद्दी तक ले जाओ, फिर गुद्दी से लेकर दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह सामने की तरफ़ वापस लाओ कि कानों से लेकर सर के बीच तक जो हिस्सा दाएं-बाएं बाक़ी रह गया हो, उस का मसह होता चला जाए, उस के साथ ही कानों का मसह इस तरह करो कि कानों के दोनों सूराखों में शहादत की उंगलियां डाल कर अंगूठों से कानों के पिछले हिस्से पर मसह करो। मसह सिर्फ़ एक ही बार करना चाहिए, इस के बाद दायां पांव टख़नों तक तीन बार धोओ, फिर इसी तरह बायां पांव तीन बार धोओ। वुज़ू के बाद यह दुआ पढ़नी मस्नून है।

Maktabe Ashraf

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○ (مشكوة)

मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है, कोई भी उस का शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। ऐ मेरे अल्लाह ! मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों और पाकी हासिल करने वालो में से बना।

हदीस --अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस मुसलमान ने अच्छी तरह वुज़ू कर के दो रक्अतें इस तरह पढ़ीं कि दो रक्अतों की तरफ़ ध्यान रखा, तो उस के लिए जन्नत वाजिब होगी।

तयम्मुम का बयान

जिस को वुज़ू या ग़ुस्ल करने की ज़रूरत हो और पानी न मिले या पानी तो हो, लेकिन उस के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ने या बीमारी हो जाने का बड़ा डर हो या रस्सी-डोल यानी कुएं से पानी निकालने का सामान मौजूद न हो या दुश्मन का डर हो या सफ़र में पानी एक मील के फ़ासले पर हो, तो इन सब शक्लों में वुज़ू और ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम करे।

तयम्मुम का तरीक़ा

तयम्मुम में नीयत फ़र्ज़ है यानी नीयत करे कि मैं ना-पाकी दूर करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं, नीयत के बाद दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे, फिर हाथ झाड़ कर तमाम मुंह पर मले और जितना हिस्सा मुंह का वुज़ू में धोया जाता है.

उतने हिस्से पर हाथ पहुंचाए, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर हाथ को कुहनियों तक मले और उंगलियों का ख़लाल भी करे।

वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क़ नहीं, जितनी पाकी वुज़ू और ग़ुस्ल से होती है, उतनी ही तयम्मुम से भी होती है। अगर बीस साल तक पानी न मिले तो तयम्मुम ही करता रहे।

तंबीह—पत्थर पर तयम्मुम जायज़ है, चाहे उस पर मिट्टी या धूल न हो, लेकिन कपड़े पर जायज़ नहीं। कुछ आदमी रेल में सफ़र करते हुए पानी न मिलने पर अपनी चादर पर तयम्मुम कर लेते हैं, यह जायज़ नहीं।

तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें

जो चीज़ें वुज़ू को तोड़ देती हैं, उन से तयम्मुम भी टूट जाता है, पानी का मिलना और उसके इस्तेमाल पर क़ुदरत होना भी तयम्मुम को तोड़ देता है।

मस्अला—अगर किसी का वुज़ू भी नहीं और ग़ुस्ल भी नहीं है, तो एक ही तयम्मुम काफ़ी है। वुज़ू और ग़ुस्ल की नीयत करके अलग-अलग दो बार तयम्मुम करना ज़रूरी नहीं।

Maktabe Ashraf

ग़ुस्ल का बयान

इन चीज़ों से ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है—

१. जागते में शहवत से मनी निकलना,

२. सोहबत करना, (अगरचे मनी न निकले),

३. हैज़ ख़त्म होना,

४. निफ़ास बन्द होना।

फ़ायदा—हैज़ उस ख़ून को कहते हैं, जो औरतों को हर माह

आता है और निफ़ास वह ख़ून है, जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है।

ग़ुस्ल के फ़र्ज़

ग़ुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं—

१. ख़ूब हलक़ तक पानी से मुंह भर कर कुल्ली करना,

२. नाक में पानी चढ़ाना, जहां तक नर्म जगह है,

३. तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना।

ग़ुस्ल की सुन्नतें

ग़ुस्ल की सुन्नतें ये हैं—

१. पाक होने की नीयत करना, २. पहले ज़ाहिरी ना-पाकी को दूर करना और इस्तिंजा करना, ३. फिर वुज़ू करना, ४. सारे बदन पर तीन बार पानी बहाना, ५. बदन को अच्छी तरह मलना।

ग़ुस्ल का मस्नून तरीक़ा

जब ग़ुस्ल करने का इरादा हो तो पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोए, फिर इस्तिंजा करे और अगर ज़ाहिरी ना-पाकी किसी जगह लगी है, तो उसे धो डाले, फिर वुज़ू करे, जैसे नमाज़ के लिए वुज़ू करते हैं। ख़ूब मुंह भर कर कुल्ली करे, रोज़ा न हो तो ग़रारा भी करे और नाक में ख़ूब ख़्याल करके पानी चढ़ावे। अगर पत्थर या पक्की ज़मीन पर ग़ुस्ल करे, तो दोनों पांव भी उसी वुज़ू में धो ले, वुज़ू के बाद थोड़ा-सा पानी लेकर सारे बदन को मले, फिर तीन बार सर पर पानी डाले और इसके बाद दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर तीन-तीन बार पानी डाले और हर जगह पानी पहुंचावे, बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाएगी, तो ग़ुस्ल न होगा, फिर उस जगह से हट जावे और पांव धो लेवे। अगर वुज़ू के वक़्त पांव धो लिए थे, तो अब पांव धोने की ज़रूरत नहीं।

मस्अला—अगर ग़ुस्ल के बाद याद आए कि फ़्लां जगह पानी न

पहुंचाया था, तो फिर से पूरा ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि ख़ास उसी जगह को धो ले। अगर कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल गया तो ख़ास कमी को पूरा करने से ग़ुस्ल पूरा हो जाएगा।

मस्अला—ग़ुस्ल करते वक़्त जो वुज़ू किया है, उस से नमाज़ पढ़ सकते हैं।

जुमा का ग़ुस्ल

जुमा के दिन नमाज़ से पहले ग़ुस्ल करना सुन्नत है। हदीस शरीफ़ में इस की बड़ी तर्ग़ीब व ताकीद आयी है।

मोज़ों का मसह

अल्लाह पाक के दीन में बड़ी-बड़ी आसानियां हैं। इन्हीं में से एक आसानी यह है कि अगर चमड़े के मोज़े वुज़ू कर के पहन लेवे और फिर वुज़ू टूट जावे, तो अब वुज़ू करते वक़्त मोज़े उतार कर पांव धोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वुज़ू कर के मोज़ों पर मसह कर लेना काफ़ी है, मगर शर्त यह है कि मोज़ों से दोनों पांव के टख़ने छिपे हों।

मस्अला—मुसाफ़िर तीन दिन, तीन रात और जो घर पर है, वह एक दिन और एक रात के अन्दर-अन्दर, जितनी बार वुज़ू करे, मोज़ों पर मसह कर सकता है। जब यह मुद्दत गुज़र गयी तो अब मोज़े उतार कर पांव धोए बग़ैर वुज़ू न होगा और यह एक दिन, एक रात (ग़ैर-मुसाफ़िर के लिए) और तीन दिन-तीन रात (मुसाफ़िर के लिए) उस वक़्त से गिने जाएंगे, जिस वक़्त मोज़े पहनने के बाद वुज़ू टूटा है।

मस्अला—मोज़े पर मसह करने का तरीक़ा यह है कि हाथ की उंगलियां तर कर के पूरी उंगलियों को पांव की उंगलियों पर रख

कर पिंडुली तक एक बार खींच ले, कम से कम हाथ की तीन उंगलियों से मसह करे। अगर दो उंगलियों से मसह किया, तो दुरुस्त नहीं हुआ।

मस्अला—वुज़ू टूटने से मोज़े का मसह टूट जाता है।

मस्अला—अगर एक मोज़ा उतार दिया, तो दोनों पांव का मसह टूट गया। इसी तरह दोनों मोज़ों या एक मोज़े के अन्दर पानी भर गया तो भी दोनों पाव का मसह टूट गया और अगर मसह की मुद्दत ख़त्म हो गयी, तब भी मसह टूट गया। इन तीनों शक्लों में अगर वुज़ू नहीं टूटा है, बल्कि सिर्फ़ मसह टूटा है, तो सिर्फ़ पांव धोकर, ऊपर से मोज़े पहन कर उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ी जा सकती है। पूरा वुज़ू दोहराना ज़रूरी नहीं।

मस्अला—जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया, उस के लिए मोज़ों का मसह दुरुस्त नहीं। पांव धोए बग़ैर ग़ुस्ल न होगा।

मस्अला—आम तौर से जो बुने हुए मोज़े पहने जाते हैं, जो कि बाज़ारों में बिकते हैं, उन पर मसह दुरुस्त नहीं है।

मुतफ़र्रिक़ मस्अले

मस्अला—बे-वुज़ू क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना दुरुस्त है, मगर छूना दुरुस्त नहीं और जिन पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो उसके लिए न क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने की इजाज़त है, न छूने की। हां, अगर जुज़्वदान के साथ छूए तो छू सकता है और उस को मस्जिद में दाख़िल होना भी दुरुस्त है।

मस्अला—हैज़ व निफ़ास वाली औरत और जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो, क़ुरआन शरीफ़ के अलावा दुआ व ज़िक्र और तस्बीह पढ़ सकती है।

मस्अला—हैज़ व निफ़ास वाली औरत न रोज़ा रख सकती है, न नमाज़ पढ़ सकती है और पाक होने के बाद भी उनको उस ज़माने की नमाज़ों का दोहराना ज़रूरी नहीं है। हां, अगर इस ज़माने में

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े आ गये हों, तो पाक होने के बाद उनकी क़ज़ा रखना ज़रूरी है।

मस्अला—हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन हैं। तीन दिन से कम अगर आकर खत्म हो गया और हैज़ समझ कर नमाज़ छोड़ दी थी, तो उस की क़ज़ा पढ़े और अगर पूरे दिस दिन आकर भी बन्द न हो, तब भी ग़ुस्ल कर के नमाज़-रोज़ा शुरू कर देवे।

मस्अला—निफ़ास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन है। चालीस दिन से पहले जब भी ख़ून आना बन्द हो जाए, ग़ुस्ल कर के नमाज़, रोज़ा शुरू कर देवे और चालीस दिन के बाद अगर ख़ून बन्द न हो तो पूरे चालीस दिन हो जाने पर ग़ुस्ल कर के नमाज़, रोज़ा शुरू कर देवे।

मस्अला—औरतों में जो वह रिवाज है कि निफ़ास वाली औरत से खामखाह चालीस दिन तक नमाज़, रोज़ा छुड़ाए रखती हैं, चाहे ख़ून बन्द हो या न हो, यह तरीक़ा शरीअत के हिसाब से ग़लत है। अगर दो दिन में ख़ून बन्द हो जाए तब भी ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और रोज़ा रखे।

मस्अला—हैज़ व निफ़ास वाली औरत न क़ुरआन शरीफ़ छू सकती है, न पढ़ सकती है, न उसको मस्जिद में दाखिल होना दुरुस्त है, न उस का मर्द उस से सोहबत कर सकता है, जब पाक हो गयी, तो यह सब ठीक है।

मस्अला—हैज़ व निफ़ास वाली औरत के साथ सोहबत करना हराम है, मगर दिल्लगी करना, चूमना, चाटना, साथ लेटना उस के शौहर के लिए सब दुरुस्त है, लेकिन औरत के नाफ़ के नीचे से लेकर घुटने तक के हिस्से को हाथ न लगाये।

मस्अला—जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो, खा-पी सकता है और चल-फिर सकता है और सो भी सकता है, हां, जितनी जल्द ग़ुस्ल कर ले बेहतर है।

मस्अला—जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, खाने और सोने के लिए अगर वुज़ू कर ले तो मुस्तहब है।

नमाज़ के वक़्तों का बयान

१. फ़ज्र का वक़्त सुबहे सादिक़ से शुरू होकर सूरज निकलने तक बाक़ी रहता है, और

२. ज़ुहर का वक़्त सूरज ढल जाने के बाद से शुरू होता है। जब तक हर चीज़ का साया उस से दोगुना न हो, उसका वक़्त बाक़ी रहता है। दो गुने साए से मुराद असली साए के अलावा है। असली साया वह है जो ठीक ज़वाल के वक़्त होता है।

३. ज़ुहर का वक़्त खत्म होने के बाद अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज छिपने तक बाक़ी रहता है, लेकिन जब सूरज पीला हो जाए, तो अस्र का वक़्त मक्रूह हो जाता है।

४. जब सूरज छिप जाए तो मग़िरब का वक़्त शुरू हो जाता है जो सफ़ेद लाली ग़ायब होने तक रहता है। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के इलाक़ों में कम से कम सवा घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ घंटे तक मग़िरब का वक़्त रहता है।

५. मग़िरब का वक़्त खत्म होते ही इशा का वक़्त शुरू हो जाता है जो सुबहे सादिक़ होने तक रहता है, लेकिन आधी रात के बाद इशा का वक़्त मक्रूह हो जाता है।

मस्अला—जो वक़्त इशा का है, वही वक़्त वित्र की नमाज़ का भी है, मगर वित्र की नमाज़ इशा के फ़र्ज़ों से पहले नहीं पढ़ी जा सकती।

Maktabe Ashraf

नमाज़ के फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मकरूह चीज़ें

नमाज़ के फ़र्ज़

नमाज़ के चौदह फ़र्ज़ हैं जिन में से कुछ ऐसे हैं जिन का नमाज़ से पहले होना ज़रूरी है और इनको नमाज़ के बाहरी फ़र्ज़ कहते हैं और इन्हें नमाज़ की शर्तें भी कहा जाता है और कुछ फ़र्ज़ ऐसे हैं जो नमाज़ में दाखिल है। सब की फ़ेहरिस्त यह है—

१. बदन का पाक होना, २. कपड़ों का पाक होना, ३. सतरे औरत यानी मर्दों को नाफ़ से घुटने तक और औरतों के चेहरे और हथेलियों, और क़दमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फ़र्ज़ है, ४. नमाज़ की जगह का पाक होना, ५. नमाज़ का वक़्त होना, ६. क़िब्ले की तरफ़ रुख करना, ७. नमाज़ की नीयत करना, ८. तक्बीरे तहरीमा, ९. क़ियाम यानी खड़ा होना, १०. क़िरात यानी एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें या एक छोटी सूरः पढ़ना, ११. रुकूअ करना, १२. सज्दा करना, १३. आखिरी क़ादा, १४. अपने इरादे से नमाज़ खत्म करना।

अगर इन में से कोई भी चीज़ जान कर या भूल कर रह जाए तो सज्दा सह्व करने से भी नमाज़ न होगी।

नमाज़ के वाजिब

नीचे लिखी चीज़ें नमाज़ में वाजिब हैं—

१. अल्हम्दु पढ़ना, २. और इस के साथ कोई सूरः मिलाना, ३. फ़र्ज़ों की पहली दो रक्अतों में क़िरात करना, ४. अल-हम्दु को सूरः से पहले पढ़ना, ५. रुकूअ कर के सीधा खड़ा होना, ६. दोनों

सज्दों के दर्मियान बैठना, ७. पहला क़ादा करना, ८. अत्तहीयात पढ़ना, ९. लफ़्ज़ सलाम से नमाज़ ख़त्म करना, १०. ज़ुहर व अस्र में क़िरात धीरे से पढ़ना, ११. इमाम के लिए मग़्रिब व इशा की पहली दो रक्अतों में और फ़ज्र व जुमा व ईदैन और तरावीह की सब रक्अतों में आवाज़ के साथ क़िरात करना, १२. वित्र में दुआ-ए-क़ुनूत पढ़ना, १३. दोनों ईदों में छः तक्बीर ज़्यादा करना।

वाजिब में से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो सज्दा सह्व करना वाजिब होगा। अगर जानते-बूझते किसी वाजिब को छोड़ दिया, तो दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है। सज्दा सह्व से भी काम न चलेगा।

नमाज़ ख़राब करने वाली चीज़ें

इन चीज़ों के करने से नमाज़ ख़राब हो जाती है

बात करना चाहे थोड़ी हो या बहुत, जान-बूझ कर हो या भूलकर,

ज़ुबान से सलाम करना या सलाम का जवाब देना,

छींकने वाले के जवाब में 'यर्हमुकल्लाह' कहना,

रंज की ख़बर सुन कर 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०' पूरा या थोड़ा-सा पढ़ना, या

अच्छी ख़बर सुन कर 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, या

अजीब चीज़ सुन कर 'सुब्हानल्लाह' कहना,

दुख-तक्लीफ़ की वजह से 'आह' और 'ओह' या 'उफ़' करना,

अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़्मा देना,

क़ुरआन शरीफ़ देख कर पढ़ना,

'अल-हम्दु शरीफ़ या सूरः में ऐसी ग़लती करना, जिस से नमाज़ ख़राब हो जाती है, (जिस की तफ़्सील बड़ी किताबों में लिखी है)

अमले कसीर, जैसे ऐसा काम करना, जिस से देखने वाला यह समझे कि यह शख़्स नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, या जैसे दोनों हाथ से काम करना,

जान-बूझ कर या भूल कर कुछ खाना-पीना,

क़िब्ले से सीना फिर जाना,

दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज़ में हुरूफ़ निकल जाएं

नमाज़ में हंसना,

इमाम से आगे बढ़ जाना। ये कुछ नमाज़ खराब करने वाली चीज़ें लिख दी हैं, बड़ी किताबों में और भी लिखी हैं।

नमाज़ की सुन्नतें

ये चीज़ें नमाज़ में सुन्नत हैं—

१. तक्बीरे तह्रीमा के वक़्त दोनों हाथ कानों तक उठाना,

२. मर्दों को नाफ़ से नीचे और औरतों को सीने पर हाथ का बांधना,

३. सना यानी 'सुब्हा-न-कल्लाहुम-म' आखिर तक पढ़ना,

४. 'अअूज़ु बिल्लाह' (पूरी) और 'बिस्मिल्लाह' (पूरी) पढ़ना,

५. रुकूअ और सज्दा करते वक़्त, बल्कि हर एक रुक्न से दूसरे रुक्न में मुंतक़िल होने के वक़्त अल्लाहु अक्बर कहना,

६. रुकूअ से उठते वक़्त 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' और 'रब्बना लकल हम्दु' कहना।

७. रुकूअ में 'सुब्हानरब्बियल अज़ीम' कम से कम तीन बार कहना और सज्दे में कम से कम तीन बार 'सुब्हा-न रब्बियल आला' कहना,

८. दोनों सज्दों के दर्मियान और अत्तहीयात के लिए औरतों को बाएं पांव सीधी तरफ़ निकाल कर कुल्हों पर बैठना,

९. दरूद शरीफ़ पढ़ना,

१०. दरूद के बाद दुआ पढ़ना,

११. सलाम के वक़्त दाएं-बाएं मुंह फेरना,

१२. सलाम में फ़रिश्तों और मुक़्तदियों और नेक जिन्नों, जो

हाज़िर हों, उन की नीयत करना और अगर मुक़्तदी हो तो इमाम की भी नीयत करे।

नमाज़ की मुस्तहब चीज़ें

अगर चादर ओढ़े हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए मर्द को चादर से हाथ निकालना,

जहां तक मुम्किन हो, खांसी को रोकना,

जम्हाई आए तो मुंह बन्द करना,

खड़े होने की हालत में सज्दे की जगह और रुकूअ में क़दमों पर और सज्दे में नाक पर और बैठे हुए गोद में और सलाम के वक़्त कंधे पर नज़र रखना।

नमाज़ की मक्रूह चीज़ें

ये चीज़ें नमाज़ में मक्रूह हैं—

१. कोख पर हाथ रखना, २. आस्तीन से बाहर हाथ निकाले रखना, ३. कपड़ा समेटना, ४. जिस्म का कपड़े से खेलना, ५. उंगलियां चटखाना, ६. दाएं-बाएं गरदन मोड़ना, ७. मर्द को जूड़ा गूंध कर नमाज़ पढ़ना, ८. अंगड़ाई लेना, ९. कुत्ते की तरह बैठना, १०. मर्द को सज्दे में हाथ ज़मीन पर बिछाना, ११. सज्दे में (मर्दों के लिए) पेट को रानों से मिलाना, १२. बग़ैर उज़्र के चार ज़ानू (आलती-पालती मार कर) बैठना, १३. इमाम का मेहराब के अन्दर खड़ा होना, १४. सफ़ से अलाहिदा अकेले खड़ा होना, १५. सामने या सर पर तस्वीर होना, १६. तस्वीर वाले कपड़े में नमाज़ पढ़ना, १७. कंधों पर चादर या कोई कपड़ा लटकाना, १८. पेशाब-पाखाना या ज्यादा भूख का तक़ाज़ा होते हुए नमाज़ पढ़ना, १९. सर खोल कर नमाज़ में खड़ा होना, २०. आंखें बन्द कर के नमाज़ पढ़ना।

Maktabe Ashraf

अज़ान का बयान

फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले अज़ान देना ताकीदी सुन्नत है। जो शख़्स अज़ान दे, उसे चाहिए कि किसी ऊंची जगह क़िब्ले की तरफ़ मुंह कर के खड़ा हो और अपने दोनों कानों में शहादत की उंगलियां देकर बुलन्द आवाज़ से ये कलिमात कहे—

اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ،

अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु अक्बर०

(अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ،

अश्हदुअल्लाइला-ह इल्लल्लाह० अश्हदु अल्लाइ ला-ह इल्ल-ल्लाह०

(मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है।)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ،

अश्हदुअन-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह० अश्हदु अन-न मुहम्मदर्-रसूलुल्लाह०

(मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।)

फिर दाहिनी तरफ़ मुंह करते हुए दो बार कहे—

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ،

हय-य अलस्सला:

(नमाज़ की तरफ़ आओ)

इस के बाद बाएं तरफ़ मुंह करते हुए दो बार यों कहे—

हय-य अलल फ़लाह حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ؕ

(कामियाबी की तरफ़ आओ)

अगर फ़ज्र की अज़ान हो तो 'हय-य अलल फ़लाह' के बाद दो बार यह भी कहे—

अस्सलातु खै रुम मिनन्नौमि اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ؕ

(नमाज अच्छी है नींद से)

फिर यों कहे—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ

अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु अक्बर० ला इला-ह इल्लल्लाह०

अज़ान का जवाब

जब अज़ान की आवाज़ सुने, तो यह पढ़े—

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ؕ

अश्हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू व अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू रज़ीतु बिल्लाहि रब्बंव-व बिमुहम्मदिन रसूलंव-व बिल इस्लामि दीनन०

मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह तंहा है, उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद उस के बन्दे और रसूल हैं। मैं राज़ी हूं अल्लाह को रब मानने पर और मुहम्मद को रसूल मानने पर और इस्लाम को दीन मानने पर।

फिर जो मुअज़्ज़िन कहे, वही कहता जावे, मगर 'हय-य अलस्सला' और 'हय-य अलल फ़लाह' के जवाब में—

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ

ला हौ-ल व ला क़ू-व-त इल्ला बिल्लाहि' कहे और अज़ान खत्म होने पर दरूद शरीफ़ के बाद यह दुआ पढ़े—

अल्लाहुम-म रब-ब हाज़िहिद्दअ़्-वतित्ता म्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्म-द-निल-वसी-ल-त वल फ़ज़ी-ल-त वब् अस्हु मक़ामम महमू-द-निल्लज़ी व अ़त्तहू वज़ु क्ना शफ़ा-अ़-तहू यौमल क़ियामति इन्न-क ला तुख़्लिफ़ुल मीआद०

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ؕ

'ऐ अल्लाह, जो रब है! इस कामिल बुलावे का और क़ायम होने वाली नमाज़ का! इनायत फ़रमा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत और उठा उनको मक़ामे महमूद में, जिस का तूने उन से वायदा फ़रमाया है और नसीब करना हमको उन की शफ़ाअ़त क़ियामत के दिन, बेशक तू वायदा ख़िलाफ़ नहीं फ़रमाता।'

इक़ामत या तक्बीर

जब जमाअ़त की नमाज़ खड़ी होती है तो पहले तक्बीर कहते हैं, वह भी अज़ान ही की तरह है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि 'हय-य अ़लल फ़लाह' के बाद इक़ामत में दो बार 'क़द क़ामतिस्सला:' कहा जाता है।

मस्अला—अज़ान ठहर-ठहर कर और इक़ामत (तक्बीर) जल्दी-जल्दी कहे।

मस्अला—बे-वुज़ू अज़ान देना जायज़ है, लेकिन वुज़ू के साथ अफ़ज़ल है।

जब मग़रिब की अज़ान हो तो यह दुआ पढ़े—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ ؕ

अल्लाहुम-म इन-न हाज़ा इक़्बालु लै लि-क व इद्बारु नहारि-क व अस्वातु दुआइ-क फ़ग़्फ़िरली०

'ऐ अल्लाह ! यह तेरी रात के आने और तेरे दिन के जाने का वक़्त है और तेरे पुकारने की आवाज़ें हैं, पस तू मुझे बख़्श दे।'

मस्अला—इक़ामत का जवाब देना भी मुस्तहब है, इक़ामत कहने वाला जो कहे वही कहता जावे और हय-य अलस्सला: और हय-य अलल फ़लाह के जवाब में 'ला हौ-ल व ला क़ू-व-त इल्ला बिल्लाह' कहे और 'क़द क़ामतिस्सला:' के जवाब में 'अक़ाम हुल्लाहु व अदामहा'[1] कहे।

नीयत का बयान

जो नमाज़ पढ़नी हो उस की नीयत करना फ़र्ज़ है, जैसे नीयत करे कि फ़्लां वक़्त के फ़र्ज़ या सुन्नत पढ़ता हूं। अगर इमाम के पीछे पढ़ना हो तो उस की इक़्तिदा की भी नीयत करना ज़रूरी है, लेकिन इमाम को मुक़्तदियों का इमाम होने की नीयत करना ज़रूरी नहीं है और नफ़्ल नमाज़ के लिए सिर्फ़ 'नमाज़' की नीयत काफ़ी है।

मस्अला—नीयत दिल के इरादे का नाम है, सिर्फ़ दिल से नमाज़ की नीयत कर लेना काफ़ी है, लेकिन अगर ज़ुबान से कह ले तो यह भी दुरुस्त है और अरबी में नीयत करना भी ज़रूरी नहीं है, अपनी मादरी ज़ुबान में कर लेना काफ़ी है। उर्दू ज़ुबान में हम पंजवक़्ता नमाज़ों की नीयत का ज़िक्र करेंगे, लेकिन इस से पहले कुछ नीयतें अरबी में नमूने के तौर पर बयान करते हैं, ताकि अगर किसी को शौक़ हो तो अरबी में याद कर ले।

१. अल्लाह इसे क़ायम व दायम रखे।

अरबी में नमाज़ की नीयत

ज़ुहर की चार सुन्नतें

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ السُّنَّةِ لِوَقْتِ

الظُّهْرِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला अर्बअ रक्‌आति सलाति-स्सुन्नति लिवक़्तिज़्ज़ुहिर मु-त-वज्जिहन इलल् कअबतिश्शरीफ़ति० अल्लाहु अक्बर०

ज़ुहर के चार फ़र्ज़

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ فَرْضِ الْيَوْمِ لِوَقْتِ

الظُّهْرِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला अर्बअ रक्‌आति सलाति फ़र्ज़िल योमि लिवक़्तिज़्ज़ुहिर (इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामि) मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति० अल्लाहु अक्बर०

तंबीह—अगर इमाम के पीछे न हो, बल्कि तंहा नमाज़ पढ़ रहा हो तो फिर 'इक़्तदैतु बिहाज़्ल इमामि' न कहे।

ज़ुहर की दो सुन्नतों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ السُّنَّةِ لِوَقْتِ الظُّهْرِ مُتَوَجِّهًا

اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला रक्‌अतैनि मिन सलाति-स्सुन्नति लिवक़्तिज़्ज़ुहिर मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अक्बर०

ज़ुहर की दो नफ़्लों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّفْلِ لِوَقْتِ الظُّهْرِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط

नवैतु अन् उसल्लि-य लिल्लाहि तआला रक्अतैनि मिनन्नफ़्लि लिवक़्तिज़्ज़ुह्रि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अकबर०

अस्र के चार फ़र्ज़ों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَرْضِ الْيَوْمِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला अर्ब अ रक्आति फ़र्ज़िल यौमि लिवक़्तिल अस्रि इक़्तदैतु लिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अकबर०

मग़रिब के तीन फ़र्ज़ों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ فَرْضِ الْيَوْمِ لِوَقْتِ الْمَغْرِبِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला सला-स रक्आति फ़र्ज़िल यौमि लिवक़्तिल मग़रिबि इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामि मुत-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अकबर०

इशा के चार फ़र्ज़ों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْنِ مِنْ فَرْضِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اِقْتَدَيْتُ

Maktabe Ashraf

بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला अर्बं अ रक्आति फ़र्ज़िल यौमि लिवक़्तिल इशाइ इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अक्बर०

फ़ज्र के दो फ़र्ज़ों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَرْضِ الْيَوْمِ لِوَقْتِ الْعِشَاءِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला रक् अतै नि मिन फ़र्ज़िल यौमि लिवक़्तिल फ़ज्रि इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अक्बर०

जुमा के फ़र्ज़ों की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْنِ مِنْ فَرْضِ الْيَوْمِ لِوَقْتِ الْفَجْرِ اِقْتَدَيْتُ

بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला रक् अतैनि मिन फ़र्ज़ि यौमिल जुमुअति इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति अल्लाहु अक्बर०

वित्र की नीयत

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَاجِبِ اللَّيْلِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला सला-स रक्आतिल वितरि वाजिबिल्लैलि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति

अल्लाहु अक्बर।

अगर रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाअत से पढ़ना हो तो अल्लाहु अक्बर से पहले, 'इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम' बढ़ा दे।

ये कुछ नीयतें हमने अरबी में लिख दी हैं, अगर बाक़ी नीयतें भी अरबी में बनाना चाहें, तो किसी आलिम की मदद से इन लिखी हुई नीयतों को सामने रख कर बना लें।

फ़ायदा—हर नीयत के ख़त्म पर, जो अल्लाहु अक्बर है, वह तक्बीरे तह्रीमा है और नीयत से ख़ारिज है। अगर सिर्फ़ दिल ही में नीयत करे, तो अल्लाहु अक्बर कह कर नमाज़ शुरू कर देवे।

पांचों वक़्तों की नमाज़ों की रक्अतें और उर्दू में नीयतें

ज़ुहर की नमाज़

(ज़ुहर की नमाज़ में बारह रक्अतें हैं) चार सुन्नत, चार फ़र्ज़, फिर दो सुन्नत, फिर दो नफ़्ल।

चार सुन्नतों की नीयत यों करे—नीयत करता हूं चार रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वक़्त ज़ुहर का, वास्ते अल्लाह तआला के, मेरा रुख़ काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

चार फ़र्ज़ों की नीयत यों करे—नीयत करया हूं मैं चार रक्अत नमाज़, फ़र्ज़ ज़ुहर की, वास्ते अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर। अगर तंहा नमाज़ पढ़ रहा हो तो इमाम के पीछे होने की नीयत न करे और यह बात तमाम फ़र्ज़ों की नीयत में समझ लो।

दो सुन्नतों की नीयत यों करे—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वक़्त ज़ुहर का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

दो नफ़्लों की नीयत यों करे—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल की, वक़्त ज़ुहर का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

अस्र की नमाज़

(अस्र की आठ रक्अतें हैं) चार सुन्नत, चार फ़र्ज़।

चार सुन्नतों की नीयत यों करे—नीयत करता हूं मैं चार रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वक़्त अस्र का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर। यह ग़ैर ताकीदी सुन्नत है।

अस्र के फ़र्ज़ों की नीयत—नीयत करता हूं मैं चार रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ अस्र की, वास्ते अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर॰

मग़रिब की नमाज़

(मग़रिब की सात रक्अतें हैं)—तीन फ़र्ज़, फिर दो सुन्नतें, फिर दो नफ़्ल।

तीन फ़र्ज़ों की नीयत—नीयत करता हूं मैं तीन रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ मग़रिब की, वास्ते अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर॰

दो सुन्नतों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वक़्त मग़रिब का, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

दो नफ़्लों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल की, वक़्त मग़रिब का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

इशा की नमाज़

(इशा की सत्तरह रक्अतें हैं) चार सुन्नतें, फिर चार फ़र्ज़, फिर दो सुन्नतें, फिर दो नफ़्ल, फिर तीन वित्र, फिर दो नफ़्ल।

चार सुन्नतों की नीयत—नीयत करता हूं चार रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वक़्त इशा का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर। यह चार सुन्नतें ग़ैर-ताकीदी हैं।

चार फ़र्ज़ों की नीयत—नीयत करता हूं चार रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ इशा की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अक्बर।

दो सुन्नतों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वक़्त इशा का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

दो नफ़्लों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल की, वक़्त इशा का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

वित्र की नीयत—नीयत करता हूं तीन रक्अत नमाज़ वाजिबुल्लैल की, वास्ते अल्लाह के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

फ़ायदा—वित्र की नमाज़ वाजिब है यानी इस का दर्जा फ़र्ज़ों के क़रीब है, इस लिए वित्र को कभी भी छोड़ना जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो वित्र न पढ़े, वह हम में से नहीं है, तीन बार यों ही फ़रमाया।

दो नफ़्लों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल की, वक़्त इशा का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

फ़ज्र की नमाज़

फ़ज्र की चार रक्अतें हैं —दो सुन्नतें और दो फ़र्ज़।

दो सुन्नतों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ सुन्नत, की, वक़्त फ़ज्र का, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर। फ़ज्र की सुन्नतें दूसरी तमाम ताकीदी सुन्नतों से ज़्यादा ताकीदी है।

दो फ़र्ज़ों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ फ़ज्र को, वास्ते अल्लाह के, रुख़ मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अक्बर।

तर्कीबे नमाज़

जब नमाज़ पढ़ने का इरादा करो, तो पहले अपना बदन हर क़िस्म की ना पाकी से पाक करो और पाक कपड़े पहन कर पाक जगह पर क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके खड़े हो, फिर जो नमाज़ पढ़नी है, उसकी नीयत करो, फिर दोनों हाथ इस तरह कानों तक उठाओ कि अंगूठे कानों के लौ के सामने हों, उंगलियां खुली रहें। इसके बाद तक्बीरे तह्रीमा यानी अल्लाहु अक्बर (अल्लाह सबसे बड़ा है) कह कर दोनों हाथ नाफ़ के नीचे इस तरह बांध लो कि सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के पिछले हिस्से पर रहे और अंगूठे और छंगुलिया के हल्के से बाएं हाथ के पहुंचे को पकड़ लो और बाक़ी तीन उंगलियां कलाई पर बिछी रहें और नज़र सज्दे की जगह पर रहे. हाथ बांध कर सना पढ़ो—

सना

सुब्हान-कल्लाहुम-म व बिहम्दि-क व तबारकस्मु-क व तआला जद्दु-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

जद्दु-क व ला इला-ह ग़ैरु-क० جَدُّكَ وَلَآ اِلٰہَ غَیْرُكَ ط

'ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पाकी बयान करता हूं और तेरी तारीफ़ करता हूं और तेरा नाम बरकत वाला है और बुलंद है तेरी शान और नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा ।'

फिर तअव्वुज़ पढ़ो, यानी

اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط

अअूज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम०

'मैं पनाह लेता हूं अल्लाह की शैताने मर्दूद से ।'

और इस के बाद तस्मिया पढ़ो, यानी—

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

'अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है ।'

और फिर सूर: फ़ातिहा पढ़ो—

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ

اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० अर्रहमानिर्रहीम० मालिकि यौमिद्दीन० इय्या-क-नअबुदु व इय्या-क नस्तअीन० इह्दि-नस्सिरातल मुस्तक़ीम० सिरातल्लज़ी-न अनअम-त अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम व लज़्ज़ाल्लीन०

सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो पालने वाला है तमाम जहानों का, मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक है क़ियामत के दिन का । हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, हम को सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर, जिन पर

तूने इनाम फ़रमाया, न उन की राह पर, जिन पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ और न गुमराहों के रास्ते पर।' (आमीन)

जब सूरः ख़त्म कर लो, तो धीरे से आमीन कहो, फिर कोई सूरः या एक बड़ी आयत या तीन छोटी सूरतें पढ़ो, (लेकिन अगर तुम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, तो सिर्फ़ सना 'सुब्हान-क ल्लाहुम-म' पढ़ कर ख़ामोश खड़े रहो) तअव्वुज़, तस्मिया और अल्हम्दु और सूरः कुछ न पढ़ो, यह सब इमाम पढ़ेगा, (तंहा हो तो) अल्हम्दु शरीफ़ के बाद हर सूरः पढ़ सकते हो, अगर चाहो तो सूरः काफ़िरून पढ़ो—

सूरः काफ़िरून

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

कुल या ऐयुहल काफ़िरून० ला अअबुदु या तअबुदून० व ला अन्तुम आबिदून मा अअबुदु० व ला अना आबिदुम मा अबत्तुम० व ला अन्तुम आबिदू-न मा अअबुदु० लकुम दीनुकुम व लि-य दीन०

'आप फ़रमा दीजिए, ऐ काफ़िरो! मैं नहीं पूजता हूं जिसे तुम पूजते हो और न तुम उसे पूजने वाले हो, जिसे मैं पूजता हूं और न मैं पूजने वाला हूं जिसे तुमने पूजा और न तुम उसे पूजने वाले हो, जिसे मैं पूजता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन।'

सूरः पढ़ कर अल्लाहु अक्बर कहते हुए रुकूअ में जाओ, दोनों हाथों की उंगलियां खोल कर उन से दोनों घुटनों को पकड़ लो, पीठ को बिल्कुल सीधी रखो, हाथ पसलियों से अलग रहें और पिंडुलियां सीधी रहें, रुकूअ में तीन बार या पांच बार या सात बार रुकूअ की तस्बीह इस तरह पढ़ो

रुकूअ की तस्बीह

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

सुब्हा-न रब्बियल अज़ीम
'पाक है मेरा रब अज़मत वाला'

इस के बाद तस्मीअ पढ़ते हुए सीधे खड़े हो जाओ और तस्मीअ के बाद तह्मीद पढ़ो।

तस्मीअ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

समिअल्लाहु लिमन हमिदह
'अल्लाह ने उस की सुन ली, जिसने उस की तारीफ़ की।'

क़ौमा की तह्मीद

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

रब्बना लकल हम्दु
'ऐ हमारे रब ! सब तारीफ़ तेरे ही लिए है।'

इमाम सिर्फ़ तस्मीअ पढ़े और मुक़्तदी सिर्फ़ तह्मीद पढ़े और मुंफ़रिद यानी तंहा नमाज़ पढ़ने वाला तस्मीअ व तह्मीद दोनों पढ़े, फिर अल्लाहु अक्बर कहते हुए सज्दे में जाओ, पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखो, चेहरे दोनों हथेलियों के दर्मियान और अंगूठे कान के सामने रहें, हाथ की उंगलियां मिली रखो, ताकि सब के सर क़िब्ले की तरफ़ रहें, कुहनियां पसलियों से और पेट रानों से अलग रहे। कुहनियां ज़मीन पर मत बिछाओ, सज्दे में तीन बार या पांच बार या सात बार इस तरह सज्दे की तस्बीह कहो।

सज्दे की तस्बीह

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

सुब्हा-न रब्बियल आला
'पाक है मेरा परवरदिगार, बहुत बरतर'

इस के बाद तक्बीर यानी अल्लाहु अक्बर कहते हुए इस तरह उठो कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ उठें, सज्दे से उठ कर सीधे बैठ जाओ, फिर तक्बीर कहते हुए दूसरा सज्दा करो और इस में भी सज्दे की तस्बीह तीन या पांच या सात बार पढ़ो, फिर तक्बीर कहते हुए उठो और पंजों के बल हाथों को ज़मीन पर रखे बग़ैर सीधे खड़े हो जाओ और खड़े होकर हाथ बांध लो और 'बिस्मिल्लाह' और सूरः फ़ातिहा और कोई सूरः पढ़ो, अगर चाहो, सूरः इख़्लास पढ़ो और अगर इमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, ख़ामोश खड़े रहो।

सूरः इख़्लास

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

क़ुल हुवल्लाहु अहद० अल्लाहुस्समद० लम् यलदि व लम् यूलद० व लम यकुल्लहू कुफ़ुवन अहद०

'कह दो, (ऐ मुहम्मद !) वह अल्लाह एक है, अल्लाह बे-नियाज़ है, नहीं जना उसने और न वह जना गया और नहीं है उसके बराबर कोई।'

फिर इसी क़ायदे से रुकूअ, क़ौमा और दोनों सज्दे करो। दूसरे सज्दे से सर उठा कर बायां पांव बिछा कर उस पर बैठ जाओ, दायां पांव खड़ा रखो और दोनों पांव की उंगलियों के सर क़िब्ले की तरफ़ मोड़ दो और दोनों हाथ रानों पर रखो, इस तरह कि उंगलियां सीधी रहें और तशह्हुद यानी अत्तहीयात पढ़ो—

अत्तहीयातु लिल्लाहि वस्स-ल-वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबीयु व रह्मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू अस्सलामु अलैना व अला

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ

अिबादिल्लाहिस्सालिहीन अशहदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु अशहदुअन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

'सब इबादतें, जो ज़ुबान, बदन और माल से हो सकें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम तुम पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलामती हो तुम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद खुदा के बन्दे और उस के रसूल हैं।'

जब 'अशहदुअल्लाइला-ह' पर पहुंचो, तो सीधे हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से हल्क़ा बांध लो और छंगुलिया और उस के पास वाली उंगली को बन्द कर लो, फिर कलिमे की उंगली उठा कर इशारा करो, आख़िर तक हल्क़ा बांधे रखो, तशह्हुद खत्म कर के अगर दो रक्अत वाली नमाज़ है तो दरूद शरीफ़ पढ़ो और इस के बाद दुआ-ए-मासूरा पढ़ो—

दरूद शरीफ़

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला इब्राही-म व अला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम मजीद० अल्लाहुम-म बारिक अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला इब्राही-म व अला आलि इब्राही-म इन्न-क हमीदुम मजीद०

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰۤی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

'ऐ अल्लाह ! रहमत भेज हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर और हज़रत मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तूने रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम पर और हज़रत इब्राहीम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ का

Maktabe Ashraf

हक़दार, बड़ी बुज़ुर्गी वाला है।'

'ऐ अल्लाह ! तू बरकत भेज हमारे मुहम्मद सल्ल० पर और हज़रत मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तूने बरकत भेजी, हज़रत इब्राहीम पर और हज़रत इब्राहीम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ का हक़दार है, बड़ी बुज़ुर्गी वाला है।

दुआ-ए-मासूरा

अल्लाहुम-म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन कसी रंव व ला यग़्फ़िरुज़्ज़ु-नू-ब इल्ला अन-त फ़ग़्फ़िरली मग़्फ़ि-र-तम मिन अि न्दि-क वर्हम्नी इन्न-क अन्तल ग़फ़ूरुर्रहीम०

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ؕ

'ऐ अल्लाह ! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाहों का बख़्शने वाला नहीं, तो मुझ को अपनी ख़ास मग़्फ़िरत से बख़्श दे और मुझ पर रहम फ़रमा, बेशक तू बख़्शने वाला रहीम है।

इसके बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फेरो, सलाम फेरते वक़्त दाहिनी तरफ़ के फ़रिश्तों और नमाज़ियों की नीयत करो, फिर बायीं तरफ़ सलाम फेरो और इस तरफ़ के फ़रिश्तों और नमाज़ियों की नीयत करो और अगर इमाम के पीछे हो तो जिस तरफ़ इमाम हो, उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नीयत करो और अगर इमाम के बिल्कुल पीछे हो तो दोनों सलामों में इस की नीयत करो और इमाम दोनों सलामों में मुक़्तदियों की नीयत करे और जो शख़्स तंहा नमाज़ पढ़ रहा हो, वह दोनों सलामों में सिर्फ़ फ़रिश्तों की नीयत करे।

सलाम के लफ़्ज़ ये हैं—

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ؕ

'तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत'

Maktabe Ashraf

अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो और दुआ-ए-मासूरा इस से पहले खत्म हो जाए, तो इमाम का इन्तिज़ार कर के इस के साथ सलाम फेरो।

यह दो रकअत वाली नमाज़ खत्म हुई और अगर तीन या चार रकअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ है, तो अत्तहीयात (अब्दुहू व रसूलुहू तक) पढ़ कर फ़ौरन तक्बीर कहते हुए खड़े हो जाओ और सिर्फ़ बिस्मिल्लाह, अल-हम्दु शरीफ़ पढ़ो, सूरः न मिलाओ (और अगर इमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो) अपनी नीयत के मुताबिक़ एक या दो रकअत पढ़ कर रुकूअ-सज्दे कर के बैठ जाओ और अत्तहीयात, दरूद, दुआ-ए-मासूरा पढ़ कर दोनों तरफ़ सलाम फेर कर नमाज़ खत्म करो।

फ़ायदा—फ़र्ज़ नमाज़ के बाद खास तौर से दुआ क़ुबूल होती है। सलाम फेर कर अल्लाह तआला से अपनी दीनी व दुन्यवी हाजतों और ज़रूरतों का सवाल करो।

मसअला—जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं, छोटी-सी दुआ मांग कर सुन्नतों में लग जाओ और लम्बी दुआ व तस्बीहात सुन्नतों के बाद पढ़ो।

फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ने के लिए बहुत-सी चीज़ें हदीस शरीफ़ में आयी हैं। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम (फ़र्ज़) नमाज़ से फ़ारिग़ होते थे, तो तीन बार इस्तग़फ़ार करके यह दुआ पढ़ते थे—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

अल्लाहुम-म अन्तस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारक-त या ज़ल-जलालि वल इक्रामि॰

'ऐ अल्लाह ! तू सलामती वाला है और तुझ ही से सलामती मिलती है, बरकत वाला है, तू ऐ जलाल और इक्राम वाले।'

आयतुल कुर्सी

फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की भी बड़ी फ़ज़ीलत है, उस को भी पढ़ो। आयतुल कुर्सी यह है—

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا
تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ
یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا
بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا
یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا
یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व-ल-हय्युल क़य्यूमु ला ताखुज़ु हू सि-न-तु व-व ला नौम लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यश्फ़अु अिन्दहू इल्ला बिइ-ज़्निही यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम व मा खल्फ़ हुम व ला युहीतू-न बिशै-इम मिन अिल्मिही इल्ला बिमा शा-अ व सि-अ कुर्सीयु हुस्समावाति वल अर-ज़ व ला यऊदुहू हिफ़्ज़ुहुमा वुहु-वल अलीयुल अज़ीम०

'अल्लाह है, नहीं है कोई माबूद, मगर वही, वह ज़िंदा है, संभालने वाला है, न उस को ऊंघ आती है, न नींद, उसी के लिए जो आसमानों में है, और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो उस के पास सिफ़ारिश कर सके, मगर उस की इजाज़त से, वह जानता है उन के तमाम हाज़िर और ग़ायब हालात को, और उस की मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इल्मी एहाते में मख्लूक़ नहीं ला सकती, मगर जिस क़दर वह चाहे, उस की कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को अपने अन्दर ले रखा है और उस को इन दोनों की हिफ़ाज़त कुछ भारी नहीं, और वह बुलन्द है और अज़मत वाला है।'

हदीस शरीफ़ में है कि जिसने हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, उस के जन्नत में दाखिल होने में मौत ही आड़ है और जो शख्स सोते वक़्त उस को पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस के घर और उस के पड़ोसी के घर और आस-पास के कुछ घरों को (रात भर)

Maktabe Ashraf

अम्न व अमान में रखेगा। —बैहक़ी

फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ३३ बाद सुब्हानल्लाह और ३३ बार अल-हम्दु लिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अक्बर पढ़ने की बड़ी फ़ज़ीलत आयी है। —मिश्कात शरीफ़

कुछ क़िरात के बारे में

मस्अला—फ़र्ज़ों की सिर्फ़ पहली और दूसरी रक्अत में अल्हम्दु शरीफ़ के बाद कोई सूरः या उस की जगह कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं और तीसरी और चौथी रक्अत में सिर्फ़ अल-हम्दु शरीफ़ पढ़ी जाती है। अभी जो हमने 'नमाज़ के तरीक़े' में बयान किया है कि तीसरी और चौथी रक्अत में अल-हम्दु के साथ-साथ सूरः न मिलाओ, यह फ़र्ज़ों के बारे में है। ख़ूब समझ लो, अगर सुन्नत, नफ़्ल या वित्र पढ़ने हों, तो हर रक्अत में अलहम्दु शरीफ़ के साथ कोई सूरः या कुछ आयतें मिलाओ, दो सूरतें यानी सूरः काफ़िरून और सूरः इख़्लास हम पहले लिख चुके हैं। अब दो सूरतें और लिखते हैं—

सूरः फ़लक़

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़-लक़॰ मिन शर्रि मा ख-लक़॰ व मिन शर्रि ग़ासिक़िन इज़ा व-क़ब॰ व मिन शर्रिन्नफ़्फ़ासाति फ़िल अुक़दि व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद॰

'शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

'तू कह, मैं पनाह लेता हूं सुबह के रब की, हर उस चीज की बुराई से जो उसने बनायी, और बुराई से अंधेरे की जब सिमट आए और बदी से उन औरतों की जो गिरहों में फूंकने वाली हैं और बदी से हसद करने वाले की जब हसद करे।'

सूर: नास

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नासि० मलिकिन्नासि० इलाहिन्नासि० मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नासि० ल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नासि० मिनल जिन्नति वन्नास०

'शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।'

'तू कह, मैं पनाह लेता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, बुराई से उसकी, जो वस्वसा डाले और छिप जावे, जो ख्याल डालता है, लोगों के दिलों में, जिन्नों में से हो या आदमियों में से।

मस्अला—इमाम के पीछे मुक़्तदी अल-हम्दु शरीफ़ और सूर: न पढ़े।

मस्अला—इमाम पर वाजिब है कि फ़ज्र, जुमा, ईदैन की तमाम रक्अतों में और इशा, मग़रिब की पहली दो रक्अतों में अल-हम्दु शरीफ़ और सूर: आवाज़ से पढ़े, और ज़ुहर व अस्र की तमाम रक्अतों में और मग़रिब की तीसरी और इशा की तीसरी और चौथी रक्अत में अल-हम्दु शरीफ़ धीरे से पढ़े।

मस्अला—फ़ज्र, मग़रिब और इशा की जिन रक्अतों में इमाम पर ज़ोर से क़िरात वाजिब है, तंहा नमाज़ पढ़ने वाले को इन रक्अतों

में ज़ोर से पढ़ने का अख़्तियार है यानी ज़ोर से और धीरे से, दोनों तरह पढ़ सकता है।

मस्अला—इक़ामत की हालत में यानी जब नमाज़ सफ़र में न हो, तो उस के लिए मस्नून है कि फ़ज्र व ज़ुहर में सूर: फ़ातिहा के लिए तिवाले मुफ़स्सल वाली सूरतें पढ़े, अस्र व इशा में औसाते मुफ़स्सल पढ़े और मग़िरब में क़िसारे मुफ़स्सल पढ़े।

फ़ायदा—सूर: हुजुरात (पारा २६) से वस्समाइ ज़ातिल बुरूज तक की सूरतों को तिवाले मुफ़स्सल और सूर: वस्समाइ वत्तारिक़ से लम् यकुन तक की सूरतों को औसाते मुफ़स्सल और सूर: इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ से क़ुरआन के ख़त्म तक की सूरतों को क़िसारे मुफ़स्सल कहते हैं।

फ़ायदा—यह क़िराते मस्नूना इमाम के लिए भी है और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए भी।

मस्अला—अगर सफ़र में हो तो जो सूर: भी पढ़े, अख़्तियार है।

मस्अला—किसी भी नमाज़ के लिए कोई सूर: शरीअत में इस तरह मुक़र्रर नहीं है कि उस सूर: के बग़ैर नमाज़ ही न हो, इस लिए किसी नमाज़ के लिए ख़ुद किसी सूर: की ऐसी पाबन्दी कर लेना कि उस के सिवा कभी कोई सूर: न पढ़े, यह मक्रूह है।

मर्द व औरत की नमाज़ का फ़र्क़

औरतें भी उसी तरह नमाज़ पढ़ें जैसे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बयान किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में मर्द व औरत की नमाज़ में फ़र्क़ है, वह नीचे लिखी जाती हैं—

१. तक्बीरे तह्रीमा के वक़्त मर्दों को चादर वग़ैरह से हाथ निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए और औरतों को हर हाल में बग़ैर हाथ निकाले हुए कंधों तक उठाना चाहिए।

२. तक्बीरे तह्रीमा के बाद मर्दों को नाफ़ के नीचे हाथ बांधना

Maktabe Ashraf

चाहिए और औरतों को सीने पर।

३. मर्दों को दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे का हल्क़ा बना कर बाएं हाथ की कलाई पर बिछा देना चाहिए और औरतों को दाहिनी हथेली बायीं हथेली के पिछले हिस्से पर रखना चाहिए। मर्दों की तरह हल्क़ा बनाना और बायीं कलाई न पकड़ना चाहिए।

४. मर्दों को रुकूअ में अच्छी तरह झुकना चाहिए कि सर और ठ बराबर हो जाएं और औरतों को सिर्फ़ इतना झुकना चाहिए कि ...स से उन के हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं।

५. मर्दों को रुकूअ में उंगलियां फैला कर के घुटनों पर रखनी चाहिएं और औरतों को बग़ैर फैलाए मिला कर रखना चाहिए।

६. मर्दों को रुकूअ की हालत में कुहनियां पहलू से अलग रखना चाहिए और औरतों को पहलू से मिला कर रखना चाहिए।

७ मर्दों को सज्दे में पेट रानों से और बाज़ू बग़ल से जुदा रखना चाहिए और औरतों को मिला हुआ।

८. सज्दे में मर्द की कुहनियां ज़मीन से उठी हों और औरतों की ज़मीन पर बिछी हों।

९. मर्दों को सज्दे में दोनों पैर उंगलियों के बल खड़े रखना चाहिए, मगर औरतों को दोनों पांव बाहर की तरफ़ निकालने होंगे।

१०. मर्दों को बैठने की हालत में बाएं पांव पर बैठना चाहिए और दाहिने पांव को उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए और औरतों को दोनों पांव दाहिनी तरफ़ निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठना चाहिए।

११. औरतों को किसी वक़्त बुलन्द आवाज़ से क़िरात करने का अख़्तियार नहीं बल्कि उन को हर वक़्त धीमी आवाज़ से क़िरात करना चाहिए।

वित्र की नमाज़

वित्र की नमाज़ तीन रक्अत है। पढ़ने का तरीक़ा यह है कि दो रक्अतें पढ़ कर क़ादा में बैठे और 'अब्दुहू व रसूलुहू' पढ़ कर खड़ा हो जाए और तीसरी रक्अत में अल-हम्द और सूरः से फ़ारिग़ होकर 'अल्लाहु अक्बर' कहता हुआ कानों तक हाथ उठाए और फिर हाथ बांध कर दुआ-ए-क़ुनूत पढ़े, इस के बाद रुकूअ में जाए और बाक़ी नमाज़ मामूल के मुताबिक़ पूरी करे।

दुआ-ए-क़ुनूत

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ ۔ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۔

अल्लाहुम-म इन्ना नस्तईनु-क व नस्तग़्फ़िरु-क व नुअ्मिनु बि-क व न-त-वक्कलु अलै-क व नुस्नी अलैकल ख़ै-र व नश्कुरु-क व ला नक्फ़ुरु-क व नख़्लअ् व नत्रुकु मंय्यफ़्जुरु-क अल्लाहुम-म इय्या क नअ्बुदु व ल-क नुसल्ली व नस्जुदु व इलै-क नस्आ व नह्फ़िदु व नर्जू रह्म-त-क व नख़्शा अज़ा-ब-क इन-न अज़ा-ब-क बिल कुफ़्फ़ारि मुलह़िक़॰

'ऐ अल्लाह! हम मदद चाहते हैं तुझ से और माफ़ी मांगते हैं तुझ से और ईमान लाते हैं तुझ पर और भरोसा रखते हैं तुझ पर

Maktabe Ashraf

ग्रौर हम तेरी ग्रच्छी तारीफ़ करते हैं ग्रौर शुक्र करते हैं हम तेरा ग्रौर ना-शुक्री नहीं करते हम तेरी ग्रौर हम उस से ग्रलग होते हैं जो तेरी ना-फ़रमानी करता है। ऐ ग्रल्लाह ! हम तेरी ही इबादत करते हैं ग्रौर तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं ग्रौर सज्दा करते हैं ग्रौर तेरी ही तरफ़ हम दौड़ते हैं ग्रौर झपटते हैं ग्रौर उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के ग्रौर डरते हैं तेरे ग्रज़ाब से। बेशक तेरा ग्रज़ाब काफ़िरों को पहुंचने वाला है।

ग्रगर किसी को दुग्रा-ए-क़ुनूत याद न हो, तो इस के बजाए यह पढ़े —

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना ग्रातिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव क फ़िल ग्राखिरति ह-स-न-तंव क़िना ग्रज़ाबन्नार०

लेकिन हमेशा इसी को न पढ़ता रहे, बल्कि दुग्रा-ए-क़ुनूत जल्द याद कर ले।

फ़ायदा— वित्र की नमाज़ का सलाम फेर कर तीन बार 'सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस पढ़ो ग्रौर तीसरी बार क़ुद्दूस, की 'द' को खींचो ग्रौर उस को ग्रदा करते वक़्त ग्रावाज़ भी कुछ तेज़ कर दो।

क़स्र की नमाज़

जो ग्रादमी ४८ मील के सफ़र की नीयत से ग्रपने शहर या क़स्बा या बस्ती से निकल जाए, उस के लिए वापस ग्राने तक ज़ुहर, ग्रस्र ग्रौर इशा की फ़र्ज़ नमाज़ बजाए चार रक्ग्रत के दो रक्ग्रत रह जाती है। हां, ग्रगर सफ़र में किसी जगह पंद्रह दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ले तो पूरी चार रक्ग्रतें पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता है।

क़स्र नमाज़ की नीयत— नीयत करता हूं दो रक्ग्रत नमाज़ फ़र्ज़

क़स्र की वक़्त ज़ुहर या अस्र (या इशा) का वास्ते अल्लाह तआला के रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अक्बर।,

मस्अला—सफ़र में अगर ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े जो मुक़ीम (ग़ैर-मुसाफ़िर) है, तो उस के साथ चार ही रक्अत पढ़ना फ़र्ज़ है।

मस्अला—क़स्र सिर्फ़ ज़ुहर, अस्र और इशा के फ़र्ज़ों में है, मग़रिब और फ़ज्र में नहीं।

मस्अला—अगर मुसाफ़िर ने बजाए दो रक्अत फ़र्ज़ के चार रक्अतें पढ़ लीं और दो रक्अत पर बैठा था, तो इस सूरत में नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मक्रूह है और अगर दो रक्अत पर न बैठा, तो नमाज़ दोबारा पढ़े, सज्दा सह्व से भी काम न चलेगा।

मस्अला—अगर मुसाफ़िर ने किसी जगह पहुंच कर वहां के लोगों को बजाए क़स्र के पूरी नमाज़ पढ़ा दी, तो मुसाफ़िर की नमाज़ तो हो गयी, लेकिन वहां के रहने वालों की नमाज़ न हुई।

मस्अला—मुसाफ़िर किसी जगह पहुंच कर वहां के लोगों का इमामे जुमा बन सकता है।

जुमा की नमाज़

जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है, जबकि ये शर्तें पायी जाएं—

१. मुसाफ़िर न होना, २. तन्दुरुस्त होना, ३. ग़ुलाम न होना, ४. शहर या क़स्बे का होना, ५. मर्द होना, ६. अक़्ल वाला और बालिग़ होना, ७. अंधा-लंगड़ा न होना, ८. जुमा के दिन सूरज का ढल जाना यानी ज़ुहर का वक़्त आ जाना, ९. ख़ुत्बा, १०. जमाअत यानी इमाम के अलावा कम से कम तीन आदमी जमाअत में हों।

मस्अला—पहली अज़ान से ख़रीदना-बेचना और कारोबार छोड़ कर मस्जिद में आना वाजिब है। जब इमाम ख़ुत्बे के लिए चले, तो

सब लोग बिल्कुल खामोश होकर खुत्बा सुनें। खुत्बे के वक़्त बात करना, नमाज़ पढ़ना, दरूद शरीफ़ या तस्बीह या और कुछ पढ़ना, किसी को डांटना, नसीहत करना जायज़ नहीं।

मिश्कात शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस शख्स ने, बिला उज़्र जुमा की नमाज़ छोड़ दी, वह उस किताब में मुनाफ़िक़ लिखा गया, जिस का लिखा हुआ न मिटेगा, न बदला जाएगा।

मुस्लिम शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि लोग जुमा छोड़ने से रुक जाएं, वरना अल्लाह तआला उन के दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वे ज़रूर-ज़रूर ग़ाफ़िलों में से हो जाएंगे।

हज़रत औस बिन औस रज़ि० फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने जुमा के दिन अपनी बीवी को ग़ुस्ल कराया (यानी सोहबत कर के उस पर ग़ुस्ल वाजिब कर दिया और इस तरह अपने नफ़्स और अपनी नज़र को महफ़ूज़ कर लिया) और खुद भी ग़ुस्ल किया और जुमा के लिए जल्दी चला गया (कि खुत्बे से पहले पहुंच गया) और शुरू से खुत्बा सुना और पैदल गया, सवार न हुआ और इमाम के क़रीब बैठा और ध्यान से खुत्बा सुना और बेकार का काम न किया, न बेकार बात की, तो उस के लिए हर क़दम पर पूरे साल के रोज़ों और साल भर की रातों को नमाज़ में क़ियाम करने का सवाब मिलेगा। —मिश्कात

जुमा की १४ रक्अतें हैं जिन की तफ़्सील यह है—

चार सुन्नतें, फिर दो फ़र्ज़, फिर चार सुन्नतें, फिर दो सुन्नतें, फिर दो नफ़्ल।

चार सुन्नतों की नीयत—नीयत करता हूं चार रक्अत नमाज़ सुन्नत की वास्ते अल्लाह तआला के वक़्त क़ब्ले जुमा, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

दो फ़र्ज़ों की नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत फ़र्ज़ नमाज़ की वास्ते अल्लाह तआला के वक़्त जुमा का, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अक्बर।

चार सुन्नतों की नीयत—नीयत करता हूं चार रक्अत नमाज़ सुन्नत की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, वक़्त बाद जुमा का, अल्लाहु अक्बर। दो सुन्नतों की नीयत भी इसी तरह है, बस फ़र्क़ इतना है कि चार रक्अत की जगह दो रक्अत कह ले।

दो नफ़्लों की नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल बाद जुमा की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

मस्अला—जुमा की नमाज़ में जमाअत शर्त है। बग़ैर जमाअत के तंहा नमाज़ पढ़ने से जुमा की नमाज़ न होगी। इस लिए अगर जुमा की नमाज़ न मिले, तो इस की जगह ज़ुहर की नमाज़ पढ़े। इसी तरह अगर बहुत दिनों नमाज़ें न पढ़ी हों और फिर तौबा कर के उन को अदा करना शुरू करे तो जुमा के दो फ़र्ज़ों की जगह भी ज़ुहर की क़ज़ा पढ़े, यानी चार रक्अत फ़र्ज़ ज़ुहर पढ़े।

मस्अला—औरत, मरीज़, क़ैदी और शरई मुसाफ़िर (जिस का ज़िक्र ऊपर गुज़रा है) अगर जुमा की नमाज़ में इमाम की इक्तिदा कर लें, तो उन की नमाज़ जुमा अदा हो जाएगी और ज़ुहर की नमाज़ उस दिन की उन के ज़िम्मे से उतर जाएगी और अगर ये लोग जुमा में हाज़िर न हों, तो नमाज़ ज़ुहर अदा करें।

जमाअत का बयान

फ़र्ज़ नमाज़, जहां तक मुम्किन हो, पूरी कोशिश से जमाअत के साथ अदा करो। कुछ आलिमों ने जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने को वाजिब कहा है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी

जमाअत नहीं छोड़ी, यहां तक कि सख्त मर्ज की हालत में भी, जबकि खुद नहीं चल सकते थे, दो आदमियों के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ ले जाकर जमाअत के साथ नमाज़ अदा फ़रमायी। क़ुरआन शरीफ़ में इर्शाद है—

वर्कभू मअर्रा कि ग्रीन०

यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज़ पढ़ो।

इस आयते शरीफ़ा से जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म मालूम हुआ।

हदीस शरीफ़ में है कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने से एक नमाज़ का सवाब अकेले नमाज़ पढ़ने से २७ दर्जे ज़्यादा मिलता है और यह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया कि अकेले नमाज़ पढ़ने से एक आदमी के साथ जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना बेहतर है और दो आदमियों के साथ नमाज जमाअत बना कर पढ़ना एक आदमी के साथ पढ़ने से बेहतर है और जमाअत में जितने ही ज़्यादा लोग हों, अल्लाह को महबूब है।

—मिश्कात

हज़रत अबूहुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया, बेशक मेरे दिल में यह इरादा हुआ कि किसी को हुक्म दूं, जो लकड़ियां जमा करे, फिर अज़ान का हुक्म दूं और किसी शख़्स से कहूं कि वह इमामत करे और मैं इन लोगों के घरों पर जाऊं, जो जमाअत में नहीं आते, फिर उन के घरों को आग लगा दूं।

मस्अला—अगर मुक़्तदी एक ही हो और वह मर्द हो या नाबालिग़ लड़का हो तो उस को इमाम के दाहिनी तरफ़ खड़ा होना चाहिए।

मस्अला—अगर एक से ज़्यादा मुक़्तदी हों, तो इमाम के पीछे सफ़ बांध कर खड़े हों।

मस्अला—पहली सफ़ में जगह होते हुए दूसरी सफ़ में खड़ा होना

मक्रूह है। जब पहली सफ़ पूरी हो जाए, तब दूसरी सफ़ में खड़ा होना चाहिए।

मस्अला—मस्बूक़ को अपनी गयी हुई रक्अतें इस तर्तीब से अदा करनी चाहिएं कि पहले क़िरात वाली और फिर बे-क़िरात वाली पढ़े और जो रक्अतें इमाम के पीछे पढ़ चुका है, उन के हिसाब से क़ादा करे।

मिसाल—ज़ुहर की नमाज़ में तीन रक्अत हो जाने के बाद कोई आदमी जमाअत में शरीक हुआ, उसको चाहिए कि इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए और गयी हुई तीन रक्अतें इस तर्तीब से अदा करे कि पहली रक्अत में सूरः फ़ातिहा और कोई दूसरी सूरः पढ़ कर रुकूअ व सज्दा कर के क़ादा करे, फिर दूसरी रक्अत में भी सूरः फ़ातिहा के साथ कोई सूरः मिलाए और इस के अन्दर क़ादा न करे, फिर तीसरी रक्अत में सूरः फ़ातिहा के साथ कोई सूरः न मिलाए और रुकूअ व सज्दा कर के क़ादा कर दे और सलाम फेरे।

बहुत ज़रूरी मस्अला

बहुत-से अनजाने लोग मस्जिद में आकर इमाम को रुकूअ में पाते हैं, तो जल्दी के ख़्याल से आते ही झुक जाते हैं और इसी हालत में तक्बीरे तह्रीमा कहते हैं। उन की नमाज़ नहीं होती, इस लिए कि तक्बीरे तह्रीमा नमाज़ के सही होने के लिए शर्त है और तक्बीरे तह्रीमा के लिए शर्त क़ियाम है। जब क़ियाम न किया तो तक्बीरे तह्रीमा सही न हुई और जब वह सही न हुई तो नमाज़ भी सही न होगी।

फ़ायदा—जहां तक मुम्किन हो, कोशिश करके मस्जिद में जाकर जमाअत से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाने का बड़ा सवाब है।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि फ़ख़्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जब आदमी

वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू कर ले, फिर मस्जिद में जाने के लिए निकले (और) उस को सिर्फ़ नमाज़ ही ने निकाला है, तो हर क़दम पर उस का एक दर्जा बुलन्द होगा और एक गुनाह कम होगा, पस जब नमाज़ पढ़ेगा, तो जब तक नमाज़ पढ़ता रहेगा, फ़रिश्ते उस के लिए रहमत की दुआ करते रहेंगे, जब तक कि किसी को दुख न देवे और वहां वुज़ू न तोड़े । —मिश्कात शरीफ़

मस्जिद में क्या पढ़े ?

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (सहाबा रज़ि० को) फ़रमाया कि जब तुम जन्नत के बाग़ों में गुज़रो तो खाया करो। सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! जन्नत के बाग़ क्या हैं ? फ़रमाया, मस्जिदें हैं। दोबारा सवाल किया कि खाना क्या है ? फ़रमाया, ये चीज़ें पढ़ना—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ

सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर०

'मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सब से बड़ा है।'

मस्जिद में दाखिले की दुआ

जब मस्जिद में दाखिल होने लगे तो दरूद शरीफ़ पढ़ कर यह दुआ पढ़े—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ؕ

अल्लाहुम-मफ़्तह ली अब्वा-ब रह़मति-क

'ऐ अल्लाह ! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।'

मस्जिद से निकलने की दुआ

और जब मस्जिद से निकलने लगे, तो दरूद शरीफ़ पढ़ कर यह दुआ पढ़े—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

अल्लाहुम-म इन्नी अस्अलु-क मिन फ़ज़्लि-क ·

'ऐ अल्लाह ! बेशक मैं तुझ से तेरे फ़ज़्ल का सवाल करता हूं।'

तंबीह—मस्जिद में दुनिया की बातें करना, बदबूदार चीज़ें खा-पीकर आना सख्त मना है।

हदीस—इर्शाद फ़रमाया, रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जो शख्स इस बदबूदार पेड़ (यानी प्याज़) को खाए (बदबू जाने तक) हमारी मस्जिद के पास हर चीज़ न आवे, क्योंकि फ़रिश्ते (भी) उन चीज़ों से दुख पाते हैं, जिनसे इन्सानों को तक्लीफ़ होती है। —बुखारी व मुस्लिम

प्याज़ मिसाल के तौर पर है। बीड़ी, सिग्रेट, हुक्क़ा वग़ैरह हर बदबूदार चीज़ खा-पीकर (बदबू जाने से पहले) मस्जिद में आना सख्त मना है।

मस्अला—मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना या सरसों के तेल के चिराग़ को फूंक से बुझाना (जिस से बदबू फूट पड़ती है) मना है।

इमामत के बारे में

इमामत का सब से ज़्यादा हक़दार वह आदमी है, जो मौजूद लोगों में सब से ज़्यादा मस्अलों का जानने वाला हो, बशर्ते कि क़ुर-आन शरीफ़ ऐसा ग़लत न पढ़ता हो, जिस से नमाज़ न हो। इसी के बाद सब से ज़्यादा हक़दार वह है जो क़ुरआन शरीफ़ सब से ज़्यादा

ठीक पढ़ता हो। इस के बाद वह जो सब से ज्यादा गुनाहों से परहेज करने वाला हो, इस के बाद वह जिस की उम्र सबसे ज्यादा हो, इसके बाद वह जिस के अख़्लाक़ सबसे अच्छे हों, इस के बाद वह जो ज्यादा ख़ूबसूरत हो, इस के बाद वह जो नसली शराफ़त में बढ़ा हुआ हो।

मस्अला—बिद्अती, फ़ासिक़, जाहिल, देहाती और ना-पाकी से एहतियात न करने वाले अंधे के पीछे नमाज़ मक्रूह है।

मस्अला—जिस मस्जिद का इमाम मुक़र्रर है, इमामत का हक़दार वही है, चाहे कोई शख़्स उस से ज्यादा आलिम या अच्छा क़ारी मस्जिद में हाज़िर हो गया हो, हां, अगर इमाम इजाज़त दे दे तो दूसरी बात है।

मस्अला—दाढ़ी मुंड़ाने वाला या इतनी दाढ़ी रखने वाला, जो एक मुट्ठी से कम हो, फ़ासिक़ है, उस के पीछे नमाज़ मक्रूह है।

मस्अला—जिस शख़्स की दीनी ज़िंदगी ख़राब हो और उस की वजह से उस के मुक़्तदी नाराज़ हों, उसको इमामत करना मक्रूह है।

मस्अला—जो शख़्स दीवाना हो या नशे में हो, उसके पीछे किसी की नमाज़ दुरुस्त नहीं।

मस्अला—जिसने वुज़ू व ग़ुस्ल किया हो, उस की नमाज़ माज़ूर के पीछे न होगी।

मस्अला—जो शख़्स नफ़्ल या सुन्नत पढ़ रहा हो, उस के पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाले की नमाज़ न होगी और नफ़्ल नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे हो जाएगी।

मस्अला—एक फ़र्ज़ (जैसे ज़ुहर) पढ़ने वाले के पीछे दूसरा फ़र्ज़ (जैसे अस्र) पढ़ने वाले की नमाज़ न होगी।

मस्अला—जो शख़्स तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ रहा हो, उस के पीछे उस की नमाज़ हो जाएगी, जो वुज़ू कर के पढ़ रहा है।

सज्दा-ए-तिलावत का बयान

मस्अला—क़ुरआन शरीफ़ में चौदह जगहे ऐसी हैं जिन के पढ़ने या सुनने से सज्दा करना वाजिब होता है, इस को सज्दा-ए-तिलावत कहते हैं, इन जगहों पर क़ुरआन शरीफ़ में हाशिए पर 'अस-सज्दा' लिखा हुआ लेकिन सत्तरहवें पारे के आखिर में जहां 'अस-सज्दा' लिखा हुआ है, हनफ़ियों के यहां वह सज्दा नहीं है और यह जगह चौदह के अलावा है।

मस्अला—तिलावत करते-करते जिस वक़्त सज्दे की आयत तिलावत करे, उसी वक़्त सज्दा कर लेना चाहिए, अगर किसी वजह से उस वक़्त सज्दा नहीं किया, तो माफ़ नहीं हुआ, बाद में ज़रूर कर ले। सज्दा-ए-तिलावत पढ़ने वाले पर भी वाजिब होता है और सुनने वाले पर भी।

मस्अला—सज्दा-ए-तिलावत अदा करने का तरीक़ा यह है कि खड़े होकर तक्बीर कहते हुए एक सज्दा करे और फिर तक्बीर कहता हुआ उठ खड़ा हो, यह अफ़ज़ल तरीक़ा है, लेकिन अगर बैठे-बैठे ही सज्दे में चला गया और सज्दे से उठ कर बैठ गया, तब भी सज्दा अदा हो गया।

मस्अला—अगर नमाज़ में सज्दे की आयत तिलावत करे (जैसा कि तरावीह में अक्सर होता है) तो तिलावत के फ़ौरन बाद अल्लाहु अक्बर कहता हुआ सज्दे में चला जाए और फिर अल्लाहु अक्बर कहता हुआ उठ कर सज्दे की आयत के बाद से क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना शुरू कर दे।

मस्अला—अगर सज्दे की एक आयत को एक ही मज्लिस में दो बार या दो से ज़्यादा पढ़ा या सुना तो एक सज्दा वाजिब होगा।

मस्अला—सज्दा-ए-तिलावत के अदा करने के लिए बदन, कपड़ा, जगह का पाक होना, सतर ढांकना, क़िब्ला रुख़ होना, सज्दा अदा करने की नीयत करना, वुज़ू के साथ होना शर्त है और जिन

चीज़ों से नमाज़ ख़राब हो जाती है, उन से सज्दा-ए-तिलावत भी ख़राब हो जाता है।

मस्अला—तिलावत करते-करते सज्दे की आयत का छोड़ जाना मक्रूह है।

मस्अला—तिलावत करने वाला अगर सज्दे की आयत को धीरे से पढ़ दे ताकि मौजूद लोगों तक आवाज़ पहुंचे, तो यह मुस्तहब है, लेकिन तरावीह में इमाम बहरहाल ज़ोर से पढ़े और सब उसके साथ सज्दा करें।

सज्दा सह्व का बयान

नमाज़ में भूल कर कभी कमी-बेशी हो जाती है, उसे पूरा करने के लिए आख़िरी क़ादा में 'अब्दुहू व रसूलुहू' तक अत्तहीयात पढ़ कर दो सज्दे किये जाते हैं, इस को सज्दा सह्व यानी भूल का सज्दा कहते हैं। सह्व का मतलब 'भूल' है।

मस्अला—किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब या फ़र्ज़ में देर हो जाने से या किसी फ़र्ज़ को उसकी जगह से हटा कर पहले कर देने से या किसी फ़र्ज़ को दोबारा अदा करने से जैसे (दो रुकूअ कर दिए) इन सब शक्लों में सज्दा सह्व वाजिब हो जाता है। अगर भूले से ऐसा हुआ हो और अगर जानबूझ कर किया, तो सज्दा सह्व से काम न चलेगा, बल्कि नमाज़ दोहराना वाजिब होगा।

मस्अला—फ़र्ज़ छूट जाने पर सज्दा सह्व से उसे नहीं पूरा किया जा सकता। ऐसी शक्ल में नमाज़ को दोबारा पढ़ना होगा, चाहे भूल कर छूटा हो।

मस्अला—अगर किसी नमाज़ में भूल कर कई बातें ऐसी पेश आ गयीं, जिन से सज्दा सह्व वाजिब होता है, तो सब की कमी पूरी करने के लिए सिर्फ़ एक ही बार सह्व के दो सज्दे कर लेना काफ़ी है।

मस्अला—जिन चीज़ों से फ़र्ज़ नमाज़ों में सज्दा सह्व वाजिब

Maktabe Ashraf

होता है, उन से नफ़्ल, सुन्नत और वित्रों में भी वाजिब होता है ।

मस्अला—इमाम से अगर कोई ऐसा काम हो जाए, जिससे सज्दा सह्व वाजिब होता है, तो मुक्तदियों पर भी सज्दा करना वाजिब होगा और मुक्तदी की भूल से, न उस पर सज्दा सह्व वाजिब है, न इमाम पर ।

मस्अला—जिस की कुछ रक्अतें चली गयी हों, वह इमाम के सलाम के बाद जब अपनी नमाज़ पूरी करने लगे और उस वक़्त कोई काम भूल से ऐसा हो जाए जिस से सज्दा सह्व वाजिब हो जाता है, तो आख़िरी क़ादे में सज्दा सह्व अदा करे ।

मस्अला—सज्दा सह्व वाजिब होने के क़ायदे को हमने इस बयान के शुरू में लिख दिया है। अब आसानी के लिए कुछ शक्लें मिसाल के तौर पर लिख देते हैं, जिन से सज्दा सह्व वाजिब हो जाता है, वह ये हैं—

१. फ़र्ज़ नमाज़ की पहली रक्अत या दूसरी रक्अत या इन दोनों रक्अतों में सूरः फ़ातिहा छूट जाने या सूरः फ़ातिहा दोबारा पढ़ जाने से,

२. वाजिब नमाज़ या सुन्नत नमाज़ या नफ़्ल की किसी भी रक्अत में सूरः फ़ातिहा छूट जाने से या दोबारा पढ़ जाने से,

३. सूरः फ़ातिहा से पहले सूरः पढ़ जाने से,

४. फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रक्अत के सिवा हर नमाज़ की किसी भी रक्अत में सूरः छूट जाने से,

५. किसी भी रक्अत में दो रुकूअ या तीन सज्दे कर लेने से,

६. पहले क़ादे या आख़िरी क़ादे में तशह्हुद यानी अत्तहीयात छूट जाने से,

७. पहले क़ादे में 'अब्दुहू व रसूलुहू' के बाद दरूद शरीफ़, कम से कम 'अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मद' जितना पढ़ जाने से या उतनी देर ख़ामोश बैठे रहने से,

८. इमाम को जिन रक्अतों में ज़ोर से क़िरात मस्नून है, उन में

धीरे से पढ़ जाने से,

६. इसी तरह जिन रक्अतों में इमाम को धीरे से पढ़ना चाहिए, उन में ज़ोर से क़िरात कर देने से,

१०. क़िरात में भूल हो जाने पर तीन बार 'सुब्हानल्लाह' कहने जितना ग़ौर व फ़िक्र में ख़ामोश रह जाने से या उतनी देर तक सूरः फ़ातिहा के बाद कोई सूरः पढ़ने के लिए ख़ामोश रहने से,

११. वित्रों में दुआ-ए-क़ुनूत भूल जाने से,.

१२. क़ादा ऊला छोड़ कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाने से, वग़ैरह-वग़ैरह।

मस्अला—अगर दूसरी रक्अत के बाद भूले से उठने लगे, तो जब तक बैठने के क़रीब हो, बैठ जाए और इस सूरत में सज्दा सह्व की ज़रूरत नहीं और अगर इतना उठ गया है कि खड़े होने के क़रीब हो चुका है, और अब याद आया है, तो सीधा खड़ा हो जाए और आख़िर में सज्दा सह्व कर ले।

सज्दा सह्व का तरीक़ा

सज्दा सह्व का तरीक़ा यह है कि आख़िरी क़ादे में तशह्हुद यानी अत्तहीयात 'अब्दुहू व रसूलुहू' तक पढ़ कर, दाहिनी तरफ़ सलाम फेर कर अल्लाहु अक्बर कहते हुए दो सज्दे करे और दो सज्दे कर के बैठ जाए और दोबारा पूरी अत्तहीयात और उस के बाद दरूद शरीफ़ और दुआ पढ़ कर दोनों तरफ़ सलाम फेर दे।

मस्अला—अगर दोनों तरफ़ सलाम फेर कर याद आया कि मेरे ज़िम्मे सज्दा सह्व है तो जब तक किसी से बात न की हो और सीना क़िब्ले से न फेरा हो या और कोई काम ऐसा न हो गया हो जिस से नमाज़ ख़राब हो जाती है, तो अब भी सज्दा कर ले।

मरीज़ की नमाज़

मस्अला—नमाज़ इस्लाम का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है और दीने

इस्लाम में इस का बहुत बड़ा दर्जा है। सफ़र हो, मरज़ हो, रंज हो, खुशी हो, दुख हो, तक्लीफ़ हो या आराम हो, बहरहाल नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। हज़ार आफ़तों व बलाओं, बहुत सी कठिनाइयों और बड़े-बड़े हादसों का सामना हो, तो इस हालत में भी नमाज़ माफ़ नहीं है। बहुत से लोग जो मरज़ और तक्लीफ़ में नमाज़ छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं और अपनी आख़िरत ख़राब करते हैं।

मस्अला—किसी की ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बन्द नहीं होती या कोई ऐसा घाव है कि बराबर बहता रहता है, किसी वक़्त बहना बन्द नहीं होता या पेशाब की बीमारी है कि हर वक़्त क़तरा आता रहता है और इतना वक़्त नहीं मिलता कि तहारत से नमाज़ पढ़ सके, तो ऐसे आदमी को माज़ूर कहते हैं। इस का हुक्म यह है कि हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू कर लिया करे, जब तक वह वक़्त रहेगा, तब तक उस का वुज़ू बाक़ी रहेगा, अल-बत्ता जिस बीमारी में मुब्तला है, उस के सिवा अगर कोई और बात ऐसी पायी जाए जिस से वुज़ू टूट जाता है, तो वुज़ू जाता रहेगा और फिर से करना पड़ेगा। इस की मिसाल यह है कि किसी की ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बन्द नहीं होती, उसने ज़ुहर के वक़्त वुज़ू कर लिया, तो जब तक ज़ुहर का वक़्त बाक़ी रहेगा, नक्सीर के ख़ून की वजह से वुज़ू न टूटेगा, अल-बत्ता पेशाब-पाखाना किया या सूई चुभ गयी, उससे ख़ून निकल पड़ा तो वुज़ू जाता रहेगा, फिर दोबारा वुज़ू करे।

मस्अला—माज़ूर ने जिस नमाज़ के लिए वुज़ू किया है, जब उस नमाज़ का वक़्त चला गया, तो अब दूसरे वक़्त के लिए दूसरा वुज़ू करना पड़ेगा, इसी तरह हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू कर लिया करे और इस वुज़ू से फ़र्ज़, नफ़्ल जो नमाज़ चाहे, पढ़े।

मस्अला—आदमी माज़ूर जब बनता है और यह हुक्म उस वक़्त लगाते हैं जबकि पूरा एक नमाज़ का वक़्त इसी तरह गुज़र जाए कि ख़ून वग़ैरह इसी तरह बराबर बहा करे और इतना भी वक़्त न मिले कि उस वक़्त की नमाज़ तहारत से पढ़ सके। अगर इतना वक़्त

मिल गया कि उस में तहारत से नमाज़ पढ़ सकता है, तो उस को माज़ूर न कहेंगे। इस मस्अले को खूब समझ लो, बहुत से लोग बड़ी ग़लतफ़हमी में पड़े हैं।

मस्अला—नमाज़ किसी हालत में न छोड़े, जब तक खड़े होकर पढ़ने की ताक़त रहे, खड़े होकर पढ़े और जब खड़ा न हुआ जाए तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, बैठे-बैठे रुकूअ करे और सज्दा करे।

मस्अला—अगर रुकूअ-सज्दा करने की भी क़ुदरत न हो तो रुकूअ और सज्दे को इशारे से अदा करे और सज्दे के लिए रुकूअ से ज़्यादा झुके।

मस्अला—अगर खड़े होने की ताक़त तो है, लेकिन खड़े होने से बड़ी तक्लीफ़ होती है या बीमारी के बढ़ जाने का डर है, तब भी बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

मस्अला—अगर खड़ा तो हो सकता है, लेकिन रुकूअ-सज्दा नहीं कर सकता तो चाहे तो खड़े होकर पढ़े और रुकूअ-सज्दा इशारे से अदा करे और चाहे तो बैठ कर नमाज़ पढ़े और रुकूअ व सज्दा को इशारे से अदा करे, दोनों तरह अख़्तियार करे, लेकिन बैठ कर पढ़ना बेहतर है।

मस्अला—अगर बैठने की भी ताक़त नहीं, तो पीछे कोई गाव-तकिया वग़ैरह लगा कर इस तरह लेट जाए कि सर खूब ऊंचा रहे, बल्कि क़रीब-क़रीब बैठने के रहे और पांव क़िब्ले की तरफ़ फैला ले और अगर कुछ ताक़त हो तो क़िब्ले की तरफ़ पैर न फैलाए, बल्कि घुटने खड़े रखे, फिर सर के इशारे से नमाज़ पढ़े और सज्दे का इशारा रुकूअ के इशारे से ज़्यादा नीचा करे और अगर गाव तकिया से टेक लगा कर भी इस तरह न लेट सके कि सर और सीना वग़ैरह ऊंचा रहे, तो क़िब्ले की तरफ़ पैर कर के बिल्कुल चित लेट जावे, लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख दे कि मुंह क़िब्ले की तरफ़ हो जावे और आसमान की तरफ़ न रहे, फिर सर के इशारे से नमाज़ पढ़े, रुकूअ का इशारा कम करे और सज्दे का इशारा ज़रा

ज़्यादा करे।

मस्अला—इस सूरत में अगर चित न लेटे, बल्कि दाहिनी या बाईं करवट पर क़िब्ले की तरफ़ मुंह कर के लेटे और सर के इशारे से रुकूअ-सज्दा करे, तो यह भी जायज़ है, लेकिन चित लेट कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है।

मस्अला—अगर बेहोश हो जाए तो अगर बेहोशी एक दिन एक रात से ज़्यादा न हुई हो तो इतने वक़्त की नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ना वाजिब है और अगर एक दिन एक रात से ज़्यादा बेहोशी हो गयी तो वाजिब नहीं है।

मस्अला—जब नमाज़ शुरू की, उस वक़्त तन्दुरुस्त था, फिर जब थोड़ी नमाज़ पढ़ चुका, तो नमाज़ ही में कोई ऐसी रग चढ़ गयी कि खड़ा न हो सका, तो बाक़ी नमाज़ बैठ कर पढ़े, अगर रुकूअ-सज्दा कर सकता हो तो करे, वरना रुकूअ सज्दा को सर के इशारे से करे और अगर ऐसा हाल हो गया कि बैठने की भी क़ुदरत नहीं है, तो लेट कर बाक़ी नमाज़ पूरी करे।

मस्अला—अगर बीमारी की वजह से थोड़ी नमाज़ बैठ कर पढ़ी, जिस में रुकूअ की जगह रुकूअ और सज्दे की जगह सज्दा किया फिर नमाज़ ही में तन्दुरुस्त हो गया तो उसी नमाज़ को खड़े होकर पूरी करे।

मस्अला—अगर बीमारी की वजह से रुकूअ-सज्दा की ताक़त न थी, इस लिए सर के इशारे से रुकूअ-सज्दा किया, फिर जब कुछ नमाज़ पढ़ चुका तो अच्छा हो गया कि अब रुकूअ-सज्दा कर सकता है, तो अब यह नमाज़ जाती रही, इस को फिर से पढ़े।

मस्अला—फ़ालिज गिरा और ऐसा बीमार हो गया कि पानी से इस्तिंजा नहीं कर सकता, तो कपड़े या ढेले से पोंछ डाला करे और अगर कपड़े या ढेले से भी पोंछने की ताक़त नहीं रखता तो भी नमाज़ क़ज़ा न करे, इसी तरह नमाज़ पढ़े।

मस्अला—अगर बीमार का बिस्तर नजिस है, लेकिन उस के

बदलने में बहुत तक्लीफ़ होगी, तो उसी पर नमाज़ पढ़ लेना दुरुस्त है।

मस्अला—हकीम-डाक्टर ने किसी की आंख बनायी और मिलने-जुलने से मना कर दिया तो लेटे-लेटे नमाज़ पढ़ता रहे।

तरावीह का बयान

मस्अला—रमज़ान के महीने में मर्दों और औरतों के लिए बीस रक्अत नमाज़ तरावीह बाद नमाज़ इशा अदा करना ताकीदी सुन्नत है। इर्शाद फ़रमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिसने रमज़ान (की रातों) में क़ियाम किया, उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए। —मिश्कात शरीफ़

मस्अला—मर्दों को नमाज़ तरावीह जमाअत के साथ अदा करना सुन्नत अलल किफ़ाया है, अगर तमाम मुहल्ले वाले अलग-अलग तरावीह पढ़ लेंगे, तो गुनाहगार होंगे और अगर जमाअत के साथ नमाज़ अदा हो रही है और किसी ने तंहा पढ़ ली तो गुनाहगार न होगा, मगर जमाअत की फ़ज़ीलत से महरूम होगा।

मस्अला—तरावीह की नमाज़ बीस रक्अत दस सलामों के साथ अदा करे और हर चार रक्अत के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना मुस्तहब है।

मस्अला—रमज़ान शरीफ़ के पूरे महीने में एक बार क़ुरआन शरीफ़ तरावीह में ख़त्म करना सुन्नत है, लेकिन क़ुरआन शरीफ़ की उज्रत देकर सुनने से यह अफ़ज़ल है कि सूरतों से पढ़ लें।

मस्अला—ना-बालिग़ के पीछे तरावीह की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है।

मस्अला—तरावीह की नमाज़ अगर जान कर छोड़ दी या सफ़र व मरज़ में छूट गयी तो जिस रात की छूटी है, उस के गुज़र जाने के बाद क़ज़ा ज़रूरी नहीं है, अल-बत्ता जान-बूझ कर छोड़ देना गुनाह है।

मस्अला—अगर किसी शख्स की तरावीह की कुछ रक्अतें रह गयी हों और इमाम वित्र की नमाज़ पढ़ाने लगे तो यह शख्स वित्रों में इमाम के साथ शरीक हो जाए और बाद में तरावीह पूरी कर ले।

मस्अला—अगर किसी को इशा के फ़र्ज़ जमाअत से न मिले हों तो फ़र्ज़ अकेले पढ़ कर वित्र और तरावीह जमाअत से अदा करना दुरुस्त है।

मस्अला—कहीं तरावीह में क़ुरआन शरीफ़ पन्द्रह-बीस दिन में या इसके बाद महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है, तो बहुत से लोग इसके बाद तरावीह की नमाज़ ही छोड़ देते हैं। यह ग़लत है, क्योंकि क़ुरआन मजीद खत्म करना मुस्तक़िल सुन्नत है और पूरे महीना तरावीह पढ़ना इस के अलावा दूसरी सुन्नत है।

तरावीह की नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रक्अत नमाज़ सुन्नत तरावीह की वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा क़िब्ले की तरफ़ पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अक्बर।

ईदैन का बयान

ईदैन की मुस्तहब चीज़ें

१. गुस्ल करना और मिस्वाक करना,

२. अपने पास जो कपड़े मौजूद हों, उन में जो अच्छे से अच्छे कपड़े हों, वह पहनना,

३. खुश्बू लगाना,

४. ईदगाह में जो आबादी से बाहर हो, ईद की नमाज़ पढ़ना,

५. ईदगाह पैदल जाना,

६. एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना,

७. ईद की नमाज़ से पहले घर में या ईदगाह में नफ़्ल नमाज़ न पढ़ना और ईद की नमाज़ के बाद ईदगाह में नफ़्ल नमाज़ न पढना।

घर आकर पढ़े, तो कुछ हरज नहीं।

८. ईदुल फ़ित्र की नमाज़ से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना,

९. अगर सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब हो तो उस को नमाज़ से पहले अदा करना,

१०. ईदे अज़्हा के दिन ईद की नमाज़ के बाद अपनी क़ुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए।

ईदुल फ़ित्र की नमाज़ को जाते हुए रास्ते में धीरे-धीरे तक्बीरे तश्रीक़ कहें और ईदुल अज़्हा में ज़रा बुलन्द आवाज़ से कहते हुए जाना मुस्तहब है।

ईदुल अज़्हा के ख़ास अह्काम

अगर मालदार और निसाब वाला हो तो उस को ईदे-अज़्हा की नमाज़ के बाद क़ुर्बानी करना वाजिब है और नवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज़ से तेरहवीं की अस्र तक हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो जमाअत के साथ पढ़ी गयी हो, एक बार तक्बीरे तश्रीक़ ऊंची आवाज़ से इमाम व मुक़्तदी पर कहना वाजिब है। तक्बीरे तश्रीक़ यह है—

اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ

وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ ؀

अल्लाहु अक्बरु अल्लाहु अक्बरु ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बरु व लिल्लाहिल हम्दु०

ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा

नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रक्अत नमाज़ वाजिब ईदुल फ़ित्र (या ईदुल अज़्हा) की मय वाजिब छः ज़्यादा तक्बीरों के, पीछे इस इमाम के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़।

और चाहे तो अरबी में इस तरह नीयत कर ले—

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ (عِيْدِ الْاَضْحٰى) الْوَاجِبَةِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ۝

नवैतु अन उअद्दि-य लिल्लाहि तआला रक्अतं सलाति ईदिल् फ़ित्रि (या ईदिल अज़्हा) अल वाजिबति मअ सित्ति तक्बीरातिव वाजिबातिन इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जि हन इलल काबतिश्शरीफ़ा०

नीयत के बाद इमाम व मुक़्तदी तक्बीर तह्रीमा यानी अल्लाहु अक्बर कहें और इस के बाद 'सुब्हा-न-कल्लाहुम-म' आखिर तक पढ़ कर तीन बार अल्लाहु अक्बर कहें। हर बार तक्बीरे तह्रीमा की तरह दोनों कानों तक हाथ उठाएं और हर तक्बीर के बाद इतना रुकें कि तीन बार 'सुब्हानल्लाह' कह सकें, तीसरी तक्बीर के बाद हाथ न लटकाएं, बल्कि बांध लें और इमाम अऊज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाह पढ़ कर सूरः फ़ातिहा और कोई दूसरी सूरः पढ़े, मुक़्तदी खामोश खड़े रहें, फिर रुकूअ-सज्दा करके दूसरी रक्अत में इमाम पहले सूरः फ़ातिहा और कोई सूरः पढ़े, इस के बाद तीन तक्बीर इसी तरह कानों तक हाथ उठाते हुए कहें और हर बार हाथ उठा कर लटका दें, फिर चौथी तक्बीर बग़ैर हाथ उठाए कहते हुए रुकूअ में चले जाएं और बाक़ी नमाज़ रोज़ाना की तरह पूरी कर लें।

मस्अला—ईदैन की नमाज़ वित्रों की तरह वाजिब है, उस को कभी न छोड़ो और अच्छी तरह उस का तरीक़ा याद करो।

मस्अला—बहुत से लोग ईदैन की नमाज़ के बाद खुत्बा नहीं सुनते, छोड़ कर चल देते हैं। यह सुन्नत के खिलाफ़ है और सुन्नत का छोड़ना है।

मस्अला—ईदैन की नमाज़ के बाद जो ईद की वजह से मुसाफ़ा

Maktabe Ashraf

करते हैं या गले मिलते हैं, यह बिद्अत है।

मस्अला—ईदैन की नमाज़ का ख़ुत्बा सुन्नत है, लेकिन जुमा के ख़ुत्बे की तरह ईदैन के ख़ुत्बे के दर्मियान भी बात-चीत करना दुरुस्त नहीं। इसी तरह ख़ुत्बे के दर्मियान इमाम के लिए या किसी दूसरी ज़रूरत के लिए चन्दा करना और सवाल करना, इमाम के पगड़ी बांधना वग़ैरह सख़्त मना है।

क़ज़ा नमाज़ों का बयान

नमाज़ का क़ज़ा करना बड़ा गुनाह है। कुछ आलिम कहते हैं कि जान कर नमाज़ छोड़ देने से काफ़िर हो जाता है। अगर कभी सोते वक़्त गुज़र जाए या ग़फ़लत से क़ज़ा हो जाए तो उस को जल्द से जल्द अदा कर ले। बीस-तीस वर्ष या उस से भी ज़्यादा की नमाज़ें क़ज़ा की हों, तो उन सब को पढ़े, यह जो मशहूर है कि क़ज़ा-ए-उमरी की चार रक्अतें पढ़ने से सब अदा हो जाती हैं, बिल्कुल ग़लत है।

मस्अला—क़ज़ा नमाज़ की नीयत में यह ज़रूरी है कि वक़्त और तारीख़ मुक़र्रर कर के नीयत करे, लेकिन चूंकि तारीख़ मुक़र्रर करना बहुत मुश्किल है, इस लिए आलिमों ने बताया है कि जिस के ज़िम्मे बहुत सी क़ज़ा हों या जिस को यह याद न रहा हो कि किस दिन की क़ज़ा हुई थी, वह हर नमाज़ की नीयत में यों कह ले कि मेरे ज़िम्मे सब से पहले जो फ़्लां नमाज़ जैसे (ज़ुहर या अस्र) है, उस को पढ़ता हूं, मिसाल के तौर पर हम एक पूरी नीयत ज़िक्र करते हैं—

नीयत—नीयत करता हूं मैं चार रक्अत नमाज़ फ़र्ज़ ज़ुहर की क़ज़ा जो सब से पहले मेरे ज़िम्मे है, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

मस्अला—क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ों और वित्रों की होती है, सुन्नतों और नफ़्लों की नहीं, इस हिसाब से एक दिन की क़ज़ा नमाज़ों की बीस

रक्अतें हुईं । सुबह के दो फ़र्ज़, ज़ुहर के चार फ़र्ज़, अस्र के चार फ़र्ज़, मग़रिब के तीन फ़र्ज़, इशा के चार फ़र्ज़ और तीन वित्र और अगर हर दिन बीस रक्अत क़ज़ा पढ़ लिया करे तो कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह से डरने वाले तो एक दिन में कई-कई दिन की क़ज़ा पढ़ सकते हैं।

मस्अला—अगर फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाए और उसी दिन ज़वाल से पहले-पहले पढ़े तो सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़े।

मस्अला—घर पर जो ज़ुहर, अस्र और इशा की नमाज़ क़ज़ा हुई हो, उस की क़ज़ा में चार ही रक्अत पढ़े, चाहे सफ़र में पढ़ रहा हो और जो ज़ुहर व अस्र और इशा की नमाज़ सफ़र में क़ज़ा हुई हो (बशर्ते कि वह सफ़र ४८ मील का हो) तो उस को क़ज़ा (आधी) दो रक्अत ही पढ़े, चाहे घर पर पढ़ रहा हो।

जनाज़े की नमाज़

जनाज़े की नमाज़ फ़र्ज़े किफ़ाया है। अगर कुछ लोग (बल्कि एक मर्द या एक औरत) भी पढ़ लें तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन जिस क़दर भी ज़्यादा आदमी हों, उसी क़दर मय्यत के हक़ में अच्छा है, क्योंकि न मालूम किस की दुआ लग जाए और उस की मग़्फ़िरत हो जाए।

हदीस—फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, जो भी मुसलमान मर जाए, फिर खड़े होकर चालीस आदमी उस के जनाज़े की नमाज़ पढ़ लें, जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करते हों, तो अल्लाह उन की सिफ़ारिश मय्यत के हक़ में क़ुबूल फ़रमाएगा। —मुस्लिम शरीफ़

हदीस—जो ईमान के साथ सवाब समझते हुए जनाज़े के साथ चला और नमाज़ पढ़ने और दफ़न से फ़ारिग़ होने तक उस के साथ रहा, उस को दो क़ीरात (यानी दो हिस्से) सवाब मिलेगा। हर

क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा और जो जनाजे की नमाज पढ़ कर दफ़न से पहले वापस हो गया, तो वह एक क़ीरात सवाब लेकर लौटा।

—बुखारी

मस्अला—जनाजे की नमाज में चार तक्बीरें और क़ियाम (यानी खड़ा होना) फ़र्ज़ है। इस नमाज का तरीक़ा यह है कि मय्यत को आगे रख कर उस के सीने के मुक़ाबले में इमाम खड़ा हो और इमाम व मुक्तदी जनाजे की नमाज की नीयत करे। नीयत इस तरह है—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ الثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالدُّعَاءُ

لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ۝

नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तआला सलातल जनाजति-स्सनाउ लिल्लाहि तआला वद्दुआ उ लिहाज़ल मय्यति इक्तदैतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबति श्शरीफ़ति०

चाहे तो उर्दू में इस तरह नीयत कर ले। नीयत करता हूं मैं कि नमाज जनाजा अदा करू, वास्ते अल्लाह तआला के, तारीफ़ अल्लाह तआला के लिए और दुआ इस मय्यत के लिए पीछे इस[1] इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़।

नीयत कर के दोनों हाथ तक्बीरे तहरीमा की तरह कानों तक उठा कर एक बार अल्लाहु अक्बर कह कर आम नमाजों की तरह बांध लें फिर 'सुब्हान-कल्लाहुम-म' आखिर तक पढ़ें, इस के बाद फिर एक बार अल्लाहु अक्बर कहें, मगर इस बार हाथ न उठाएं, इस के बाद दरूद शरीफ़ पढ़ें, बेहतर यह है कि वही दरूद शरीफ़ पढ़ा जाए, जो नमाज में पढ़ा जाता है। फिर एक मर्तबा अल्लाहु अक्बर कहें, इस बार भी हाथ न उठाएं। इस तक्बीर के बाद मय्यत के लिए दुआ करें, अगर वह बालिग़ हो, मर्द हो या औरत, तो यह दुआ पढ़ें—

---

१. इमाम लफ़्ज 'पीछे इस इमाम के' न कहे।

अल्लाहुम-मग़्फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़-क-रिना व उन्साना०

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا.

अल्लाहुम-म मन अह्यैं-तहू मिन्ना फ़ अह्यिही अलल इस्लामि व मन तवफ़्फ़ै-त-हू मिन्ना फ़ तवफ़्फ़हू अलल ईमान०

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۝

'ऐ अल्लाह ! तू हमारे ज़िंदों को बख़्श दे और हमारे मुर्दों को और हमारे हाज़िरों को और हमारे ग़ायब लोगों को और हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को और हमारे मर्दों को और औरतों को। ऐ अल्लाह ! हम में से जिसे ज़िंदा रखे, तो उसे इस्लाम पर ज़िंदा रख और हम में से तू जिसे मौत दे तो उसे ईमान पर मौत दे।'

अगर मय्यत ना-बालिग़ लड़का हो तो यह दुआ पढ़े—

अल्लाहुम-मज-अल्हु लना फ़-र-तंव-वज-अल्हु लना अज्रंव व ज़ुख़्रंव-वज-अल्हु लना शाफ़िअंव-व मुशफ़्फ़आ०

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ۝

'ऐ अल्लाह ! इस बच्चे को तू हमारे लिए पहले से जाकर इन्तिज़ाम करने वाला बना और इस को हमारे लिए अज्र और ज़ख़ीरा और सिफ़ारिश करने वाला और सिफ़ारिश रिश मंज़ूर किया हुआ बना दे।'

अगर मय्यत ना-बालिग़ लड़की हो तो यह दुआ पढ़े—

अल्लाहुम-मज-अल्हा लना फ़-र-तंव-वज् अल् हा लना अज्रंव व ज़ुख़्रंव वज् अ ल हा लना शाफ़िअतंव व मुशफ़्फ़ अ:०

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ۝

'ऐ अल्लाह ! तू इस बच्ची को हमारे लिए पहले से जाकर इन्तिज़ाम करने वाली बना और उस को हमारे लिए अज्र और ज़खीरा और सिफ़ारिश क़ुबूल की जाने वाली बना दे।'

जब यह दुआ पढ़ चुकें तो एक बार फिर अल्लाहु अक्बर कहें, इस बार भी हाथ न उठाएं और इस तक्बीर के बाद सलाम फेर दें।

मस्अला—जनाज़े की नमाज़ में तक्बीर कहते हुए आसमान की तरफ़ मुंह उठाना बे-असल है, शरीअत से साबित नहीं।

मस्अला—अगर जूते ना-पाक हों तो उन को पहन कर या उन पर खड़े होकर जनाज़े की नमाज़ नहीं होती। आजकल बहुत-से लोग इस का ख्याल नहीं करते।

मस्अला—जनाज़े की नमाज़ में तीन सफ़ें कर देना मुस्तहब है।

मस्अला—जनाज़े के साथ जाते हुए तक्बीर या किसी दूसरे ज़िक्र का नारा लगाना बिद्अत है।

मस्अला—जनाज़े की नमाज़ मस्जिद में अदा करना मक्रूहे तहरीमी है, चाहे जनाज़ा मस्जिद के अन्दर हो, चाहे मस्जिद के बाहर।

मस्अला—नमाज़ को खराब करने वाली चीज़ें, जिन का पहले ज़िक्र किया गया है, जनाज़े की नमाज़ भी, उन में से किसी एक के पेश आने से खराब हो जाती है।

मस्अला—अगर कोई शख्स जनाज़े की नमाज़ में ऐसे वक़्त पहुंचा कि एक या दो तक्बीरें हो चुकी हैं, तो उसको चाहिए कि तुरन्त आते ही दूसरी नमाज़ों की तरह तक्बीर कह कर नमाज़ में शरीक न हो जाए, बल्कि इमाम की तक्बीर का इन्तिज़ार करे। जब इमाम तक्बीर कहे, तो उस के साथ यह भी तक्बीर कहे और यह तक्बीर उसके हक़ में तक्बीरे तहरीमा होगी। फिर जब इमाम सलाम फेर दे तो यह शख्स अपनी गयी हुई तक्बीरों को अदा कर ले और इन तक्बीरों के दर्मियान कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं।

मस्अला—और अगर ऐसे वक़्त में पहुंचा है कि इमाम चौथी

तक्बीर कह चुका है तो तुरन्त तक्बीर कह कर इमाम के सलाम से पहले शरीक हो जाए और बाक़ी तीन तक्बीरें इमाम के बाद अदा कर ले।

नफ़्लों का बयान

नफ़्ल नमाज़ों की हदीसों में बड़ी फ़ज़ीलतें आयी हैं। एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन फ़र्ज़ों में कमी रह जाएगी तो उसको नफ़्लों से पूरा कर दिया जाएगा।

मोमिन बन्दों को चाहिए कि फ़र्ज़ों की पाबंदी के साथ नफ़्लों का ज़ख़ीरा भी ले चलें। यों तो जितने भी नफ़्ल पढ़े, बड़ा सवाब पाए, लेकिन जिन नफ़्लों की ख़ास-ख़ास फ़ज़ीलतें आयी हैं, उन के पढ़ने में बहुत ज़्यादा सवाब है, इस लिए उन की फ़ज़ीलतें हम लिखे देते हैं, पढ़िए और अमल कीजिए।

तहीयतुल वुज़ू

हज़रत रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया कि मैं जब भी कभी जन्नत में दाख़िल हुआ, तो मैंने अपने आगे तुम्हारी आहट सुनी, इस लिए बताओ कि तुम मुझ से पहले कैसे जन्नत में पहुंचे? उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैंने जब कभी भी अज़ान दी तो दो रक्अतें नफ़्ल नमाज़ की ज़रूर पढ़ीं और जब भी मेरा वुज़ू टूटा तो उसी वक़्त वुज़ू किया। और वुज़ू के बाद अल्लाह के लिए दो रक्अत नमाज़ पढ़ने की ऐसी पाबंदी की, गोया ये दो रकअतें मुझ पर फ़र्ज़ हैं। यह सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इन्हीं दो रक्अतों की वजह से तुम को यह दर्जा मिला।

—तिर्मिज़ी शरीफ़

इस नमाज़ की फ़ज़ीलत वुज़ू के बयान के ख़त्म पर गुज़र चुकी है।

नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल तहीयतुल वुज़ू की, वास्ते अल्लाह के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

तहीयतुल मस्जिद

इस नमाज़ से मक़सूद मस्जिद की इज़्ज़त करना है, जो हक़ीक़त में ख़ुदा ही की इज़्ज़त करना है, क्योंकि मकान का अदब मकान वाले के अदब के ख़्याल से होता है। इर्शाद फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब तुम में से कोई शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो तो चाहिए कि बैठने से पहले दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल पढ़ ले।

—बुख़ारी व मुस्लिम

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल तहीयतुल मस्जिद की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़ अल्लाहु अक्बर।

मस्अला—अगर मस्जिद में ऐसे वक़्त दाख़िल हो कि उस वक़्त नमाज़ पढ़नी मक्रूह हो, जैसे ज़वाल का वक़्त हो तो बग़ैर नमाज़ पढ़े ही बैठ जाए। उस वक़्त तहीयतुल वुज़ू व तहीयतुल मस्जिद न पढ़े।

मस्अला—दो रक्अत कुछ ख़ास नहीं की गयी है। अगर चार रक्अत पढ़ ले तब भी तहीयतुल मस्जिद अदा हो गयी।

मस्अला—अगर मस्जिद में आते ही कोई फ़र्ज़ या सुन्नत अदा कर ले तो वही फ़र्ज़ या सुन्नत तहीयतुल मस्जिद के क़ायम मक़ाम हो जाएगी यानी उस के पढ़ने से तहीयतुल मस्जिद का भी सवाब मिल जाएगा।

इश्राक़ की नमाज़

जब सूरज निकल कर ऊंचा हो जाए और अच्छी तरह सफ़ेद व साफ़ मालूम होने लगे, उस वक़्त जो नफ़्ल पढ़े जाते हैं, उन को इश्राक़ की नमाज़ कहते हैं।

नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल इश्राक़ की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

मस्अला—इश्राक़ की नमाज़ सूरज निकलने के २० मिन्ट बाद पढ़े। फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने कि जो शख्स जमाअत से फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर सूरज निकलने तक इसी जगह बैठे हुए, अल्लाह को याद करता रहे, फिर जब सूरज निकल कर बुलंद हो जाए तो दो रक्अत नमाज़ (नफ़्ल) पढ़ ले, तो उस को एक हज्ज और एक उमरे का सवाब मिलेगा।

—तिर्मिज़ी

और इश्राक़ की नमाज़ चार रक्अतें भी आयी हैं, इस लिए अगर चार पढ़ ले तो भी अच्छा है।

हदीसे क़ुद्सी—फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने कि बिला शुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाते हैं कि ऐ इंसान। तू दिन के अव्वल हिस्से में मेरे लिए चार रक्अतें पढ़ ले, मैं तेरे लिए उस दिन के आखिर तक किफ़ायत करूंगा यानी तेरी सब ज़रूरतों को पूरा करूंगा। —तर्ग़ीब व तर्हीब

मस्अला—अगर फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर उठकर चला जाए और काम काज में लगा रहे और फिर सूरज चढ़ जाने पर दो रक्अत या चार रक्अत इश्राक़ की पढ़ ले तो यह दुरुस्त है, मगर इस सूरत में सवाब कम हो जाएगा।

चाश्त की नमाज़

इस को अरबी में 'सलातुज्ज़ुहा' कहते हैं, हदीसों में इस की बड़ी फ़ज़ीलत आयी है। दिन का तिहाई हिस्सा गुज़रने के बाद चाश्त का वक़्त शुरू होता है और ज़वाल उस का वक़्त रहता है। घंटों के हिसाब से गर्मियों में ६ बजे से और सर्दी के ज़माने में १० बजे से शुरू हो जाता है।

हदीसों में इसी को 'सलातुल अव्वाबीन' कहा गया है, मगर हमारे यहां मशहूर है कि मग़रिब के बाद की नफ़्लों को 'अव्वाबीन' कहते हैं। चाश्त की नमाज़ की रक्अतें हदीसों में दो भी आयी हैं और छः भी आयी हैं और आठ भी और बारह भी, इस लिए कम से कम दो रक्अतें चाश्त की पढ़नी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बारह तक, या जितनी चाहे पढ़े—

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आठ रक्अत पढ़ा करती थीं और फ़रमाया करती थीं कि अगर मेरे मां-बाप भी क़ब्रों से उठ कर चले आएं तो भी इन को न छोड़ूं।

हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का की फ़त्ह के दिन मेरे घर आकर चाश्त की आठ रक्अतें पढ़ीं।

—बुख़ारी व मुस्लिम

फ़ज़ीलत—फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्ललाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने कि हर दिन सुबह को हर आदमी पर हर जोड़[1] की तरफ़ से सदक़ा करना ज़रूरी होता है, हर सुब्हानल्लाह सदक़ा है और हर अल-हम्दुलिल्लाहसदक़ा है और ला इला-ह इल्लल्लाह सदक़ा

---

१. बदन के जोड़ मुराद हैं, जो ३६० है।

है और हर अल्लाहु अक्बर सदक़ा है और हर भलाई का हुक्म करना सद्क़ा है और हर बुराई से रोकना सद्क़ा है और चाश्त की दो रक्अत पढ़ लेना उसकी तरफ़ से यानी हर जोड़ के सद्क़े की जगह काफ़ी है। —मुस्लिम

दूसरी हदीस—जिसने चाश्त की दो रक्अत की पाबन्दी कर ली, उस के गुनाह बख़्श दिए जाएंगे। अगरचे समुन्दर के झागों के बराबर हों। —अहमद व तिर्मिज़ी

तीसरी हदीस—जिसने चाश्त की बारह रक्अतें पढ़ लीं, उस के लिए जन्नत में अल्लाह एक सोने का महल बनाएगा। —तिर्मिज़ी, इब्ने माजा

मस्अला—चाश्त की नमाज़ की नीयत दो-दो रक्अत कर के भी बांधी जा सकती है और चार-चार करके भी, हर तरह अख़्तियार है।

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल चाश्त की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

अव्वाबीन की नमाज़

मग़रिब के बाद छः रक्अतें और बीस रक्अतें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत आयी है, इस को हमारे उर्फ़ में अव्वाबीन की नमाज़ कहते हैं।

मस्अला—मग़रिब के फ़र्ज़ों के बाद दो सुन्नतें और चार नफ़्ल या दो सुन्नतें और १८ नफ़्लें पढ़ लेना काफ़ी हैं। दो सुन्नतें भी छः या बीस की गिनती में आ जाएंगी, लेकिन अगर सुन्नतों के बाद छः या बीस नफ़्ल पढ़ ले तो बहुत ही अच्छी बात है।

मस्अला—इन रक्अतों की नीयत दो-दो करके भी की जा सकती है और चार-चार कर के भी (मगर दो सुन्नतों को अलग ही कर के पढ़ना ज़रूरी है।

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल अव्वाबीन की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

हदीस—जिसने मग़्रिब के बाद छः रक्अत (नफ़्ल नमाज़) पढ़ ली, उस के गुनाह बख़्श दिए जाएंगे, अगरचे वे समुन्दर की झागों के बराबर हों।

—तबरानी

बीस रक्अतों की फ़ज़ीलत—जिसने मग़्रिब के बाद बीस रक्अतें नफ़्ल पढ़ लीं, उस के लिए जन्नत में अल्लाह तआला एक घर बना देगा।

—तिर्मिज़ी

तहज्जुद की नमाज़

इस नमाज़ की हदीसों में बहुत फ़ज़ीलत आयी है, उस वक़्त दुआ क़ुबूल होने का भी ख़ास वक़्त होता है, उस मुबारक वक़्त में कुछ भी न हो सके तो दो रक्अत पढ़ कर ही दुआ मांग ले, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम रात भर नमाज़ पढ़ा करते थे, यहां तक कि आपके मुबारक क़दमों पर वरम आ जाता था, दो रक्अत से बारह रक्अतों तक जितना हो सके, तहज्जुद पढ़ना चाहिए, इस में दो-दो और चार-चार रक्अत की नीयत हो सकती है।

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

फ़ज़ीलत—फ़रमाया रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि हर दिन रात को जब तिहाई रात बाक़ी रह जाती है, अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कौन है जो मुझ से दुआ करे, मैं उस की दुआ क़ुबूल करूं। कौन है जो मुझ से सवाल करे, मैं उस का सवाल पूरा करूं, कौन है जो मुझ से मग़्फ़िरत चाहे, मैं उस की मग़्फ़िरत करूं,

Maktaba Ashraf

कौन है जो ऐसे को क़र्ज़ा दे, जिस के पास सब कुछ है, जो कंगाल और ज़ालिम नहीं, सुबह होने तक इसी तरह फ़रमाता रहता है।

—बुख़ारी व मुस्लिम

और फ़रमाया कि बिला शुब्हा जन्नत में कोठे हैं (जो ऐसे साफ़-शफ़्फ़ाफ़ हैं कि) उन का बाहर का हिस्सा अन्दर और अन्दर का हिस्सा बाहर से नज़र आता है, ये कोठे अल्लाह ने उन के लिए बनाए हैं, जो नर्मी से बात करते हों और (ज़रूरतमंद को) खाना खिलाते हों और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते हों और रात को नमाज़ पढ़ते हों, जब कि लोग सो रहे हों। —मिश्कात

और फ़रमाया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि तुम से पहले लोग उस को पढ़ते आए हैं। यह नमाज़ तुम्हारे लिए ख़ुदा की नज़दीकी का सबब है और बुराइयों का कफ़्फ़ारा बनने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है। —तिर्मिज़ी

और फ़रमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफ़ज़ल तहज्जुद की नमाज़ है (अहमद)।

और फ़रमाया कि सब वक़्तों से ज़्यादा तहज्जुद के वक़्त बन्दा अपने रब से क़रीब होता है, इस लिए तुम से हो सके, उस वक़्त अल्लाह को याद कर सको तो कर लिया करो। —तिर्मिज़ी

तौबा की नमाज़

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने भी कोई गुनाह किया हो और फिर वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और उस के बाद अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे तो अल्लाह उस की मग़फ़िरत कर देगा, फिर यह आयत तिलावत फ़रमायी—

'और जब उन से कोई ना-शाइस्ता काम हो जाए या कोई

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا

Maktaba Ashraf

गुनाह कर बैठे तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं और अल्लाह के सिवा कौन है, जो गुनाहों को बख़्शता है और ये लोग अपने बुरे काम पर अड़ते नहीं, इल्म के बाव-जूद ।'	اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ (آل عمران ١٣٥)

—तर्ग़ीब व तर्हीब

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्‌अत नमाज़ नफ़्ल नमाज़ तौबा की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर ।

हाजत की नमाज़

जब किसी को कोई हाजत और ज़रूरत पेश आ जाए तो अल्लाह से मांगने के लिए दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ी जाती है, इस को 'सलातुल हाजत' (हाजत की नमाज़) कहते हैं ।

सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस को अल्लाह से कुछ ज़रूरत या किसी इंसान से कुछ ज़रूरत हो तो उस को चाहिए कि वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे और इस के बाद दो रक्‌अतें पढ़ कर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम पर दरूद भेजे, फिर दुआ में इन कलिमात को कहे—

ला इला-ह इल्लल्ला हुल हलीमुल करीम॰ सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्‌अलु-क मूजिबाति रह्‌मति-क व अज़ाइ-म मग़्फ़ि-	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ

मूजिबाति रह्-म-ति-क व अज़ाइ-म मग़्फ़ि-र-ति-क वल ग़नी-म-त मिन कुल्लि बिर्रिंव वस्सलाम-त मिन कुल्लि इस्मिन ला तदअ़ ली ज़म्बन इल्ला ग़फ़र-त हू व ला हम्मन इल्ला फ़र्रज-त हू व ला हाजतन हि-य ल-क रिज़न इल्ला क़ज़े- त हा या अर्-हमर्राहिमीन०

مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ
وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ
كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ
وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ
لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो बुर्दबार बुज़ुर्ग है, हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, जो बड़े अर्श का परवरदिगार है और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहान की परवरिश करने वाला है। ऐ अल्लाह ! मैं तेरी रहमत की वजहों को और तेरी बख़्शिश को ज़रूरी करने वाली चीज़ों का सवाल करता हूं और तुझ से सवाल करता हूं कि हर नेकी से ग़नीमत और हर गुनाह से सलामती। न छोड़ मेरे गुनाह को, मगर तू इस को माफ़ कर दे और न किसी फ़िक्र को मगर तू उस को दूर कर दे और न किसी ज़रूरत को जो तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो, मगर तू इसको पूरा कर दे, ऐ सब से बड़े रहम करने वाले।'

इस के बाद दुनिया व आख़िरत की चीज़ों में से जो चाहे सवाल करे।

—मिश्कात

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल सलातुल हाजत की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

इस्तिख़ारे की नमाज़

जब कोई काम करना हो (जैसे तिजारत करना या किसी तिजारत में हिस्सा लेना या निकाह करना या और कोई काम हो) तो चाहिए कि अपने परवरदिगार से ख़ैर की दुआ करे और मश्विरा ले,

Maktaba Ashraf

क्योंकि अल्लाह तआला सब कुछ जानता है, हर भलाई व बुराई का इस को पता है, उस से मश्विरा लिया जाएगा, तो वह अपने बन्दे को नफ़ा के रास्ते पर ही चलाएग। इस मक्सद के लिए दो रक्अतें पढ़ी जाती हैं, जिन को सलातुल इस्तिखारा (इस्तिखारे की नमाज़) कहते हैं।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम हम को मुहिमों में इस तरह इस्तिखारा सिखाते थे, जिस तरह क़ुरआन की सूर: सिखाते थे और यों फ़रमाते कि जब तुममें से कोई शख्स किसी काम के करने का इरादा करे, तो चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा दो रक्अत पढ़े, फिर यह दुआ पढ़े—

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکَ وَاَسْتَقْدِرُکَ بِقُدْرَتِکَ وَاَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ط اَللّٰھُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ھٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَۃِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْہُ لِیْ وَیَسِّرْہُ لِیْ ثُمَّ بَارِکْ لِیْ فِیْہِ ط وَاِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ھٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَۃِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْہُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْہُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِہٖ (مشکوٰۃ)

अल्लाहुम-म इन्नी अस्तखीरु-क बिअिल्मि-क व अस्तक़्दिरु-क बिक़ुद-रति-क व अस्अलु-क मिन फ़ज़्लि-कल अज़ीम फ़ इन्न-क तक़्दिरु व ला अक़्दिरु व तअ्लमु व ला अअ्लमु व अन-त अल्लामुल ग़ुयूबि अल्लाहुम-म इन् कुन-त तअ्लमु अन-न हाज़ल अम-र ख़ैरुल्ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़अक़्दिरहु व यस्सिरहु ली सुम-म बारिक ली फ़ीहि व इन कुन-त तअ्लमु अन-न हाज़ल अम्-र शर्रुल्ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़अ-स्‌रिफ़हु अन्नी वस्‌रिफ़्नी अन्हु व अक़्दिर लि-यल ख़ैर-हैसु का-न सुम-म अर्ज़िनी बिही०

'ऐ अल्लाह ! मैं तेरे इल्म के ज़रिए अपने हक़ में बेहतरी चाहता

Maktabe Ashraf

हूं और क़ुदरत मांगता हूं तेरी क़ुदरत से और तेरे बड़े फ़ज़्ल का सवाल करता हूं, क्योंकि तू क़ुदरत रखता है और मैं क़ुदरत नहीं रखता और तुझे इल्म है और मुझे इल्म नहीं और तू ग़ैब की बातों का ख़ब जानने वाला है। ऐ अल्लाह ! अगर तू जानता है कि यह काम मेरे लिए दीन में और मेरी दुनिया और अंजाम के हक़ में बेहतर है, तो उसे मेरे बस में कर दे और मेरे लिए आसान कर दे, फिर इस में मेरे लिए बरकत अता फ़रमा और अगर तू जानता है कि यह काम मेरे दीन और मेरी दुनिया और अंजाम के हक़ में नुक़सानदेह है, तो इस काम को मेरे सर से टाल दे और मुझे इस से बचा ले और मुझे भलाई अता कर, जहां भी हो, फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इंसान की एक नेकबख़्ती यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से भलाई तलब करे और उस की एक बद-बख़्ती यह है कि अल्लाह से भलाई न मांगे। —हदीस

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल सलातुल इस्तिख़ारा की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़ अल्लाहु अक्बर।

तंबीह—दुआ पढ़ते हुए जब 'हाज़ल अम-र' पर पहुंचे, यहां दो जगह लिखी है तो अपनी ज़रूरत का दिल में ध्यान करे।

चांद गरहन और सूरज गरहन की नमाज़

शरीअत में चांद और सूरज के गरहन होने के वक़्त की भी नमाज़ आयी है। फ़िक़्ह की किताबों में सूरज गरहन को 'कुसूफ़े शम्स' और चांद गरहन को 'ख़ुसूफ़े क़मर' कहा जाता है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चांद व सूरज के गरहन के बारे में फ़रमाया कि ये निशानियां हैं, जिन को अल्लाह भेजता है, यह किसी के मरने या पैदा होने की वजह से नहीं होती हैं,

बल्कि इन के ज़रिए अल्लाह अपने बन्दों को डराता है, जब तुम इन में से किसी को देखो तो घबराए हुए अल्लाह के ज़िक्र में और उस से दुआ करने और मग़फ़िरत तलब करने में लग जाओ और दूसरी रिवायत है कि जब तुम उस को देखो तो अल्लाह से दुआ करो और उस की बड़ाई बयान करो और नमाज़ पढ़ो और सद्क़ा करो।—मिश्कात

फ़ायदा—यह सद्क़ा गुनाहों की माफ़ी के लिए है, चांद और सूरज का क़र्ज़ उतारने के लिए नहीं, जैसा कि ग़ैर-क़ौमों में मशहूर है कि चांद और सूरज पर भंगियों का क़र्ज़ चाहता है, इस लिए इस को अदा कर के उन की जान छुड़ा लो, यह बिल्कुल ग़लत है।

सूरज गरहन की नमाज़.

जब सूरज गरहन हो तो चाहिए कि इमाम के पीछे दो रक्अत पढ़ें, जिनमें बहुत लम्बी क़िरात हो और रुकूअ-सज्दे भी ख़ूब देर तक हों, दो रक्अतें पढ़ कर क़िब्ला रुख़ बैठे रहें और सूरज साफ़ होने तक अल्लाह तआला से दुआ करते रहें। —अबू दाऊद

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल कुसूफ़े शम्स की वास्ते अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर०

चांद गरहन की नमाज़

चांद गरहन के वक़्त भी चांद साफ़ होने तक नमाज़ पढ़ते रहें। अलग-अलग अपने घरों में पढ़ें, इस में जमाअत नहीं।

नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल ख़ुसूफ़े क़मर की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

मस्अला—कुछ लोग और ख़ास कर औरतें समझती हैं कि सूरज गरहन, चांद गरहन होते वक़्त खाना-पीना गुनाह है, सो यह ग़लत है।

सफ़र की नफ़्लें

सफ़र में जाए तो दो रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़ कर घर से निकले और जब सफ़र से वापस आए तो बेहतर यह है कि अपने शहर और बस्ती में चाश्त के वक़्त पहुंचे और दो रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़ कर कुछ देर मस्जिद में बैठ जाए और लोगों से मिले-जुले।

हदीस—कोई शख़्स अपने घर में इन दो रकअतों से बेहतर कोई चीज़ नहीं छोड़ता जो सफ़र के वक़्त पढ़ी जाती हैं।

—तर्ग़ीब व तर्हीब

नीयत—नीयत करता हूं मैं दो रकअत नफ़्ल की, वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़। अल्लाहु अक्बर०

सलातुत्तस्बीह

इस नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत हदीसों में आयी है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फ़रमाया कि ऐ अब्बास! ऐ चचा जान! क्या मैं तुम को एक भेंट दूं? क्या तुम को कुछ बख़्शिश करूं? क्या तुम को बहुत मुफ़ीद चीज़ बता दूं? क्या तुम को ऐसी चीज़ दूं, जब तुम उस को करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे सब गुनाह पहले और पिछले, पुराने और नये, ग़लती से किए हुए और जान कर किए हुए, छोटे और बड़े, छिप कर किए हुए और ज़ाहिर किए हुए, सब माफ़ फ़रमा देगा। वह काम यह है कि चार रकअत (नमाज़ सलातुत्तस्बीह इस तरह से) पढ़ो कि जब अल्हम्दु शरीफ़ और सूर: पढ़ चुको तो खड़े ही खड़े रुकूअ से पहले (तीसरा कलिमा)

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

सुब्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाह व लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर० पंद्रह बार कहो, फिर रुकूअ करो तो रुकूअ में इन कलिमात को दस बार कहो, फिर रुकूअ से खड़े हो कर (क़ौमा में) दस बार कहो, फिर सज्दे में जाकर दस बार पढ़ो, फिर सज्दे से उठ कर (दोनों सज्दों के दर्मियान बैठ कर) दस बार पढ़ो, फिर दूसरा सज्दा करो। और (सज्दे में) दस बार पढ़ो, फिर सज्दे से उठ कर बैठ जाओ और दस बार पढ़ो, (इसी तरह चार रक्अतें पढ़ लो) यह हर रक्अत में ७५ बार हुए और चार रक्अतों में मिला कर ३०० हुए।

यह तर्कीब बता कर रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर हो सके तो हर दिन एक बार उस को पढ़ा लिया करो, यह न करो तो जुमा में (यानी हफ़्ते भर में) एक बार पढ़ लिया करो, यह भी न करो तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो, यह भी न करो तो हर साल एक बार पढ़ लिया करो, यह भी न करो, तो उम्र भर में एक बार (तो) पढ़ ही लो।

—अबूदाऊद, इब्नेमाजा, बैहक़ी, तिर्मिज़ी

यह हदीस कमज़ोर है। कुछ आलिमों ने इसको गढ़ी हुई कहा है। जो न पढ़े, उसे बुरा न कहें, जो पढ़ ले, पढ़ ले।

फ़ायदा—यह नमाज़ हर वक़्त हो सकती है, सिवाए उन वक़्तों के, जिन में नफ़्ल पढ़ना मक्रूह है।

फ़ायदा—बेहतर यह है कि इस नमाज़ को ज़वाल के बाद ज़ुहर से पहले पढ़ लिया करे, (जैसा कि एक हदीस में 'ज़वाल के बाद' के लफ़्ज़ आए हैं) लेकिन ज़वाल के बाद मौक़ा न मिले तो जिस वक़्त चाहे, पढ़ ले।

फ़ायदा—कुछ रिवायतों में इन चार कलिमों यानी

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

'सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु

वल्लाहु अक्बर' के साथ—

وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ؕ

'व ला हौ-ल व ला क़ू-व-त इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम' भी आया है, इस लिए इस को भी मिला लिया जाए तो अच्छा है।

फ़ायदा—दूसरी और चौथी रक्अत में अत्तहीयात से पहले इन कलिमात को दस बार पढ़े, रुकूअ और सज्दा में पहले रुकूअ व सज्दा की तस्बीहात यानी 'सुब्हा-न रब्बियल अज़ीम' और 'सुब्हा-न रब्बियल आला' पढ़े और बाद में इन कलिमात को पढ़े।

फ़ायदा—दूसरा तरीक़ा इस नमाज़ के पढ़ने का यह है कि पहली रक्अत में 'सुब्हा-न-कल्ला हुम-म' के बाद 'अल-हम्दु' शरीफ़ से पहले इन कलिमात को पन्द्रह बार पढ़े और फिर अल-हम्दु और सूरः के बाद दस बार पढ़े और बाक़ी सब तरीक़ा उसी तरह है जो पहले गुज़रा। अब इस शक्ल में दूसरे सज्दे के बाद बैठ कर पहली और तीसरी रक्अत में इन कलिमात को पढ़ने की ज़रूरत न रहेगी और दूसरी और चौथी रक्अत में अत्तहीयात से पहले इनको पढ़ा जाएगा, क्योंकि हर रक्अत में दूसरे सज्दे तक पहुच कर ही ७५ की तायदाद पूरी हो जाएगी। उलेमा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि दोनों तरीक़ों पर अमल किया जाए।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक, जो इमाम अबू हनीफ़ा रह० के शागिर्द रह० और इमाम बुखारी रह० के उस्तादों के उस्ताद हैं, इस नमाज़ को उसी तरीक़े से पढ़ा करते थे, जो अभी बाद में हमने ज़िक्र किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० यह नमाज़ हर जुमा को पढ़ा करते थे और अब्दुल जौज़ा ताबई रह० हर दिन ज़ुहर की अज़ान होते ही मस्जिद में जाते थे और जमाअत खड़ी होने तक पढ़ लिया करते थे।

हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रव्वाद रह० फ़रमाते थे कि जिसे जन्नत की ज़रूरत हो, उसे चाहिए 'सलातुत्तस्बीह' मज़बूत पकड़े।

अबू उस्मान ख़ैरी रह० फ़रमाया करते थे कि मुसीबतों और ग़मों को दूर करने के लिए सलातुत्तस्बीह जैसी बेहतर चीज़ मैंने नहीं देखी।

नीयत—नीयत करता हूं चार रक्अत नमाज़ नफ़्ल सलातुत्तस्बीह की वास्ते अल्लाह तआला के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

मस्अला—इस नमाज़ के लिए कोई सूरः मुक़र्रर नहीं है। जो सूरः चाहे पढ़ लेवे। कुछ रिवायतों में है कि जो सूरतें पढ़े, बीस आयतों के क़रीब-क़रीब हों।

मस्अला—इन तस्बीहात को ज़ुबान से हरगिज़ न गिने, क्योंकि ज़ुबान से गिनने से नमाज़ टूट जाएगी। उंगलियां जिस जगह रखी हों, उन को वहीं रखे-रखे उसी जगह दबाता रहे।

मस्अला—अगर किसी जगह पढ़ना भूल जाए, तो दूसरे रुक्न में उस को पूरा कर ले, अल-बत्ता भूली हुई तस्बीहात की क़ज़ा रुकूअ से खड़े होकर और दोनों सज्दों के दर्मियान न करे, इसी तरह पहली और तीसरी रक्अत के बाद जब बैठे तो उसमें भी भूली हुई तस्बीहात की क़ज़ा न करे, बल्कि उन की तस्बीहात (दस-दस बार) पढ़ ले और उन के बाद जो रुक्न हो, उस में भूली हुई तस्बीहात अदा करे।

मस्अला—अगर किसी वजह से सज्दा सह्व पेश आ जाए तो उस में ये तस्बीहात न पढ़ें, अल-बत्ता किसी जगह भूले से तस्बीहात पढ़ना छोड़ आया हो, जिस से ७५ की तायदाद में कमी हो रही हो और अब तक क़ज़ा न की हो, तो उसको सज्दा सह्व में पूरी कर ले।

इस्तिस्क़ा की नमाज़

जब बारिश की ज़रूरत हो और पानी न बरसता हो, उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानुहू से बारिश की दुआ करना मस्नून है। इस का तरीक़ा यह है कि सारे मुसलमान मिल कर आजिज़ी के साथ मामूली कपड़े में शहर और बस्ती से बाहर पैदल जाएं और बच्चों और बूढ़ों

को भी ले जाएं और किसी काफ़िर को साथ न लें और फिर दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल जमाअत के साथ (बग़ैर अज़ान व तक्बीर के) पढ़ें। इस नमाज़ में इमाम ज़ोर से क़िरात करे, फिर दो ख़ुत्बे पढ़े जैसे ईद के दिन पढ़े जाते हैं, फिर इमाम क़िब्ला रुख़ होकर दोनों हाथ उठावे और अल्लाह तआला से पानी बरसने की दुआ करे और सब मुक़्तदी भी दुआ करें, तीन दिन ऐसा ही करें, तीन दिन से ज़्यादा नहीं। अगर एक दिन इस्तिस्क़ा की नमाज़ पढ़ कर बारिश हो जाए, तब भी तीन दिन पूरे करें और तीनों दिन रोज़े भी रखें तो बेहतर है।

फ़ायदा—बारिश का रुक जाना एक अज़ाब है जो गुनाहों की वजह से होता है। जब बारिश बन्द हो तो सब तौबा व इस्तग़फ़ार में लगें और ज़कात अदा करें और जिन लोगों के हुक़ूक़ रोक रखे हों, जल्द से जल्द उन के हुक़ूक़ दे दें।

हदीस—रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम बारिश की दुआ के लिए लोगों के साथ मदीना शरीफ़ से बाहर ईद पढ़ने की जगह तशरीफ़ ले गये, वहां दो रक्अतें ज़ोर की क़िरात के साथ पढ़ीं और क़िब्ले की तरफ़ मुंह कर के हाथ उठा कर दुआ की और अपनी मुबारक चादर (जिसे ओढ़े हुए थे) पलट दी[1] यानी चादर के ज़ाहिरी हिस्से को भीतरी और भीतरी को ज़ाहिरी और नीचे के हिस्से को ऊपर और ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया।

—मिश्कात

नीयत—नीयत करता हूं दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल 'सलातुल इस्तिस्क़ा' (इस्तिस्क़ा की नमाज़) की, वास्ते अल्लाह तआला के पीछे इस इमाम के, रुख़ मेरा क़िब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर०

फ़ायदा—जिस क़दर नफ़्ल नमाज़ें हमने यहां बयान की हैं उनके

---

१. इस चादर पलटने से मुराद है कि ऐ अल्लाह! जिस तरह चादर पलट गयी, उसी तरह हमारी हालत को पलट दे और ख़ुश्की को बरसात से बदल दे।

अलावा जितनी ज़्यादा नफ़्लें पढ़े, वह बहुत ज़्यादा सवाब की वजह और दर्जों की तरक़्क़ी का सामान होंगी, ख़ास कर उन नफ़्लों का ख़ूब एहतिमाम करे, जिन की फ़ज़ीलत हदीसों में आयी है, जैसे दोनों ईद की रातें, अशरा ज़िलहिज्जा की रातें और शबे क़द्र और शबबरात, रमज़ान की रातें, सब में नफ़्लें पढ़े और इबादत करे।

हदीस—जब शबे बरात के महीने की पन्द्रहवीं तारीख़ हो तो इस रात को क़ियाम करो और सुबह को रोज़े रखो, क्योंकि अल्लाह तआला इस रात में सूरज छिपते ही क़रीब वाले आसमान पर ख़ास तजल्ली फ़रमाते हैं और फ़रमाते हैं कि क्या कोई मग़्फ़िरत तलब करने वाला है, जिस को बख़्श दूं और क्या कोई रोज़ी मांगने वाला है, जिसको मैं रोज़ी दूं, क्या कोई मुसीबत में फंसा है, जिसे मैं आफ़ियत दूं। इसी तरह और बातें भी फ़रमाते हैं। जब तक फ़ज्र का वक़्त हो नहीं जाता, यों ही फ़रमाते रहते हैं।

—इब्ने माजा

हदीस—आशूरा ज़िलहिज्जा के दिनों की इबादत के बराबर अल्लाह के नज़दीक दूसरे दिनों में से किसी दिन की इबादत नहीं है, इन दिनों में हर दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर है, और इन में हर रात का क़ियाम (खड़े होना) शबे क़द्र में कियाम करने के बराबर है।

—मिश्कात

हर मुश्किल के लिए नमाज़

जब कोई मुसीबत आए, रंज व ग़म हो, ख़ौफ़ व हिरास हो, दुश्मन का डर हो, सख़्त आंधी हो, ज़लज़ला हो, बिजली गिरे, ताऊन या हैज़ा फैले तो अल्लाह की तरफ़ रुजूअ करें और नफ़्ल नमाज़ें अपने-अपने घरों में पढ़ें और नमाज़ के ज़रिए अल्लाह तआला से मदद मांगें। क़ुरआन शरीफ़ में इर्शाद है

'ऐ ईमान वालो! मदद मांगो सब्र और नमाज़ के साथ।'   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कोई मुश्किल आती थी, तो झट नमाज़ में लग जाते थे। —अबूदाऊद

ज़रूरी तंबीह—पिछले पन्नों में जो नमाज़ें और उन के फ़ज़ाइल और तरीक़े हमने लिखे हैं, यह हदीसों से साबित है, बे-खटक इन पर अमल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से वाइज़ों और सूफ़ियों ने महीनों और दिनों और रातों की नमाज़ के तरीक़े और सवाब ख़ुद बना कर किताबों में छाप दिए हैं। किताब 'रुक्ने दीन' में ऐसी बहुत-सी नमाज़ें लिखी हैं, उन पर अमल न करो। शबे बरात की नमाज़ का कोई ख़ास तरीक़ा साहिबे शरीअत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित नहीं और आशूरा के दिन और रजब की पहली रात या उसकी सत्ताईसवीं रात को नफ़्ल और उन के फ़ज़ाइल गढ़े हुए हैं, नेकी के नाम से बिद्अत में न फंस जाओ।[१]

ज़कात का बयान

ज़कात इस्लाम का तीसरा रुक्न है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई और उसने ज़कात अदा न की, तो उसको बड़ा अज़ाब होगा। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिस को अल्लाह तआला ने माल दिया, फिर उसने ज़कात अदा न की, तो क़ियामत के दिन उस का माल ज़हरीला गंजा सांप बना दिया जाएगा, जिस की आंखों पर दो स्याह नुक़ते-से होंगे, वह सांप उस के गले में तौक़ की तरह लिपट जाएगा। फिर उसके दोनों जबड़े पकड़ कर नोचेगा फिर यों कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं।

---

१. किताब फ़लाहे दीन दुनिया में भी ख़ुद से गढ़ी हुई नफ़्ल नमाज़ें और उन के फ़ज़ाइल लिखे हैं और बहुत सी बिद्अतें भी हैं।

साथ ही हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि जिस के पास सोना-चांदी हो (और) उस में से उस का हक़ अदा न करे, तो जब क़ियामत का दिन होगा, तो उसके (अज़ाब देने के लिए) आग की तख़्तियां बनायी जाएंगी, फिर उस को दोज़ख़ की आग में गरम कर के उस की करवटों और माथों और पीठ (यानी) कमर को दाग़ दिया जाएगा और फिर जब ठंडी हो जावेंगी, तो फिर गर्म कर ली जावेंगी। उस दिन में (जिसे क़ियामत का दिन कहते हैं) और जो पचास हज़ार वर्ष का होगा यहां तक कि बन्दों के दर्मियान फ़ैसला हो (उसको यही अज़ाब दिया जाता रहेगा), पस वह (हिसाब के नतीजे में) अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ या दोज़ख़ की तरफ़ देख लेगा। —मिश्कात

अल्लाह तआला ने क़ुरआन शरीफ़ में जगह-जगह ज़कात अदा करने का हुक्म फ़रमाया है। आलिमों ने बताया है कि क़ुरआन शरीफ़ में ३२ जगह नमाज़ के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म है और जहां-जहां सिर्फ़ ज़कात का हुक्म है, वह इस के अलावा है। पारा अलिफ़-लाम-मीम में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है—

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

'और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो और जो कुछ अपनी जानों के लिए कोई भलाई पहले से भेज दोगे, अल्लाह के पास पा लोगे।'

और हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बिला शुब्हा अल्लाह ने ज़कात इसी लिए फ़र्ज़ की है कि बाक़ी माल को पाकीज़ा बनाये और यह भी फ़रमाया कि बिला शुब्हा तुम्हारे इस्लाम की तक्मील इसमें है कि मालों की ज़कात अदा करो। —तर्ग़ीब व तर्हीब

Maktaba Ashraf

ज़कात रोकने से सूखा पड़ता है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो लोग ज़कात रोक लेते हैं, अल्लाह उन पर सूखे की मुसीबत डाल देते हैं।

दूसरी हदीस में है कि जो लोग ज़कात रोक लेते हैं, उन की सज़ा में बारिश रोक ली जाती है। अगर चौपाए (भैंस, बैल वग़ैरह) न होते तो (बिल्कुल ही) बारिश न होती।

ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?

ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए बहुत बड़ा मालदार होना ज़रूरी नहीं है, जो मर्द या औरत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना या उन में से किसी एक की क़ीमत के रुपए या सौदागरी के माल का मालिक हो, वह शरीअत में मालदार है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ है।

मस्अला—ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए यह शर्त है कि उस माल पर साल गुज़र जाए, जिस के पास साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना या उन में से किसी एक की क़ीमत का रुपया या सौदागरी का माल एक साल रहे, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर साल पूरा होने से पहले माल जाता रहे, तो ज़कात फ़र्ज़ न होगी।

मस्अला—सोने-चांदी के ज़ेवर और बर्तन और सच्चा गोटा और ठप्पा कपड़ों में लगा हुआ हो, चाहे अलाहिदा रखा हो, चाहे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हों, चाहे यों ही रखी हों, ग़रज़ कि सोने-चांदी की हर चीज़ में ज़कात फ़र्ज़ है।

मस्अला—किसी के पास न तो साढ़े बावन तोला चांदी है, न साढ़े सात तोला सोना है, बल्कि थोड़ा सोना और थोड़ी चांदी है, तो अगर दोनों की क़ीमत मिला कर साढ़े बावन तोला चांदी या

साढ़े सात तोला सोना के बराबर हो जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी।

मस्अला—किसी के पास सौ रुपए थे, फिर साल पूरा होने से पहले-पहले पचास रुपए और मिल गये तो इन पचास रुपयों का हिसाब अलग न करेंगे, बल्कि जब पहले से रखे हुए सौ रुपए का साल पूरा होगा तो उस वक़्त इन पचास को मिला कर पूरे डेढ़ सौ रुपए की ज़कात देनी होगी।

मस्अला—किसी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है और कुछ सौदागरी का माल है, तो सब को मिला कर देखो, अगर इस की क़ीमत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोने के बराबर हो जाए, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर उस क़ीमत से कम हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

मस्अला—किसी के पास दो सौ रुपए हैं और एक सौ रुपए उस पर क़र्ज़ हैं तो एक सौ रुपए पर ज़कात देना फ़र्ज़ है।

मस्अला—जिस माल पर ज़कात फ़र्ज़ हो, साल पूरा होने पर उस पूरे माल का चालीसवां हिस्सा या चालीसवें हिस्से की क़ीमत अदा करे।

मस्अला—ज़कात की रक़म से मस्जिद बनाना, लावारिस मुर्दे के कफ़न-दफ़न में लगाना दुरुस्त नहीं। ज़कात अदा होने की शर्त यह है कि जिस को ज़कात देना दुरुस्त हो, उस को ज़कात की रक़म का मालिक बना दिया जाए।

मस्अला—सय्यदों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, अगरचे ग़रीब हों और उन को लेना भी हलाल नहीं।

मस्अला—मां-बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, पोता-पोती, और उन सब को ज़कात की रक़म देने से ज़कात अदा न होगी, जिन से साहिबे ज़कात पैदा है या जो उस में पैदा हुआ।

मस्अला—जिस के पास इतना माल हो या ज़रूरत से ज़्यादा इतना सामान हो, जो साढ़े बावन तोला चांदी की क़ीमत का हो

सकता है, तो उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है और जिसकी हैसियत इस से कम हो उसको ज़कात दे सकते हैं। बहुत-सी औरतें बेवा होती हैं, मगर उन के पास इतना जेवर होता है कि जिस पर शरीअत में ज़कात फ़र्ज़ होती है, उन को ज़कात देने से ज़कात अदा न होगी।

मस्अला—ज़कात की नीयत किए बग़ैर रुपया दे दिया तो ज़कात अदा न हुई, वह नफ़्ली सद्क़ा हुआ, ऐसा हो जाए, तो ज़कात फिर से अदा करे। ज़कात अदा करने के लिए यह ज़रूरी है कि ज़कात के हक़दार को ज़कात का माल अदा करते वक़्त ज़कात अदा करने की नीयत हो या ख़ास रक़म ज़कात की नीयत से अलग रख दी हो, जिस में से कभी-कभी फ़क़ीरों और मिस्कीनों को देता रहे।

ज़रूरी तंबीह—ज़कात का हिसाब चांद से है यानी माल होने पर जब चांद के हिसाब से बारह महीने गुज़र जावें, तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। बहुत से लोग अंग्रेज़ी महीनों से ज़कात का हिसाब रखते हैं, इस में दस दिन की देर तो हर साल हो ही जाती है और इस के अलावा ३६ साल में एक साल की ज़कात कम हो जाएगी जो अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ रहेगी।

बैतुल्लाह का हज

हज इस्लाम का चौथा रुक्न है और इस्लाम में हज की इतनी बड़ी अहमियत है कि हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस को वाक़ई मजबूरी ने या ज़ालिम बादशाह ने या सफ़र से रोकने वाले मर्ज़ ने हज से नहीं रोका और उसने हज नहीं किया तो उस को चाहिए कि अगर चाहे तो यहूदी होने की हालत में मर जाए और चाहे तो नसरानी होने की हालत में मर जाए।

—मिश्कात

बहुत से मर्दों और औरतों पर हज फ़र्ज़ होता है, लेकिन पैसे की मुहब्बत में और दुनिया के फंदों में फंस कर हज नहीं करते और

बग़ैर हज किए मर जाते हैं, देखो ऐसे लोगों के लिए कैसी सख्त धमकियां फ़रमायीं और बहुत से लोग हज को जाना चाहते हैं, मगर इस साल और अगली साल के फेर में बरसों लगा देते हैं, ये लोग भी बुरा करते हैं।

हज़रत रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसे हज करना हो, जल्दी करे। (अबूदाऊद)

मौत की क्या ख़बर है कि कब आ खड़ी हो, हज फ़र्ज़ होते ही उसी साल हज को रवाना हो जाओ।

हज की फ़ज़ीलत

हज़रत रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने अल्लाह के लिए ऐसा हज किया जिस में गन्दी बातें न कीं और गुनाह न किए, वह ऐसा वापस होगा जैसे उसकी मां ने आज ही उसको जना है यानी बच्चे की तरह बे-गुनाह हो जाएगा। और आपने यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि नेकी से भरे हुए हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। —मिश्कात

नेकी से भरा हुआ हज वह है, जो दिखावे, शोहरत और शेखी के लिए न किया जावे, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तआला की रिज़ा के लिए हो और उस में गुनाहों से परहेज हो और लड़ाई-झगड़ा न किया हो।

हज की तरह से उमरा भी एक इबादत है, वह भी मक्का शरीफ़ में होता है और इस में हज की तरह कुछ काम करने पड़ते हैं। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि हज और उमरा को जाने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं, (उनका इतना बड़ा मर्तबा है कि) अगर अल्लाह तआला से दुआ करें तो वह क़ुबूल करे और उस से मग़फ़िरत तलब करें तो बख्श दे और यह भी इर्शाद फ़रमाया कि हज और उमरा तंगदस्ती और गुनाहों को इस तरह दूर कर देती है, जैसे आग की भट्टी लोहे की और सोने की और चांदी की ख़राबी को दूर कर देती है। — मिश्कात

हज किस पर फ़र्ज़ है ?

जिस के पास ज़रूरत से ज़्यादा इतना खर्च हो कि सवारी पर औसत दर्जे के गुज़ारे के साथ खाते-पीते मक्का शरीफ़ तक जा कर और हज कर के आ जाए और बाल-बच्चों का खर्च पीछे छोड़ जाने के लिए हो, उस के ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो जाता है।

मस्अला—अगर किसी के पास सिर्फ़ इतना खर्च है कि मक्का शरीफ़ तक सवारी पर आना-जाना हो सकता है, मगर मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने का खर्च नहीं है, तो इस पर भी फ़र्ज़ हो जाता है।

मस्अला—हज उम्र भर में बस एक बार फ़र्ज़ है, अगर कई हज किए तो एक फ़र्ज़, बाक़ी सब नफ़्ल होंगे। नफ़्ल हज का भी बड़ा सवाब है।

मस्अला—लड़कपन में मां-बाप के साथ अगर किसी ने हज कर लिया हो तो वह नफ़्ल हज, है अगर मालदार है तो जवान होने के बाद फिर हज करना फ़र्ज़ है।

मस्अला—हज करने के लिए औरत के साथ उस के शौहर या किसी महरम का होना ज़रूरी है। महरम उस को कहते हैं, जिससे कभी भी निकाह दुरुस्त न हो, जैसे बाप, सगा भाई, सगा मामू वग़ैरह। महरम का बालिग़ होना ज़रूरी है, ना-बालिग़ या ऐसे बद-दीन महरम के साथ जाना दुरुस्त नहीं, जिस पर इत्मीनान न हो।

मस्अला—जब औरत के पास माल हो और उस को महरम भी मिल जावे, तो हज को चली जावे। फ़र्ज़ हज से शौहर का रोकना दुरुस्त नहीं, अगर शौहर रोके तब भी चली जाए।

—औरत जो उस का महरम हज कराने के लिए जावे उस का खर्च भी औरत के ज़िम्मे है। हां, अगर वह महरम खुद न ले तो और बात है। जैसे, ऐसी शक्ल हो कि उस पर हज भी फ़र्ज़ हो

और अपने हज के लिए जा रहा हो ।

—अगर सारी उम्र ऐसा महरम न मिला जिस के साथ औरत हज का सफ़र कर ली तो हज न करने का गुनाह न होगा, लेकिन मरते वक़्त वारिसों को वसीयत करना वाजिब है कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा देना । मरने के बाद वारिस किसी आदमी को खर्च दे कर भेज दें जो उसकी तरफ़ से हज कर आवे, ऐसा करने से इस बेचारी की तरफ़ से हज अदा हो जावेगा ।

मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत

हज के बाद या पहले अगर क़ुदरत हो तो मदीना शरीफ़ जा कर हज़रत रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम की ज़ियारत के लिए रौज़ा-ए-अक़्दस पर ज़रूर जाओ । इर्शाद फ़रमाया रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने कि जिस ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उस के लिए मेरी शफ़ाअत ज़रूरी हो गयी और यह भी फ़रमाया कि जिस ने बैतुल्लाह का हज किया और मेरी ज़ियारत न की, उस ने मुझ पर ज़ुल्म किया । —अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब

हज करने जाओ तो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ़ भी ज़रूर पहुंचे ।

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े हर बालिग़ मर्द, बालिग़ औरत पर फ़र्ज़ हैं । इस्लाम के पांचों अर्कान, जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उनमें रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखना भी है । बहुत से मर्द व औरत, बीड़ी, सिगरेट या पान खाने की आदत होने की वजह से या या भूख व प्यास के डर से रोज़े नहीं रखते हैं, ऐसे लोग दुनिया की भूख-प्यास से तो बचते हैं, मगर क़ब्र व हश्र की सख़्तियों और दोज़ख की भूख और

दूसरे अज़ाबों से बचने की फ़िक्र नहीं करते। ख़ुदा की ना-फ़रमानी करने की वजह से मरने के बाद अज़ाब होंगे, उन के सामने कुछ घंटों की भूख व प्यास और पान, बीड़ी, सिगरेट से बच कर ज़रा सी तक्लीफ़ जो होती है, उस की कुछ हक़ीक़त नहीं।

इर्शाद फ़रमाया हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने कि रोज़े और क़ुरआन बन्दे के लिए (अल्लाह से) सिफ़ारिश करेंगे (कि परवरदिगार! तू इस को बख़्श दे और इस पर रहम फ़रमा। रोज़ा कहेगा कि ऐ रब! मैं ने इस को दिन में खाने से और नफ़्स को ख़्वाहिशों से रोक दिया था, इस लिए मेरी सिफ़ारिश इस के हक़ में क़ुबूल फ़रमा और क़ुरआन कहेगा कि ऐ रब ; इस ने रात को नमाज़ में मुझे खड़े हो कर पढ़ा) और मैं ने उस को रात के सोने से रोक दिया, इस लिए इस के हक़ में आप मेरी सिफ़ारिश क़ुबूल फ़रमाइए। मतलब यह कि दोनों की सिफ़ारिश क़ुबूल कर ली जाएगी। —मिश्कात

रोज़ेदार का अल्लाह के नज़दीक बड़ा दर्जा है। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी उम्दा है और यह भी इर्शाद फ़रमाया कि रोज़ेदार के लिए दो ख़ुशियां हैं। एक ख़ुशी उस वक़्त हासिल होती है, जबकि इफ़्तार करता है, दूसरी ख़ुशी उस वक़्त होगी, जबकि वह अपने परवरदिगार से मुलाक़ात करेगा। — मिश्कात

रमज़ान का रोज़ा हरगिज़ न छोड़ो, सख़्त बीमारी या लम्बे सफ़र की वजह से रोज़ा अगर छूट जाए तो जल्दी उसकी क़ज़ा रख लो, हर चीज़ का मौसम होता है। मौक़े-मौक़े से हर चीज़ की क़ीमत बढ़ती रहती है। रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों की इतनी बड़ी अहमियत और क़ीमत है कि इस के बारे में हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने बग़ैर किसी शरई इजाज़त या बग़ैर किसी ऐसी मर्ज़ के (जिस में बाद में रोज़ा रखने की

नीयत से उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है) रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया तो अगर सारी उम्र उस के बदले रोज़े रखे, तब भी उस रोज़े का बदला नहीं हो सकता। —मिश्कात

अगरचे क़ज़ा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मगर दर्जे के एतबार से वह बात कहां जो रमज़ान का रोज़ा रखकर हासिल होती है।

रमज़ान शरीफ़ में एक फ़र्ज़ का सवाब सत्तर फ़र्ज़ों के सवाब के बराबर मिलता है। इस मुबारक महीने में शैतान बांध दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। —मिश्कात

इस महीने में खास तौर से फ़र्ज़ नमाज़ की पाबंदी करते हुए नफ़्ल नमाज़ और क़ुरआन की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करो और रात को तरावीह पढ़ो। ला इला-ह इल्लल्लाह ज़्यादा पढ़ना, इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ना, जन्नत का सवाल और दोज़ख के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगना, इन बातों का ख्याल रखो और अमल करो। इस मुबारक महीने में सखावत बहुत करो, मुहताजों को खूब दो, भूखों को खाना खिलाओ, नौकरों का काम हल्का करो और रोज़ेदारों का रोज़ा इफ़्तार कराया करो।

इस महीने में शबे क़द्र भी होती है, जिस में इबादत करना हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान के आखिरी दस दिनों में २१, २३, २५, २७ और २९ इन तारीखों से पहले जो रातें आती हैं, उन में रात भर खूब इबादत करो, इन में से कोई न कोई शबे क़द्र होती है।

एतिकाफ़

रमज़ान को बीसवीं तारीख को सूरज छिपने से पहले एतिकाफ़ में बैठ जावे और ईद का चांद नज़र आ जावे तो एतिकाफ़ की जगह से निकल आवे।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया कि एतिफ़ाक़ करने वाला गुनाहों से महफ़ूज़ रहता है, और उसको उन नेकियों के करने का सवाब भी मिलता है जो बे-एतिकाफ़ वाले चल-फिर कर करते हैं।

मस्अला—मर्दों को ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना दुरुस्त है, जिस में पांचों वक़्त जमाअत से नमाज़ होती है और औरत अपने घर को मस्जिद में यानी उस जगह एतिकाफ़ कर ले जो घर में नमाज़ पढ़ने के लिए मुक़र्रर कर रखी है और अगर कोई जगह मुक़र्रर न हो तो घर के किसी कोने को मस्जिद मुक़र्रर कर के एतिकाफ़ के लिए बैठ जावे।

मस्अला—एतिकाफ़ की जगह से पेशाब, पाखाना के लिए निकलना दुरुस्त है, खाने-पीने की चीज़ें मस्जिद में मंगा कर खा ले।

मस्अला—यह जो मशहूर है कि एतिकाफ़ में होते हुए किसी से बात करना दुरुस्त नहीं, यह ग़लत है, बल्कि मस्जिद की हद से होते हुए बात करना, घर का काम-काज बताना भी दुरुस्त है।

तंबीह—फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफ़्ल रोज़ा हर हाल में रोज़े की इज़्ज़त करो यानी रोज़ा रख कर ग़ीबत, चुग़ली, झूठ, गाली और बद-नज़्री से परहेज़ करो और हर गुनाह से बचो, यों तो हर गुनाह हर हाल में बुरा और बर्बाद करने वाला है, मगर रोज़े की हालत में गुनाह करने से रोज़े की बरकत और रौनक़ और उस का फ़ायदा खत्म हो जाता है और सवाब भी काफ़ी घट जाता है।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं, जिन को भूख-प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वे रोज़े का फ़ायदा और सवाब ग़ीबत, झूठ, चुग़ली और दूसरे गुनाहों में पड़ कर खो देते हैं।

और यह भी फ़रमाया कि जो शख़्स (रोज़ा रख कर) झूठी बातों और खराब कामों को न छोड़े, तो अल्लाह को उस की कुछ ज़रूरत नहीं कि वह शख़्स अपना खाना-पीना छोड़ दे। —मिश्कात

Maktabe Ashraf

ज़रूरी मस्अले

मस्अला—बिला अख़्तियार ख़ुद-ब-ख़ुद क़ै हो गयी तो रोज़ा नहीं टूटा, चाहे जिस क़दर भी हो जाए, अल-बत्ता अगर अपने अख़्तियार से क़ै की और इतनी क़ै हुई, जिस से मुंह भर सके तो रोज़ा टूट गया और अगर थोड़ी से क़ै आयी है, जो मुंह भर नहीं है, तो रोज़ा नहीं टूटा, अगरचे अपने अख़्तियार से की हो।

मस्अला—मुंह में अपने आप से क़ै आ गयी, फिर उसको अपने अख़्तियार से वापस लौटा ली तो रोज़ा टूट गया।

मस्अला—कोई चीज़ चख कर थूक देने से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन बे-ज़रूरत ऐसा करना मक्रूह है। हां, अगर किसी औरत का शौहर बद-मिज़ाज हो और यह डर हो कि सालन में नमक कम या ज़्यादा हो जाने से बिगड़ेगा, उस के लिए चख कर थूक देना दुरुस्त है।

मस्अला—रात समझ कर सेहरी खा ली या सूरज छिपा जान कर इफ़्तार कर लिया और बाद में मालूम हुआ कि सुबह हो चुकने पर सेहरी खायी है या सूरज छिपने से पहले इफ़्तार कर लिया है तो इस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है।

मस्अला—रमज़ान के रोज़े में जान-बूझ कर रोज़ा याद होते हुए कुछ खा लिया या पी लिया या बीवी से अपना ख़ास काम निकाल लिया, तो उस को रोज़े की क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों ज़रूरी हैं।

कफ़्फ़ारा—यह है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ग़ुलाम न मिले या मिले मगर उस की क़ीमत न हो तो लगातार दो महीने के रोज़े रखे, अगर रोज़े रखने की ताक़त न हो, तो साठ मिस्कीनों को सुबह व शाम ख़ूब पेट भर कर खाना खिला दे।

मस्अला—रोज़े में मिस्वाक करना, सुर्मा लगाना, तेल लगाना

Maktabe Ashraf

दुरुस्त है। हां, मंजन, टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट और कोयला वग़ैरह से रोज़े की हालत में दांत साफ़ करना मक्रूह है।

मस्अला—अगर रात को ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जावे और सुबह होने से पहले ग़ुस्ल न कर सको, तो उसी हालत में रोज़े की नीयत करो और सुबह होने पर सूरज निकलने से पहले-पहले-ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़ लो।

मस्अला—अगर किसी पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो और उसने रोज़े की नीयत कर ली हो और रोज़ा रख लिया और दिन भर ग़ुस्ल न किया और न नमाज़ पढ़ी, तब भी रोज़ा हो जाएगा और रोजा छोड़ने का गुनाह न होगा, अल-बत्ता नमाज़ छोड़ने का गुनाह ज़रूर होगा।

मस्अला—जब सूरज छिप जाने का यक़ीन हो जाए तो रोज़ा इफ़्तार कर लो, देर न लगाओ।

मस्अला—रोज़ा बग़ैर नीयत के अदा नहीं होता है। बग़ैर नीयत के खाना-पीना छोड़ देने से रोज़ा न होगा। नीयत दिल के इरादे का नाम है, अगर ज़ुबान से नीयत करना चाहो तो सेहरी खाकर या उस से पहले यों कह लो— بِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ۰

बिसौमि ग़दिन नवैतु मिन शह्रि रमज़ा-न०

—इफ़्तार के वक़्त यह दुआ पढ़ो—

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ۰ (مشكوة)

अल्लाहुम म ल-क सुम्तु व अला रिज़्क़-क अफ़्तर्तु —मिश्कात

'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी दी हुए रोज़ी में मैंने रोज़ा खोला।'

हदीस—जब तुम इफ़्तार करो, खजूरों से इफ़्तार करो, क्योंकि यह बरकत की चीज़ है। पस अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ़्तार कर लो, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। —तिर्मिज़ी

मस्अला—बग़ैर सेहरी के रोज़ा हो जाता है, अल-बत्ता सेहरी खाना मुस्तहब है, अगर ख्वाहिश न हो तो तब भी पानी पीकर या

कुछ थोड़ा बहुत खाकर सुन्नत अदा कर ले।

मस्अला—एहतलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, न मकरूह होता है।

मस्अला—इत्र और फूल की खुश्बू सूंघना रोज़े में जायज़ है, लेकिन अगर लोबान, अगरबत्ती वग़ैरह की धूनी सुलगा कर अपने इरादे से सूंघना शुरू किया और धुवां हलक़ में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। बीड़ी, सिग्रेट, सिगार और हुक़्क़ा पीने में रोज़ा टूट जाता है।

मस्अला—कुल्ली करते वक़्त अगर हलक़ में पानी चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा टूट गया। क़ज़ा वाजिब है।

मस्अला—नाक की रेंठ सुड़क कर निगल जाने और अपने मुंह का बल्ग़म या राल या लुआब निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता।

मस्अला—रोज़े में नास लिया या कान में तेल डाला, तो रोज़ा टूट गया। अगर कान में पानी डाला या खुद से चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

सद्क़ा-ए-फ़ित्र का बयान

मस्अला—जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब है या उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं, लेकिन ज़रूरी सामान से ज़्यादा इतनी क़ीमत का माल व सामान है, जितनी क़ीमत पर ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर ईद के दिन सद्क़ा देना वाजिब है, चाहे वह सौदागरी का माल हो या सौदागरी का न हो और चाहे पूरा साल गुज़र चुका हो या न गुज़रा हो, और इसी सद्क़े को शरअ में सद्क़ा-ए-फ़ित्र कहते हैं।

मस्अला—बेहतर यह है ईद की नमाज़ को जाने से पहले ही सद्क़ा दे दे, अगर पहले न दिया, तो बाद में ज़रूर अदा कर दे।

मस्अला—अगर किसी ने ईद के दिन सद्क़ा-ए-फ़ित्र न दिया तो

माफ़ नहीं हुआ। अब किसी दिन दे देना चाहिऐ।

मस्अला—जिसने किसी वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, उस पर भी यह सद्क़ा वाजिब है, और जिसने रोज़े रखे, उस पर भी वाजिब है।

मस्अला—सद्क़ा-ए-फ़ित्र में अगर गेहूं या गेहूं का आटा या गेहूं का सत्तू दे दे तो अस्सी के सेर यानी अंग्रेज़ी तोल से आधी छटांक और पौने दो सेर बल्कि एहतियाज के लिए पूरे दो सेर या कुछ और ज़्यादा दे देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने में कुछ हरज नहीं है, बल्कि बेहतर है और जौ या जौ का आटा दे तो उस का दोगुना देना चाहिए है।

मस्अला—अगर गेहूं या जौ नहीं दिए, बल्कि इतने गेहूं या जौ की क़ीमत दे दी, तो यह सब से बेहतर है।

मस्अला—एक आदमी का सद्क़ा-ए-फ़ित्र एक ही फ़क़ीर को दे दे या थोड़ा-थोड़ा कर के कई फ़क़ीरों को दे दे, दोनों बातें जायज़ है।

मस्अला—अगर कई आदमियों का सद्क़ा-ए-फ़ित्र एक ही फ़क़ीर को दे दिया तो यह भी दुरुस्त है।

मस्अला—सद्क़ा-ए-फ़ित्र अपनी तरफ़ से और ना-बालिग़ औलाद की तरफ़ में देना वाजिब है, लेकिन अगर ना बालिग़ औलाद मालदार हो, तो बाप के ज़िम्मे वाजिब नहीं, बल्कि उन्हीं के माल से अदा करे और बालिग़ औलाद की तरफ़ से किसी हाल में देना वाजिब नहीं।

मस्अला—बीवी की तरफ़ से सद्क़ा-ए-फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं। अगर वह मालदार हो तो खुद अपने माल से अदा करे।

मस्अला—सद्क़ा-ए-फ़ित्र के हक़दार भी वही लोग हैं जो ज़कात के हक़दार हैं।

क़ुर्बानी का बयान

मस्‌अला—जिस पर सद्क़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है, इस पर बक़र ईद के दिनों में क़ुर्बानी करना भी वाजिब है।

मस्‌अला—बक़रईद की दसवीं तारीख़ से लेकर बारहवीं तारीख़ की शाम तक क़ुर्बानी का करने वक़्त है, चाहे जिस दिन क़ुर्बानी करे, लेकिन क़ुर्बानी करने का सब से बेहतर दिन बक़रईद का दिन है, फिर ग्यारहवीं तारीख़, फिर बारहवी तारीख़।

मस्‌अला—बक़रईद की नमाज़ होने से पहले क़ुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, जब नमाज़ पढ़ चुके, तब करे।

मस्‌अला—दसवीं से बारहवीं तक जब जी चाहे, क़ुर्बानी दे, चाहे दिन में, चाहे रात में, लेकिन रात को ज़िब्ह करना बेहतर नहीं कि शायद कोई रग न कटे और क़ुर्बानी दुरुस्त न हो।

मस्‌अला—अपनी क़ुर्बानी अपने हाथ से ज़िब्ह करना बेहतर है और अगर किसी वजह से दूसरे किसी से ज़िब्ह करवा लिया तो यह भी दुरुस्त है।

मस्‌अला—क़ुर्बानी करते वक़्त ज़ुबान से नीयत पढ़ना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल में ख़्याल कर लिया कि मैं क़ुर्बानी करता हूं और ज़ुबान से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कह कर ज़िब्ह कर दिया तो भी क़ुर्बानी हो गयी। लेकिन अगर याद हो तो पढ़ लेना बेहतर है।

क़ुर्बानी की दुआ

जब क़ुर्बानी के जानवर को ज़िब्ह करने के लिए लिटा दे, तो यह पढ़े—

इन्नी वज्जह्तु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-त-रस्समावाति वल अर-ज़ अला मिल्लति इब्राही-म हनीफ़ंव-व मा अना मिनल मुश्रिकीन इन-क सलाती व नुसुकी व मह्याय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आल-मीन० ला शरी-क व लहू व बिज़ा-लि क उमितु व अना मिनल मुस्लि-मीन० अल्लाहुम-म मिन-क व ल-क अन०

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۔ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۔ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ ۔

'मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ़ मोड़ दिया, जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फ़रमाया, इस हाल में कि मैं इस इब्राहीम हनीफ़ के मज़हब पर हूं और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूं। बेशक मेरी नमाज़ और मेरी इबादतें और मेरा मरना और जीना सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, जिस का कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं फ़रमांबरदारों में से हूं। ऐ अल्लाह! यह क़ुर्बानी तेरी तरफ़ से (हुक्म मिलने की वजह है) और तेरे ही लिए है।'

'अन' के बाद अपना या जिस की तरफ़ से ज़िब्ह कर रहा हो, उस का नाम लेवे।

इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कह कर ज़िब्ह कर ले।

मसअला—बकरा, बकरी, भेड़, दुंबा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी, इतने जानवरों की क़ुर्बानी दुरुस्त है। इन के अलावा किसी जानवर की क़ुर्बानी दुरुस्त नहीं।

मसअला—गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी में सात आदमी शरीक होकर क़ुर्बानी करे, तो यह भी दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो और सब की नीयत

क़ुर्बानी की हो। अगर किसी की नीयत सिर्फ़ गोश्त खाने की हो, तो किसी की भी क़ुर्बानी दुरुस्त न होगी।

मस्अला—क़ुर्बानी में साल भर की कम की बकरी दुरुस्त नहीं और गाय, भैंस, दो वर्ष के हों, तब उन की क़ुर्बानी दुरुस्त है, उस से कम उम्र की नहीं और ऊंट पांच वर्ष से कम का दुरुस्त नहीं। भेड़ या दुंबा भी एक साल से कम का दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर छः माह की भेड़ या दुंबा भी इतना मोटा-ताज़ा हो कि साल वाले के बराबर मालूम होता है, तो उस की क़ुर्बानी दुरुस्त होने का फ़तवा भी कुछ उलेमा ने दिया है।

मस्अला—जो जानवर अंधा हो या काना हो या जिस की एक आंख की तिहाई रोशनी चली गयी हो या जिस का तिहाई कान या तिहाई दुम कट गयी हो या जो ऐसा लंगड़ा है कि एक पांव रखता ही नहीं, या रखता है, लेकिन उससे चल नहीं सकता, तो उसकी क़ुर्बानी दुरुस्त नहीं।

मस्अला—इतना दुबला मरयल जानवर, जिस की हड्डियों में गूदा न रहा हो, उस की भी क़ुर्बानी दुरुस्त नहीं।

मस्अला—ख़स्सी जानवर की क़ुर्बानी दुरुस्त है।

मस्अला—क़ुर्बानी का गोश्त आप खाए, घर वालों को और मेहमानों और पड़ोसियों को खिलावे, सद्क़ा-ख़ैरात करे, सब ठीक है, लेकिन अगर गोश्त का तिहाई हिस्सा पूरा सद्क़ा कर दे तो ज़्यादा बेहतर है।

मस्अला—क़ुर्बानी की खाल अपने काम में ला सकता है और अगर ख़ैरात कर दे तो यह बेहतर है, लेकिन इस को बेच कर इस के दाम ख़ुद नहीं रख सकता, अगर बेच दी तो क़ीमत ज़रूरी समझ कर ख़ैरात कर दे।

मस्अला—क़ुर्बानी के खाल के दाम मस्जिद में या किसी इमाम और मुअज़्ज़िन व मुदर्रिस की तंख़्वाह में नहीं लग सकते।

आख़िरत के मुसाफ़िर का बयान

ग़ुस्ल व कफ़न और दफ़्न

जब किसी मुसलमान की मौत क़रीब आ जाए और जान निकलने लगे, तो उस को चित लिटा दो और उसके पांव क़िब्ले की तरफ़ कर दो और सर ऊंचा कर दो ताकि मुंह क़िब्ले की तरफ़ हो जाए और उस के पास बैठ कर ज़ोर-ज़ोर से कलिमा तैयबा पढ़ो ताकि तुम से सुन कर वह भी पढ़ ले, लेकिन उस से यह मत कहो कि पढ़, इस लिए कि वह सख़्त मुश्किल का वक़्त है। ख़ुदा न करे, वह पढ़ने से इंकार कर दे या मुंह से कुछ और निकल जाए, सूरः यासीन शरीफ़ पढ़ने से मौत की सख़्ती कम होती है, उस के सिरहाने या किसी दूसरी जगह उस के पास बैठ कर यासीन शरीफ़ पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो जब रूह निकल जाए, तो उस का मुंह किसी कपड़े से इस तरह बांध दो कि ठोढ़ी के नीचे से निकाल कर दोनों जबड़ों से सर पर ले जाव, बांध दो, ताकि मुंह न फैल जाए और पांव के दोनों अंगूठे मिला कर बांध दो और आंखें बन्द कर दो और बन्द करते वक़्त यह पढ़ो—

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ
مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ ۝

बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वज् अल अल्लाहुम-म मा ख़-र-ज इलैहि ख़ैर म मिम्मा ख़-र-ज अन्हु०

फिर उसको चादर वग़ैरह उढ़ा कर नहलाने का इन्तिज़ाम करे।

मस्अला— उस के पास लोबान वग़ैरह कोई ख़ुश्बू सुलगा दो, हैज़ व निफ़ास वाली औरत और जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो, उस के

पास न रहे और जब तक उस को गुस्ल न दे दिया जाए, उस के पास क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है।

मय्यत को नहलाना

जब नहलाने का इरादा करो किसी तख़्त या बड़े तख़्त को (जिस पर गुस्ल देना हो) लोबान या अगर बत्ती की धूनी ३ बार या ५ या ७ बार दे दो, फिर मुर्दे को उस पर लिटा दो और इस के पहने हुए कपड़े अलग कर दो और उस की नाफ़ से घुटने तक एक कपड़ा सतर छिपाने के लिए डाल दो, बेरी के पत्ते डाल कर गर्म किए हुए पानी से, और पत्ते न हों तो सादा गर्म पानी से गुस्ल देना शुरू करो, तेज़ गर्म न हो।

पहले मुर्दे को इस्तिंजा कराओ, लेकिन उसकी रानों और इस्तिंजे के जगह को हाथ न लगाओ और उस पर निगाह भी न डालो, बल्कि अपने हाथ में कोई कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाफ़ से लेकर रानों तक पड़ा है, उस के अन्दर-अन्दर धुलाओ, फिर उस को वुज़ू करा दो, लेकिन न कुल्ली कराओ, और न नाक में पानी डालो, पहले मुंह धुला दो, फिर दोनों हाथ कुहनियों समेत, फिर सर का मसह, फिर दोनों पांव धुला दो और मुंह और कानों में रुई भर दो, ताकि वज़ू कराते और नहलाते वक़्त पानी अन्दर न जाने पाए। जब वुज़ू करा चुको तो सर को गुले ख़ैरु या और किसी चीज़ से। जिससे साफ़ हो जाए, मल कर धोओ, फिर मुर्दे को बायीं करवट पर लिटा कर शीत गर्म पानी तीन बार सर से पैर तक डालो, यहां तक कि बायीं करवट तक पानी पहुंच जाए, फिर दाहिनी करवट पर लिटा दो और इसी तरह सर से पैर तक तीन बार इतना पानी डालो कि दाहिनी करवट तक पहुंच जाए। इसके बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लगा कर बिठलाओ और उसके पेट को धीरे-धीरे मलो अगर कुछ पाख़ाना वग़ैरह निकले तो पोंछ कर धो डालो और वुज़ू और गुस्ल में उस के

निकलने से कोई नुक्सान नहीं, इस के बाद फिर उसे बायीं करवट पर लिटाओ और काफ़ूर पड़ा हुआ पानी सर से पांव तक तीन बार डालो।

कफ़नाना

मर्द को तीन कपड़ों में और औरतों को पांच कपड़ों में कफ़न देना सुन्नत है, सब की तफ़्सील यह है—

१. इज़ार सर से लेकर पांव तक,

२. चादर, जो इज़ार से एक हाथ बड़ी हो, इसको लिफ़ाफ़ा कहते हैं।

३. कुरता, गले से लेकर पांव तक, जिस में न आस्तीन हों, न कलियां हों, उस को कफ़नी भी कहते हैं। ये तीनों कपड़े मर्द व औरत दोनों के कफ़न होते हैं। औरत के कफ़न में दो कपड़े, जो ज़्यादा है —

१. एक सर बंद, जो तीन हाथ लंबा हो,

२. दूसरा सीना बंद, जो छाती से लेकर रानों तक हो। क़ब्रस्तान ले जाते वक़्त जो चादर ऊपर डालते हैं, वह कफ़न से अलग है, लेकिन औरत के जनाज़े पर चादर डालना पर्दे की वजह से ज़रूरी है और मर्द के जनाज़े पर डालना ज़रूरी नहीं है। आम तौर से मर्द के कफ़न में ऊपर की चादर के अलावा दस गज़ कपड़ा खर्च होता है और औरत के लिए ऊपर की चादर लेकर २२ गज़ लगता है और बच्चे का कफ़न उस के मुनासिबे हाल लिया जाए।

जब कफ़नाने का इरादा करो तो चारपाई पर अव्वल लिफ़ाफ़ा, उस पर इज़ार, फिर उस पर कफ़नी का वह हिस्सा जो मय्यत के नीचे रहेगा, बिछा दो और कफ़नी के उस हिस्से को, जो ऊपर रहे, समेट कर सिरहाने की तरफ़ रख दो। फिर मुर्दे को गुस्ल वाले तख़्त से उठा कर किसी कपड़े से उस का सारा बदन पोंछ कर फैलाए हुए कफ़न पर धीरे से लिटा दो और कफ़नी के उस हिस्से को, जो सिरहाने की

तरफ़ समेट कर रखा है, मुर्दे के गले में डाल कर पैरों की तरफ़ बढ़ा दो और सर ढांकने के लिए जो कपड़ा उसके बदन पर पहले से है उस को निकाल दो। सर और दाढ़ी पर और सज्दा करने की जगहों यानी पेशानी, नाक, दोनों हथेलियों और पांव के दोनों पंजों पर काफ़ूर मल दो, फिर इज़ार का बायां पल्ला लौट कर उस पर दायां पल्ला लौट दो, फिर लिफ़ाफ़े को भी इस तरह कर दो और एक कत्तर लेकर सिरहाने और पांयती चादर (यानी लिफ़ाफ़े) के कोनों को बांध दो। यह मर्द के कफ़्नाने का तरीक़ा है।

अगर जनाज़ा औरत का हो तो उस में यों करो कि कुर्ता पहना कर सर के बालों को दो हिस्से कर के कुरते के ऊपर सीने पर डाल दो, एक हिस्सा दाहिनी तरफ़ और एक हिस्सा बायीं तरफ़ रहे। इस के सर बन्द सर पर और बालों पर डाल दो, उस को न बांधो, न लपेटो। इस के बाद इज़ार लपेटो, पहले बायीं तरफ़ लपेटो, फिर दाहिनी तरफ़, इसके बाद सीना बन्द बांधो, फिर चादर लपेटो, पहले बायीं तरफ़, फिर दाहिनी तरफ़। इस के बाद सिरहाने और पांयती कफ़न में गिरह दे दो। कफ़्नाने के बाद जनाज़े की नमाज़ और दफ़्नाने में जल्दी करो। जनाज़े की नमाज़ का तरीक़ा पहले गुज़र चुका है।

दफ़्नाना

जब जनाज़े की नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाएं तो दफ़्न कर दे। दफ़्न करना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। जब दफ़्न के लिए जनाज़े को क़ब्रस्तान में ले चलें, तो तेज़ क़दम चलें, लेकिन दौड़ें नहीं, जनाज़े के साथ पैदल चलना मुस्तहब है।

मस्अला—जनाज़ा ले जाते वक़्त कोई दुआ या ज़िक्र (जैसे ला इला-ह इल्लल्लाहु या अल्लाहु अक्बर) ऊंची आवाज़ से पढ़ना बिद्अत है और धीमी आवाज़ से भी कोई ख़ास ज़िक्र साबित नहीं।

Maktaba Ashraf

अगर धीरे-धीरे कुछ पढ़े और जनाज़ा ले जाने की सुन्नत न समझे तो यह पढ़ सकता है ।

मस्अला—जब क़ब्र तैयार हो जाए तो मय्यत को क़िब्ले की तरफ़ से क़ब्र में उतारें, जिस का तरीक़ा यह है कि जनाज़े को क़ब्र से क़िब्ले की तरफ़ रखा जाए और उतरने वाले क़िब्ला रुख खड़े होकर मय्यत को क़ब्र में उतारो।

मस्अला—क़ब्र में रखते वक़्त—

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह० कहना मुस्तहब है।

मस्अला—मय्यत को क़ब्र में रख कर दाहिने पहलू पर क़िब्ला रुख लिटा देना मस्नून है।

मस्अला—क़ब्र में रख कर दोनों गिरहें खाल दो, जो सिरहाने और पांयती खुल जाने के डर से लगायी गयी थीं।

मस्अला—औरत को क़ब्र में रखते वक़्त परदा करना मुस्तहब है और अगर मय्यत का बदन ज़ाहिर होने का खतरा हो तो पर्दा करना वाजिब है।

मस्अला—क़ब्र में मस्नून तरीक़े पर लिटा कर क़ब्र को बन्द कर दें, क़ब्र भरने के लिए मिट्टी डालने लगें तो हर शख्स दोनों हाथों से मिट्टी भर कर तीन बार डाले—

पहली बार से

मिन्हा खलक़नाकुम — مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ

और दूसरी बार

व फ़ीहा नुईदु कुम — وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

और तीसरी बार — وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ط

व मिनहा नुख्रिजुकुम तारतन उख़रा पढ़े।

मस्अला—क़ब्र को एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंचा बनाना मकरूहे तहरीमी है।

—पक्की क़ब्र बनाने की कड़ी मनाही हदीस शरीफ़ में

Maktabe Ashraf

आयी है, इस लिए इस से परहेज़ करें।

तंबीहें

१. कुछ कपड़े लोगों ने कफ़न के साथ ज़रूरी समझ रखे हैं हालांकि वे कफ़न मस्नून में हैं नहीं। मय्यत के तर्के से उन का ख़रीदना जायज़ नहीं, वे यह हैं—

(क) जा-नमाज़, सवा गज़ लम्बी, चौदह गिरह चौड़ी।

(ख) पटका, लम्बाई डेढ़ गज़, अर्ज़ चौदह गिरह। यह मुर्दे को क़ब्र में उतारने के लिए होता है।

(ग) बिछौना, लम्बाई ढाई गज़ अर्ज़ सवा गज़, यह चारपाई पर बिछाने के लिए होता है।

(घ) दामनी, लम्बाई दो गज़, अर्ज़ सवा गज़, दौलतमंदी के मुताबिक़ ४ गज़ से ७ गज़ तक जो मुहताजों को देते हैं।

(च) चादर कलां, लम्बाई ३ गज़, अर्ज़ पौने दो गज़, जो चारपाई को ढांक लेती हैं और गो यह चादर पर्दे के एहतिमाम की वजह से औरत के जनाज़े पर डालना ज़रूरी है, मगर कफ़न का हिस्सा नहीं, जिस कफ़न के रंग का होना ज़रूरी नहीं। पर्दे के लिए कोई भी कपड़ा काफ़ी हो सकता है।

२. अगर जा-नमाज़ वग़ैरह की ज़रूरत कभी ख़्याल में आए तो घर के कपड़े काम के हो सकते हैं। मय्यत के तर्के से ज़रूरी नहीं या कोई रिश्तेदार अपने माल से ख़रीद दे।

३. ग़ुस्ल व कफ़न के सामान से अगर कोई चीज़ घर में मौजूद हो और पाक व साफ़ हो तो उस के इस्तेमाल में हरज नहीं।

४. यह जो दस्तूर है कि मुर्दे के इस्तेमाल के कपड़े या बर्तन वग़ैरह ख़ैरात कर दिए जाते हैं, यह वारिसों की इजाज़त के बग़ैर हरगिज़ जायज़ नहीं और अगर वारिसों में कोई ना-बालिग़ हो, तब तो इजाज़त देने पर भी ऐसा करना जायज़ न होगा। पहले माल तक़्सीम

Maktaba Ashraf

करें, फिर बालिग़ अपने हिस्से में से जो चाहें, शरीअत के मुताबिक ईसाले सवाब के लिए खर्च करें।

वَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ رُسُلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝
تَمَّتْ بِالْخَيْرِ
وَبِهَا تَمَّتْ

व अखिरु दअ्वाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि रुसूलिही सय्यिदिना मुहम्मदिं व आलिही व अस्हाबिही अज्मईन०
तम्मत बिल खैरि व बिही अम्मत०

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ